खण्ड-274, अंक-9
मंगलवार, 3 श्रावण, शक संवत् 1889
(25 जुलाई, 1967 ई0)

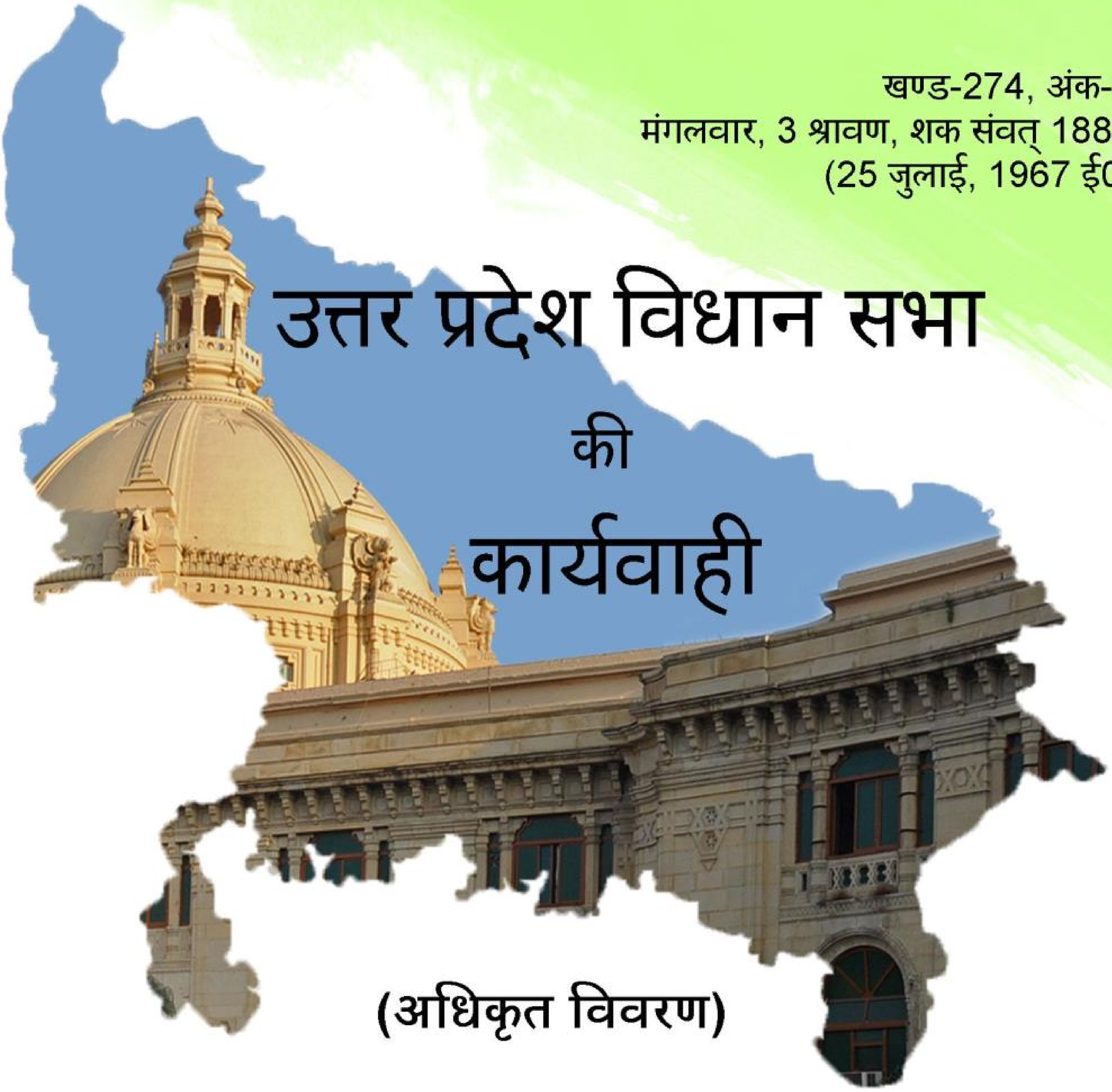

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 274 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २५ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीशशरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—४१४

अंगने लाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
अहमदउल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपालसिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण सिंह, श्री
कामतासिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशन सिंह, श्री
किशुन लाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरी लाल, श्री

केशव देव, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्त सिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल चौधरी, श्री
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
गौरी शंकर सराफ, श्री
गौरी सिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जवाहरलाल जाटव, श्री
जवाहिरलाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकमसिंह, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दलसिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गा प्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराजसिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवीसेवक, श्री
देवेन्द्रसिंह, कुंवर
देशराजसिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री

धर्मसिंह, श्री
ध्रुवकुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपालसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पब्बरराम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतम सिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारुक चिश्ती, श्री
फूल सिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंग बली, ब्रह्मचारी
बदन सिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बद्री प्रसाद अवस्थी, श्री
बलदेव सिंह, सरदार
बलवीर सिंह, श्री (मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बसन्त लाल, श्री (जालौन)
बसन्त लाल, श्री (लखनऊ)
बसन्त सिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाब सिंह, श्री
बिशन लाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृज किशोर, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृज मोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनी सिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भुगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भुगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महराम सिंह, श्री
महिपाल सिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रप्रताप सिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुंशी लाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री

मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्कीराज , श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, आचार्य
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद , श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
राम अचल सिंह सेंगर, श्री
राम अधार, श्री
राम अधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
राम किंकर, श्री
राम किशोर, श्री
राम कुमार, श्री
राम चन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
राम नरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसरनसिंह, श्री

रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतागढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री
रूपनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालकृष्ण कुमार पाल, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिव गोपाल तिवारी, श्री
शिव नाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगन चन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्री नारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खन लाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल घुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहर बक्श सिंह रावत, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरी लाल यादव, श्री

नोट—उप मुख्य मंत्री—श्री रामप्रकाश तथा उद्योग मंत्री, श्री प्रभुनारायण सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २५ जुलाई, १९६७

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्यभाषा संशोधन विधेयक

**१—श्री शिवराज सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को केन्द्रीय सरकार से राज्यभाषा सशोधम विधयक का प्रारूप विचार करने के हेतु हाल ही में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या सुझाव केन्द्रीय सरकार को दिया है ?

गृह उपमंत्री (श्री रुस्तम सैटिन)—

जी हां ।

राज्य सरकार इस विधेयक के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को क्या सुझाव दे रही है यह इस समय बताना जनहित में न होगा ।

श्री शिवराज सिंह—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि राष्ट्र भाषा संशोधन विधेयक द्वारा केन्द्रीय सरकार इस देश में अंग्रेजी को हिन्दी सहभाषा के रूप में अनिश्चित काल के लिये जारी रखने की कोशिश कर रही है और राज्यों को निषेधात्मक अधिकार देने जा रही है जैसा कि. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

इसकी अनुमति मैं नहीं दे रहा हूं इसलिये कि केन्द्रीय सरकार क्या करना चाहती है इसके बारे में प्रदेशीय सरकार के मुख्य मंत्री या मंत्री कैसे कह सकते हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार ने इसका प्रारूप मुख्य मंत्री को भेजा है और वह उनकी राय जानना चाहती है । इसलिये यह प्रश्न है कि इसके द्वारा निषेधात्मक अधिकार राज्यों को देने जा रही है। जैसा कि सम्पूर्ण देश के राज्य यदि हिन्दी के पक्ष में हां कर दें और नागालैण्ड ना कह दे तो हिन्दी को उचित स्थान नहीं मिलेगा । क्या ऐसा प्राविधान प्रारूप में है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी भी अनुमति नहीं दे रहा हूं क्योंकि मंत्री जी ने कहा कि इसको बताना जनहित में नहीं है ।

श्री शिवराज सिंह—

सवाल यह नहीं है । मैं यह जानना नहीं चाहता हूं कि उन्होंने अपना अभिमत क्या दिया है बल्कि यह कि केन्द्रीय सरकार का ऐसा कुछ प्राविधान है या नहीं ?

श्री रुस्तम सैटिन—

जैसा मैंने अभी कहा कि यह गोपनीय है और इसकी चर्चा करना जनहित में नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री जी केन्द्रीय सरकार के प्रारूप की मुख्य मुख्य बातें संक्षेप में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रुस्तम सैटिन--

जी नहीं । यह नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष--

यह पूछते हैं कि केन्द्रीय सरकार से जो प्रारूप आया है उसकी मुख्य-मुख्य बातें बता सकेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)--

जी नहीं । बात यह है कि जैसा मेरे सहयोगी ने अभी बताया है कि यह जो करस्पांडेन्स है उसमें उन्होंने कांफीडेंशियल मार्क कर रखा है । इसलिये हमारे लिये बताना उचित नहीं है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मैं यह पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो हिन्दी भाषी प्रदेश है और हम राष्ट्रभाषा हिन्दी को अविलम्ब लाने की चेष्टा में हैं, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी, जब यह सुझाव मांगा जा रहा है उस प्रारूप पर इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे कि हिन्दी राष्ट्रभाषा के पद पर अविलम्ब प्रतिष्ठित हो इसी के अनुरूप सुझाव भेजें ?

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इस सिलसिले में कुछ कहना. . .

श्री अध्यक्ष--

वह सिर्फ यह पूछ रहे हैं कि ध्यान रखेंगे आप ?

श्री चरणसिंह--

ध्यान रखा ही जायगा । गवर्नमेन्ट यहां के लोगों की नुमाइंदगी करती है । उन्होंने स्टेट गवर्नमेंन्ट से सुझाव नहीं मांगा । स्टेट गवर्नमेंन्ट से सुझाव मांगा है यह बात गलत है । उन्होंने भेजा है हमारे पास । यह बात दूसरी है कि हम सुझाव भेज दें या न भेजें ।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार इस विषय पर अपना अन्तिम निर्णय लेने से पहले इस सदन को विश्वास में ले कर उसकी सलाह लगी ?

श्री चरणसिंह--

जी नहीं । यह तो वही बात है ।

श्री शिवराज सिंह--

क्या माननीय मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार, संसद के वर्तमान अधिवेशन में इस विधेयक को लाने जा रही है, ऐसी हालत में क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के लिये उचित नहीं होगा कि शीघ्र ही अपनी राय इस बारे में दे ?

श्री चरणसिंह--

जी, हम अपनी राय उनको भेज चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय, आप केवल सदन के हितों के रक्षक नहीं हैं बल्कि किसी मुश्किल में अगर गवर्नमेंन्ट फंस जाय तो भी रेस्क्यु करना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, जो हमने राय भेजी है वह मंत्रिमंडल के मशविरे से भेजी है। अकेले मैंने नहीं भेजी है। माननीय सदस्यों को किसी तरह की आशंका नहीं होनी चाहिये कि हम अपने यहां की जनता की भावनाओं की तर्जुमानी सही नहीं करेंगे ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

मैं यह जानना चाहता हूं, अभी माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि कोई सुझाव भारत सरकार ने नहीं मांगा था, उन्होंने क्या लिखा है ? मैं उसके कंटेंट को नहीं जानना चाहता, जो कुछ उन्होंने लिखा, अगर सुझाव नहीं मांगा था तो क्या लिखा ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आपकी अनुमति से आपके प्रश्न को परिवर्तित कर दूं । जो प्रारूप भेजा था वह किस आशय से भेजा था ?

श्री चरणसिंह—

देखने के लिये भेजा था ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी सिफारिश करते हुये आज उर्दू के सम्बन्ध में भी, उत्तर प्रदेश में एक बड़े तबके का विचार है, उसको ध्यान में रखा है और उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को अपने सुझाव भेजे हैं या नहीं ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, इसमें उर्दू भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं है । उस बिल का उर्दू भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं है । उन्होंने माननीय नेहरू जी का ऐश्योरेंस कहा जाता है जैसा कि अखबारों में आया था उसको कार्यान्वित करने के लिये एक बिल बनाया और वह उन्होंने हमें देखने के लिये भेजा । सेठ गोविन्द दास जी ने कई पत्र लिखे । जब हमने बिल वगैरह देखा और गवर्नमेंन्ट का कम्युनिकेशन्स, तो उसमें यह नहीं था कि हमें अपनी राय देनी है । लेकिन हमने फिर मंत्रिमंडल में परामर्श कर के उसको भेज दिया । हमें उसको सदन में बताने से भी इन्कार नहीं होता अगर उन्होंने अपने-अपने कागजात पर कान्फीडेंशल न लिखा होता ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

गोसाईपुर मोहांव में नलकूप की बोरिंग

*१—श्री भग्गूराम (उपनाम भृगुनाथ) (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार को पता है कि ग्राम गोसाईपुर, मुहांव, विकास क्षेत्र हरहुआ, जिला वाराणसी में सन् १९६३-६४ में सिंचाई विभाग द्वारा नलकूप लगाने की योजना थी और वहां रिंग मशीन ले जा कर नलकूप का कार्य प्रारम्भ किया गया और करीब ६० फुट रिंग करने के बाद रिंग मशीन वापस बुला ली गई और बावजूद मंजूरी के आज तक नलकूप का कार्य नहीं हो सका ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार की उक्त स्थान पर नलकूप लगाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वहां नलकूप कब तक लगेगा ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)—

प्रश्न में उल्लिखित गांव में जनवरी, १९६३ में एक नलकूप बनाने के लिये ४० फीट बोरिंग किये जाने के बाद रिंग मशीन वापस बुला ली गई थी । कार्य बंद किये जाने का कारण उपलब्ध रिकार्ड से ज्ञात न हो सका परन्तु छान-बीन करने से यह ज्ञात हुआ है कि इस नलकूप की जगह (साइट) पर दो दलों में झगड़ा हो रहा था और इस विवाद के कारण रिंग मशीन वापस बुला

ली गई । इस नलकूप के प्रस्तावित कमान्ड के कुछ क्षेत्र के लिये बाद में एक नलकूप लगा दिया गया । अब इस समय शेष क्षेत्र के लिये कोई और नलकूप निर्माण के लिये प्रस्तावित नहीं है ।

श्री भग्गूराम (उपनाम भृगुनाथ)—

जो दूसरा नलकूप लगाया गया उसका नाम क्या है और उसका कमान्ड एरिया कितना है ? जहां बोरिंग हुई उससे वह स्थान कितनी दूर है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)—

जिस समय इस रिंग मशीन से वहां के नलकूप की बोरिंग हो रही थी तो उस समय के सिंचाई मंत्री, श्री राममूर्ति, से वहां की जनता ने शिकायत की और उसी के बाद वह रिंग मशीन वापस ले ली गयी ?

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)—

इस के लिये तो सूचना की आवश्यकता है ।

बलरामपुर बिजली कम्पनी कर्मचारियों का वेतन

*२—श्री प्रतापनारायण तिवारी (जिला गोंडा)—

क्या सिंचाई मंत्री को इसकी जानकारी है कि बलरामपुर बिजली सप्लाई कम्पनी, जोकि अब सरकारी नियंत्रण में ले ली गई है, उसके अनेक कर्मचारियों का काफी समय का वेतन बकाया है ? यदि हां, तो उल्लिखित कर्मचारियों का वेतन कब तक दे दिया जायगा ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

कर्मचारियों का वेतन हर महीने समय से दिया जा रहा है । उनकी सालाना बढ़ोत्तरी के कागजात भी पूरे हो गए हैं और बकाया का भुगतान इस महीने के अन्त तक कर दिया जायेगा ।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अप्रैल, १९६५ से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जब से इस कम्पनी को लिया है तब से कितने कर्मचारियों का वेतन अभी तक नहीं दिया जा सका है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

सभी कर्मचारियों को वेतन दिया जा चुका है केवल एक कर्मचारी के वेतन के सम्बन्ध में विवाद है । उसके बारे में हाई कोर्ट में अपील दायर की जा चुकी है ।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्वार्टर अलाउन्स जो कर्मचारियों को मिलता है वह अभी तक नहीं दिया गया है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जो भुगतान बाकी हैं उनके केस दायर होने के लिये शीघ्र दे दिये जायंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो बकाया वेतन है वह वही वेतन-क्रम है जो प्राइवेट कम्पनी के जमाने में थे या सरकार ने अपने कब्जे में ले कर नया वेतन-क्रम निर्धारित किया है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

वही है उसमें तदर्थ २५ फीसदी वृद्धि की गई थी जो १५ रुपये से कम और ३० रुपये से अधिक न हो।

श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कम्पनी सरकार ने पहले ली थी उनके कर्मचारियों का वेतन-क्रम वही जो पहले था और बलरामपुर कम्पनी जो सरकार ने लिया है उनका वेतन-क्रम बोर्ड के अनुसार कर दिया है तो ऐसा क्यों किया ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

अलग-अलग कम्पनी के अलग-अलग कर्मचारियों की शर्तें थीं। साथ ही साथ जो सूचना है वह यह कि बलरामपुर में सालाना वृद्धि इस कारण नहीं दी जा सकी कि उनका वेतन निश्चित नहीं हो पाया था। कुछ कर्मचारी वेतन-क्रम के आधार पर वेतन चुनना चाहते थे और कुछ वेतन वृद्धि के आधार पर चुनना चाहते थे।

बसों म एक श्रेणी

*३—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बसों में बैठने की एक ही श्रेणी रखने का जो निर्णय अभी सरकार ने लिया है, उस में अनुमानतः सरकार को कितने रुपये वार्षिक की हानि या लाभ होगा ?

श्री रुस्तम सैटिन—

सूचना अभी भी एकत्रित की जा रही है।

श्री श्रीराम तिवारी—

श्रीमन, ११ जुलाई, ६७ को यह प्रश्न आया था तब भी यही कहा गया था कि सूचना एकत्रित की जा रही है और अब भी कहा जा रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

इस में मंत्री जी की इच्छा की बात नहीं है। १५ दिन के बाद सूचना आयेगी। तब वह अवश्य आ जायगी।

तराई सिंचाई खण्ड, नैनीताल

*४—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल) तथा श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या सिंचाई मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा वर्ष १९६७–६८ में तराई-भावर सिंचाई खण्ड, नैनीताल को कुल कितनी धनराशि सिंचाई व्यवस्था की नई स्कीमों के लिये स्वीकृत हुई है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

वर्ष १९६७–६८ में तराई सिंचाई खंड, नैनीताल को सिंचाई की नई योजनाओं के निर्माण के लिए अभी कोई धनराशि नहीं दी गई है।

श्री इन्द्रलाल—

क्या सिंचाई मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानते हुये सदन में स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करेंगे कि कितनी धनराशि १९६७–६८ के लिये तराई-भावर सिंचाई खंड, नैनीताल की नई योजनाओं के लिये शासन ने स्वीकृत की है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

मैं समझता हूं कि प्रत्येक वर्ष में कुछ योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल की हम लेते हैं। तो नई योजना १९६७–६८ में प्रारम्भ नहीं हुई है लेकिन चौथी योजना काल में गोलाभार नहर की क्षमता बढ़ाना है, महकोट नहर की क्षमता बढ़ाना और बाजपुर क्षेत्र की छोटी नहर योजनाओं को बढ़ाने की योजना हमारे विचाराधीन है। ये सब चौथी योजनाकाल की योजनायें हैं। १९६७–६८ में हम कोई नई योजना नहीं ले रहे हैं।

श्री इन्द्रलाल—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तरी सिंचाई खंड से कोई योजना गूलें पक्की करने तथा लाइनिंग आदि के बारे में उनके पास आयी हैं?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इस वर्ष ३१ मार्च से प्रारम्भ होने वाले वर्ष में वे ही कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जो कि पहले से चल रहे थे और मेरी सूचना यह है कि इस वर्ष कोई नया कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है।

श्री इन्द्रलाल—

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वहां से उनके चीफ इंजीनियर के पास कुछ योजनायें आयी हैं पहाड़ी क्षेत्रों की जिन पर शासन ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

माननीय सदस्य को याद होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों के सदस्यों से मेरी बात हुई थी और उन योजनाओं पर कोई निर्णय लेना संभव इसलिये नहीं होता क्योंकि उनके लिये सर्वे कराने तथा जांच आदि कराने में काफी समय लगता है। लेकिन जो सूचनायें आयी हैं उन पर हम विचार कर रहे हैं और जो उपयुक्त लगती हैं उनको लिया जाता है।

[२५ जुलाई, १९६७ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सैदपुर टाउन एरिया को बिजली न मिलना

*१—श्री आत्मा (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनवरी, सन् १९६५ में विद्युत् विभाग द्वारा यह अभियान चलाया गया था कि अग्रिम धन देने पर उपभोक्ताओं को अविलम्ब बिजली का कनेक्शन दे दिया जावेगा? यदि हां, तो गाजीपुर जिला अन्तर्गत सैदपुर टाउन एरिया के लोगों द्वारा बिजली के कनेक्शन का अग्रिम धन दे देने पर भी आज तक उन्हें बिजली क्यों नहीं दी गई?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

जी हां। इन भावी उपभोक्ताओं को बिजली का कनेक्शन न मिलने का कारण उनके द्वारा अनिवार्य औपचारिकताएं न पूरी करना तथा कनेक्शन के लिए पूरी धनराशि न जमा करना है।

श्री आत्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कौन सी अनिवार्य औपचारिकतायें थीं जिनके पूरा न होने के कारण आज तक कनेक्शन नहीं दिये गये और क्या उपभोक्ताओं को इसकी सूचना दी गयी? यदि हां, तो कब और किस तारीख को?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

इस बात की सूचना उपभोक्ताओं को १४ जुलाई को भेजी गयी। मैं समझता हूं कि इसमें अवश्य देरी हुई है उपभोक्ताओं को सूचना देने में और मैंने आदेश दे दिये हैं कि इसकी पर्याप्त जांच की जाय कि देरी का कारण क्या है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि सैदपुर, गाजीपुर आदि के क्षेत्रों में बिजली विभाग ने ६, ८, १० महीने से उपभोक्ताओं से एग्रीमेंट कर रखा है, उनका रुपया भी जमा हो गया है, लेकिन अब बिजली विभाग कह रहा है कि किसी नये सर्कुलर के हिसाब से उनको अधिक रुपया जमा करना चाहिये और इस प्रकार उनको बिजली क्यों नहीं मिल रही है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैं समझता हूं कि यह प्रश्न इससे उठता नहीं, लेकिन अगर माननीय सदस्य यह सूचना देंगे तो मैं जरूर समाधान करा दूंगा।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस प्रकार रुपया और जिलों में भी जमा किया गया है और उनको बिजली नहीं मिल रही है ? क्या इस प्रकार की कोई योजना है कि जो रुपया दे सकेंगे उनको ही बिजली मिलेगी ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

बिजली नियमों के अन्तर्गत एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देता है। इसके लिये कोई नयी योजना नहीं है। यह देखा जा रहा है कि जिनसे एग्रीमेंट हो गया है उनको शीघ्रातिशीघ्र बिजली दिलायी जाय और इसके लिये जिला लेबिल पर प्रयास किया जा रहा है ताकि मैटीरियल आदि जल्दी पहुंच जाय और उन लोगों को जल्दी से जल्दी बिजली दी जाय।

श्री शराफतहुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलायेंगे कि यह अग्रिम धन देने की जो प्रथा चलायी गयी है उसके लिये किसान तो अपना कुआं तक नहीं खुदवा पाता वह अग्रिम धन कहां से दे पायेगा ? इसलिये क्या मंत्री महोदय इस अग्रिम देने की व्यवस्था को समाप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैंने उस रोज भी प्रश्नोत्तर काल में और कल अपने भाषण में विस्तार से इसको समझा दिया था। हमारे बिजली देने के लिये कुछ नियम हैं। जितनी लाइन हम निःशुल्क देते हैं वह निःशुल्क और बाकी के लिये पैसा जमा करा कर लाइन दी जाती है। उन नियमों के अनुसार कंज्यूमर्स हमेशा से पैसा जमा करते रहे हैं और उन्हीं नियमों के अन्तर्गत वे बिजली लेते रहे हैं। उनमें अग्रिम धन जमा करने का नियम भी एक है।

वाराणसी जिले में नलकूप

*२—श्री हरिगेनराम (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के सुरियांवा ब्लाक में कुसौड़ा नलकूप बहुत दिनों से खराब है ? यदि हां, तो अब तक उसे ठीक कराने या दूसरा नलकूप न लगाने का क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

जी हां, यह नलकूप फेल हो जाने के कारण फरवरी, १९६७ से बन्द है और उपयुक्त रिग मशीनों के न होने के कारण इसके स्थान पर दूसरा नलकूप अब तक नहीं बन सका है।

*३—श्री हरिगेन राम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के भदोही, सुरियांवा, ज्ञानपुर, औराई तथा डीघ ब्लाकों में कितने-कितने नलकूप पिछले वर्ष (समय) से मंजूर होकर पड़े हैं

और न गड़ने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को देखते हुये शीघ्र ही स्वीकृत नलकूप लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

जिला वाराणसी के प्रश्न में उल्लिखित ब्लाकों में प्रस्तावित नलकूप, जो बनने शेष हैं, की संख्या निम्न है :—

	नलकूप
१—भदोही	२
२—सुरियांवा	६
३—ज्ञानपुर	४
४—औराई	४
५—डीघ	०

रिग मशीनों की कमी के कारण यह नलकूप पिछले वर्ष न बनाये जा सके। इन नलकूपों के निर्माण के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जा रहा है।

श्री हरिगेन राम—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस ट्यूबवेल की जगह दूसरा ट्यूबवेल बना कर उसे बन्द क्यों करवा दिया गया ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैं माननीय सदस्य को सूचना दे दूं कि इसमें दो प्रकार की व्यवस्थायें हैं। जो पुराने ट्यूबवेल्स हैं उनको अलग और जो नये हैं, जिनके लिये इस बजट में प्राविधान है उनको अलग लिया जाता है।

श्री हरिगेन राम—

जो १९ ट्यूबवेल्स पिछले साल के वहां मंजूर हो कर पड़े हैं क्या मंत्री जी उनको शीघ्र बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इस साल प्रदेश भर के लिये कुल ११९ नलकूपों का प्राविधान है। मैं समझता हूं कि ये नलकूप इस वर्ष लगना सम्भव न होगा, लेकिन जैसी योजना वाराणसी जिले में चल रही है उसमें यदि सम्भव हुआ तो उन पर विचार किया जायगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि वाराणसी जिले में कुल मिला कर ३२ ट्यूबवेल मंजूर किये गये थे पिछली योजना में जो अभी तक नहीं बनाये गये हैं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल की बहुत सी कमियों की मुझे जानकारी है।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष सिंचाई विभाग के पास कितनी रिंग मशीनें हैं जो काम कर रही हैं ? क्या कुछ ऐसी मशीनें भी हैं जो ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मेरी सूचना में दस रिग मशीनें ऐसी हैं जो व्यवस्थित रूप से काम कर रही हैं। यद्यपि मशीनें पुरानी हैं। काफी अच्छा मैन्टेन करने पर ही चलती हैं। पांच रिंग मशीनें ऐसी हैं जो कभी काम करती हैं और कभी नहीं करती हैं। शेष काम करने लायक नहीं हैं।

श्री भग्गूराम (उपनाम भृगुनाथ)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपया विश्व बैंक से बनारस के ट्यूबवेलों को दिया जाता है, उन ट्यूबवेलों की संख्या क्या है ?

श्री टम्बरश्वर प्रसाद—

लगभग चार सौ।

श्री चन्द्रशेखर—

जैसा कि माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया कि रिग मशीनों की कमी के कारण ट्यूबवेलों के बनने में दिक्कत पड़ रही है, तो क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि रिग मशीनों में सबसे अच्छी ज्वाय रिग है जो सात सौ फीट तक की बोरिंग भी सक्षम तरीके से करती है। उस रिग मशीन के कल पुर्जे खराब करके वहां के चीफ इंजीनियर से किसी अधिकारी ने नीलाम कराने के आदेश ले लिये हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है मुझे उसके विषय में जानकारी नहीं है। जांच जरूर करवा लेंगे।

श्री राममूर्ति—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री ने ऐसे नये पुर्जों का आविष्कार किया है कि जिनसे मशीनें जब चाहें तब चलती हैं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मशीनें इतनी पुरानी हो गई हैं कि पूरी मेन्टीनेंस की जाती है तभी चल पाती हैं।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिग मशीनों की बहुत कमी है और आज सिंचाई की बहुत जरूरत है। तो क्या मंत्री जी हर एक जिले में एक रिंग मशीन देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री टम्बरश्वर प्रसाद—

ये जो रिंग मशीनें हैं जो भारतवर्ष में बन जाती हैं उनकी कोई कमी नहीं है। जो मशीनें गहराई तक बोरिंग करती हैं और जो विदेशों से ही मंगानी पड़ती हैं उनकी कमी है। इस वर्ष फारेन एक्सचेंज संक्शन हुआ है और हम कुछ मशीनें मंगवा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम इसके लिये शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था कर सकेंगे।

श्री राममूर्ति—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो छोटी मशीनें आई हुई हैं उनके बेसिन पाईप और एक्सेसरीज डिपार्टमेंट के पास नहीं हैं। ज्यादातर मशीनें खराब पड़ी हैं जिससे विस्तार नहीं हो रहा है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

यह सूचना मंत्री जी जल्दी दे देते तो आभारी होता।

श्री गेंदासिंह—

क्या यह सही है कि रिंग मशीनों की कमी है और बार बार मांग करने पर भी रिंग मशीनों की व्यवस्था नहीं हो पाई है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

३ महीने में, जैसा कि पहले बताया, बहुत से कामों का अनुभव हुआ है। यह सही है कि रिंग मशीनें इतनी पर्याप्त नहीं हैं जितनी होनी चाहिए।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि बनारस की ७ रिंग मशीनों को बाहर मंगा लिया गया और कैसिंग पाइप को बोरिंग के लिए बाहर भेजा गया ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इस समय जो अच्छी स्थिति में हैं वह केवल १० रिंग मशीनें हैं। तो मेरी सूचना है कि एक-एक, दो-दो करके जहां काम चल रहे हैं वहां लगायी गयी हैं। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कैसिंग पाइप की हमारी स्कीमों में कोई कमी थी।

*४-५—श्री जंगबहादुर (जिला बाराबंकी)—

[७वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ३-४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मुसाफिरखाना तहसील में गोमती नदी से पानी पम्प करने की योजना

*६—श्री प्यारेलाल तथा श्री जंगबहादुर—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गोमती नदी से नहर द्वारा सिंचाई करने हेतु सर्वे हुआ है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों का और सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा पाया गया ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

शारदा नहर प्रणाली में जल की मात्रा बढ़ाने के लिये गोमती नदी से पानी पम्प करने की योजना का सर्वेक्षण हुआ है। यह सर्वेक्षण सलेमपुर, मकनपुर, औसानेश्वर घाट तथा पूरे ऋषी नामक स्थानों पर हुआ है जिसमें सबसे उपयुक्त स्थान पुरे ऋषी, तहसील मुसाखिरखाना जिला सुल्तानपुर पाया गया।

श्री जंगबहादुर—

जो गोमती नदी से मुसाफिरखाने के पास नहर निकाली जा रही है उस में कार्य कब आरम्भ होगा और कितने एकड़ की सिंचाई की योजना है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

केन्द्र ही इसको करता है और उन की स्वीकृति के लिए भी योजनायें जाती हैं। स्वीकृति मिलने पर शीघ्र कार्य आरम्भ करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री शराफतहुसैन रिजवी—

यह सर्वे कहां का कराया गया है और इस में प्रान्त और केन्द्र का कितना कितना पैसा होगा ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इस की लागत साढ़े चार करोड़ रुपया होगी और उस में किसका कितना पैसा होगा, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राममूर्ति--

इस नहर की क्षमता क्या होगी ?

श्री टम्बरइवर प्रसाद--

६०० क्युसेक्स ।

श्री ऊदल--

सर्वे में नहर काट कर निकालने की बात तय हुई है या पानी के स्तर को उठाकर निकाली जायगी ?

श्री टम्बरेइवर प्रसाद--

लिफ्ट व्यवस्था का ही उपयोग किया जायगा ।

श्री जंगबहादुर--

इस नहर से कितने घन फुट पानी मिलेगा और कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी, क्या इसका भी सर्वे कराया गया है ?

श्री टम्बरेइवर प्रसाद--

सब बातों को ध्यान में रखते हुये मैं ने बतलाया कि ६०० क्युसेक्स जल निकासी की नहर बनेगी जैसी कि प्रणाली इसमें अपनायी जा रही है ।

चन्द्रप्रभा तथा कर्मनाशा नदी के बांधों से सिंचाई

*७--श्री चन्द्रशेखर--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिला अन्तर्गत चन्द्रप्रभा तथा कर्मनाशा बंधे के पानी की क्षमता क्या है और प्रति वर्ष इस से कितनी सिंचाई की जा सकती है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख--

वाराणसी जिले के अन्तर्गत चन्द्रप्रभा बांध जो केवल स्टोरेज जलाशय है, जिस में से कोई नहर नहीं निकाली गयी है मुजफ्फरपुर वीयर को पानी देता है इस में पानी की क्षमता ३३२ करोड़ घनफुट तथा मुजफ्फरपुर वियर की पानी की क्षमता ९.९ करोड़ घनफुट है, अतएव कुल क्षमता ३४१.९ करोड़ घनफुट है ।

कर्मनाशा नामक कोई बांध नहीं है लेकिन कर्मनाशा नदी पर मैसोरा बांध, नौगढ़ बांध मूसाखंड बांध तथा लतीफशाह बांध है जिन की कुल मिलाकर पानी की क्षमता ७८५.० करोड़ घनफुट है ।

चन्द्रप्रभा बांध तथा मुजफ्फरपुर वीयर की प्रस्तावित वार्षिक सींच ३६,००० एकड़ है तथा कर्मनाशा नदी पर निर्मित उक्त बांधों की प्रस्तावित वार्षिक सींच १,८३,५१८ एकड़ है ।

श्री चन्द्रशेखर--

क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतलायेंगे कि इन जलाशयों से कितनी लम्बी नहरें निकाली गयी हैं और उनकी सिंचाई की क्षमता क्या है ?

श्री टम्बरेइवरप्रसाद--

चन्द्रप्रभा बांध केवल स्टोरेज जलाशय है तथा मुजफ्फरपुर वीयर जिस को यह बांध पानी देता है चन्द्र प्रभा नदी पर स्थित है । इस से खरीफ और रबी में क्रमशः २५,२०० एकड़ में

व १०,८०० एकड़ में सींच प्रस्तावित है। इन दोनों जलाशयों का पानी मुख्यतः निकोइया तथा बबुरी नहर से चलता है।

श्री चन्द्रशेखर--

मैंने यह पूछा था कि कितनी लम्बी नहरें निकाली गयी हैं और उनकी क्षमता क्या है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

सिंचाई की प्रस्तावित क्षमता मैंने बता दी। लम्बाई के लिये सूचना चाहिये।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जमनिया तहसील में जो पम्पसेट लगाने की स्कीम थी जो सरकार के विचाराधीन चल रही थी क्योंकि वहां पानी की बहुत कमी थी, उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

इस क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए कोई व्यवस्था विचाराधीन नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर--

क्या माननीय मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मान कर कि ९०० मील लम्बी नहरें इस जलाशय से निकाली गयी हैं लेकिन उन की सिंचाई की क्षमता बहुत कम है, उस को ठीक कराने के प्रश्न पर विचार करेंगे ताकि पानी देने की व्यवस्था ठीक हो जाय ? और क्या भुपौली और जमानिया लिफ्ट इरिगेशन योजना विचाराधीन है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

यह विचाराधीन है, यह बात ठीक है, इस में ऐसा है कि सिंचाई की कास्ट बहुत ज्यादा आ रही है। फिर भी यह प्रश्न विचाराधीन है कि इसको दुरुस्त किया जाय।

मड़ियाहूं नहर शाखा से सिंचाई

*८—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ जनपद की मड़ियाहूं शाखा, इस वर्ष न खरीफ में और न रबी में पानी दे पायी जिस से धान की फसल सूख गयी एवं रबी की फसल एक बार भी सींची न जा सकी ?

श्री रामप्रसाद देशमुख--

यह सही नहीं है कि मड़ियाहूं शाखा पिछली खरीफ तथा रबी में बिलकुल पानी नहीं दे पायी। इस नहर तथा इस की प्रशाखाओं से जिला प्रतापगढ़ में १९६६-६७ की खरीफ तथा रबी की फसलों में ९,३८२ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई हुई।

यह सत्य है कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश भर में घोर सूखा पड़ जाने से शारदा नदी में पानी की बहुत कमी हो जाने के कारण यह नहर अपनी क्षमता के अनुसार सिंचाई नहीं कर पायी।

श्री रामदेव—

क्या माननीय सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि रबी और खरीफ की फसलों को एक बार ही पानी मिला है, मगर किसानों से पूरा लगान वसूल किया गया है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मेरी सूचना यह है कि करीब ३ हजार ७२२ एकड़ में सिंचाई हुई जिसमें से ८०९ एकड़ में सिंचाई में छूट दी जाने का प्रश्न विचाराधीन था। बाकी हिस्से में हम समझते हैं कि सिंचाई उपयुक्त पहुंची होगी, इसलिए छूट नहीं दी गयी।

श्री रामदेव—

माननीय मन्त्री जी ने यह स्वीकार किया है कि लगातार दो वर्षों तक सूखा पड़ा है और पूर्ण क्षमता से नहरों ने पानी नहीं दिया है, फिर पूरा लगान कैसे लिया जा रहा है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैंने अभी बताया कि ८०९ एकड़ में सिंचाई में छूट देने की बात है। अगर कोई विकास खंड ऐसा है जहां यह छूट नहीं मिली है, और वहां नुकसान हुआ है, तो माननीय सदस्य उस की निश्चित सूचना दें, उसको देख लिया जायगा।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

८–१० साल पहले जो नियम था कि सिंचाई विभाग एक लिखित नोटिस देता था लगान वसूल करने से पहले, क्या उसे अब खत्म कर दिया गया है ? मेरी सूचना यह है कि अब कोई नोटिस आदि नहीं दिया जाता, बगैर नोटिस के लगान वसूल किया जाता है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जो प्रथा थी, वही अब भी है। माननीय सदस्य को शायद कुछ भ्रम है।

श्री माताप्रसाद—

क्या माननीय सिंचाई मन्त्री जी नियमों में कोई ऐसा परिवर्तन करेंगे कि अगर नहरों से एक पानी दिया जा सके तो उसी हिसाब से कर वसूल किया जाय ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

सरकार इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि जल की क्षमता बढ़ायी जाय, लेकिन कोई छूट आदि देने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

गोरा एवं शिवगढ़ ब्लाक में नलकूप सर्वेक्षण

*९—श्री रामदेव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत गोरा एवं शिवगढ़ ब्लाक में ट्यूब वेल बैठाने की उपयुक्तता हेतु सरकार की ओर से कोई सर्वे हुआ था ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

जी हां, इस क्षेत्र का प्रारम्भिक सर्वेक्षण १९६५ में किया गया था।

श्री रामदेव—

क्या मन्त्री जी सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सदन में बतायेंगे ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

ऐसा पता चला है कि शिवगढ़ ब्लाक में १० और गोरा ब्लाक में २ नलकूप बनाने के लिए क्षेत्र उपलब्ध है।

श्री रामदेव--

क्या सिंचाई मन्त्री जी को पता है कि शिवगढ़ ब्लाक में इस समय केवल एक नलकूप है जो जर्जर अवस्था में है और गौरा ब्लाक में एक भी नलकूप नहीं है और दोनों ब्लाकों की ७० फीसदी भूमि असिंचित है ? यदि हां, तो क्या वहां नलकूप शीघ्र लगवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जिले की कमेटी को हम नलकूप दे देते हैं और जहां वह उपयुक्त समझेंगे वहां बनाये जावेंगे। माननीय सदस्य की प्रार्थना वहां भेज दी जायगी।

न्योतनी में बस सर्विस की मांग

*१०—श्री श्रीराम तिवारी--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि जो प्राइवेट बसें हसनगंज—उन्नाव तथा मोहान—उन्नाव मार्ग पर चलती हैं वे न्योतनी होकर उन्नाव नहीं जाती हैं जिस से ग्राम न्योतनी की जनता को उन्नाव आने जाने में असुविधा होती है ? क्या मन्त्री जी कृपया उक्त बसों को न्योतनी होकर उन्नाव जाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रुस्तम सैटिन--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री श्रीराम तिवारी--

क्या मन्त्री जी न्योतनी तक बस चलाने का आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री रुस्तम सैटिन--

५ अगस्त को आर० टी० ए० की मीटिंग में इस पर विचार होगा।

फर्रुखाबाद जिले के किसानों का नहर सम्बन्धी पत्र

*११—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मौजा जनखत, उमान मुसौली जिला फर्रुखाबाद के काश्तकारों का कोई प्रार्थना पत्र लोअर गंगा कैनाल, कानपुर की दाहिनी पटरी पर ९० मील ४ फर्लांग पर बचनरी को पक्का कराने के सम्बन्ध में दिनांक २९ अप्रैल, १९६७ को अधिशासी अभियन्ता कानपुर को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

प्राप्त सूचना के अनुसार कानपुर खंड में ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

*१२—श्री शिवलाल—

[८वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया]।

बस स्टेशन, कौड़ीराम

*१३—श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के बस स्टेशन कौड़ीराम की दैनिक औसत आमदनी क्या है और क्या यह सही है कि दिनांक २३ तथा २४ जून, १९६७ को उक्त बस स्टेशन का बुकिंग आफिस बन्द था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रुस्तम सैटिन—

दैनिक औसत आय रु० ४३९.७२ पैसा है। २३–६–६७ को इस स्टेशन का बुकिंग बन्द था, पर २४–६–६७ को आंशिक रूप से बन्द था क्योंकि एक परिचालक की सेवाएं २०–६–६७ से समाप्त कर दी गयी थीं। दूसरे उसी तारीख से बिना सूचना बैठ गये थे, तथा तीसरे ने २३–६–६७ को अचानक डाक्टरी प्रमाण-पत्र पर छुट्टी का प्रार्थना पत्र भेज दिया।

श्री अश्वनी कुमार—

क्या यह सही है कि इस बस स्टेशन के इन्चार्ज जो ५, ६ साल से वहीं हैं, के व्यवहार से क्षुब्ध होकर इन कर्मचारियों ने जानबूझकर बस स्टेशन बन्द किया ?

श्री रुस्तम सैटिन—

यह सच नहीं है।

श्री अश्वनी कुमार—

क्या मन्त्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे कि वह बस स्टेशन पहले भी आंशिक रूप से बन्द रहा है ?

श्री रुस्तम सैटिन—

अगर माननीय सदस्य कोई निश्चित घटना बतावें तो जांच करावेंगे।

नैनीताल जिले में कोसी नदी पर बैरेज निर्माण योजना

*१४—श्री रामदत्त (जिल नैनीताल)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले की रामनगर तहसील के अन्तर्गत कोसी नदी पर बैरेज निर्माण की योजना के कार्यान्वित होने के विलम्ब के क्या कारण हैं और उपरोक्त निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

यह योजना अभी सरकार के विचाराधीन है।

*१५—श्री रामदत्त—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त बैरेज पर ही पुल निर्माण की योजना विचाराधीन है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

जी नहीं।

श्री रामदत्त—

कोसी नदी पर बैरेज बनाने की योजना कब से विचाराधीन है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामदत्त—

क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि कोसी पर पुल न होने से मिलिटरी महत्व की सड़क टनकपुर-हरिद्वार रोड में बाधा है और उस के महत्व को देखते हुए भी उसे बनाने का विचार क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

हम इसे बनवाने का प्रयत्न करेंगे ।

बस्ती जिले में बन्द नलकूप

*१६—श्री जैदत्तसिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नलकूप नं० १९ व ३३८ डुमरियागंज (बस्ती) कितने दिनों से बन्द है और अब तक इसे ठीक न कराने के क्या कारण हैं ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

राजकीय नलकूप संख्या १९, डुमरियागंज (बस्ती) अधिक रेत देने के कारण मई १३, १९६७ से बन्द है । इसे ठीक करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं । डुमरियागंज ग्रूप में ३३८ नम्बर का कोई राजकीय नलकूप नहीं है ।

श्री जैदत्तसिंह—

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ढाई महीने के बाद भी ठीक नहीं हुई, तो कब तक ठीक हो जाने की आशा है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इसके पुर्ननिर्माण पर विचार कर लेंगे ।

मंझनपुर तहसील को बिजली न मिलना

*१७—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर में विद्युत प्रसार की योजना कब से चालू की जायेगी तथा कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

जिला इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर के विद्युतीकरण की अभी कोई योजना नहीं है । पूर्ण होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या मन्त्री जी अपने ज़माने में ही इसे पूरा करने की कृपा करेंगे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

शिक्षक जी प्रयत्न करें, हम भी सहायता करेंगे ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि चुनाव के पहले वहां बिजली पहुंचाने का वायदा सरकार ने किया था ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

उस समय की सरकार ने झूठा वायदा किया, ऐसा लगता है ।

अमौली व खजुहा विकास खण्ड में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*१८—श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अमौली व खजुहा विकास खंड जिला फतेहपुर में ट्यूबवेल बनाने की इस वर्ष योजना है ? यदि हां, तो कहां कहां पर और कब तक पूर्ण होन की आशा है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

प्रथम भाग---जी नहीं ।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता ।

*१९---श्री प्रेमदत्त---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जमुना और रिन्द नदी अमौली खजुहा ब्लाक के इलाकों के आस पास की भूमि की सिंचाई सम्बन्धित जो योजना सरकार के विचाराधीन है वह कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

अमौली और खजुहा ब्लाक में रिन्द व यमुना नदी के बीच दोआब में राम गंगा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत दो नयी माइनर व तीन माइनरों का बढ़ाव प्रस्तावित है । इन पर कार्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में किये जाने की आशा है ।

श्री प्रेमदत्त---

अमौली विकास खंड में सूखा होने के कारण क्या वहां जल्दी ट्यूब वेल लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

इस पर विचार कर लेंगे ।

श्री प्रेमदत्त---

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कब तक हो जाने की आशा है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

माइनरों के निर्माण में हम कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने का प्रयास कर रहे हैं ।

गोंडा जिले में सिंचाई साधन बढ़ाने की मांग

*२०---श्री सुखदेव प्रसाद, सरदार बलदेव सिंह, श्री रामदेव मिश्र तथा श्री राम दुलारे (जिला गोंडा)---

क्या सिंचाई मन्त्री बलरामपुर, तुलसीपुर, जिला गोंडा ९ मई, १९६७ को दौरे पर गये थे, तो सिंचाई के लिए राजकीय नलकूप लगाने, बन्धी बनाने तथा बिजली कनेक्शन दिलाने की मांग व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक रूप से मांग हुई थी ? तो सरकार उस पर क्या करने जा रही है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

जी हां ।

दोनों क्षेत्रों में नलकूप लगाने की सम्भावना पर विचार हो रहा है ।

बन्धी बनाने के सम्बन्ध में कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है ।

जहां तक बिजली कनेक्शन दिलाने का प्रश्न है, यह कार्यवाही तो आवश्यकतानुसार यथा सम्भव की ही जाती है ।

श्री सुखदेवप्रसाद---

९-५-६७ को तुलसीपुर में मन्त्री जी ने मशीनों से अनुसंधान के रूप में ट्यूबवेल लगवाने का प्रयत्न करने का आश्वासन जनता को दिया था ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

जी हां, अनुसंधान कराके नलकूपों को बोरिंग का प्रयत्न करेंगे।

धनौली माइनर से पानी न मिलने की शिकायत

*२१--श्री हरिहरनाथ अग्रवाल (जिला आगरा)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लोअर कैनाल डिवीजन, आगरा द्वितीय उपखण्ड की धनौली माइनर को वर्ष, १९६६-६७ की रबी की फसल में कुल कितने दिन पानी दिया गया और कितने कितने दिन बन्द रही तथा बन्द रहने के कारण उक्त माइनर के क्षेत्र में अनुमान से पैदावार कितनी कम हुई ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

लोअर डिवीजन आगरा कैनाल, आगरा के द्वितीय उपखण्ड की धनौली माइनर को १९६६-६७ की रबी की फसल में कुल ६३ दिन पानी दिया गया और ११९ दिन बन्द रही। नहर रोस्टर से चलायी जाती है इसलिए बन्द रहने के कारण उक्त माइनर के क्षेत्र में अनुमान से पैदावार कम होने का प्रश्न नहीं उठता।

*२२--श्री हरिहरनाथ अग्रवाल--

[८वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

गोरखपुर जिले में सिंचाई साधनों की कमी

*२३--श्री वीरबहादुर (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में रोहिणी नदी पर बना बांध जो नारायणी नदी से अचानक बाढ़ आ जाने से जगह-जगह कट गया है तथा उससे हजारों एकड़ फसल प्रतिवर्ष नष्ट हो रही है, सरकार उसकी मरम्मत कराकर फसल को बचा लेगी ? यदि हां, तो शीघ्र ही कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

जी नहीं, क्योंकि यह बांध सिंचाई विभाग द्वारा नहीं बना था और न उसकी देख-रेख ही इस विभाग द्वारा होती है।

*२४-श्री वीरबहादुर--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में कैम्पियरगंज ब्लाक में रावतगंज, महावनखोर जंगल विहुली, इन्द्रपुर तथा कल्याणपुर ग्राम सभाओं में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है ? क्या सरकार वहां ट्यूबवेल लगाकर इन्हें सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

जी हां, प्रश्नगत ग्राम सभाओं में सिंचाई की सुविधा नहीं है। वहां निकट भविष्य में नलकूप लगाने की कोई योजना नहीं है। क्योंकि वहां नलकूपों की क्षमता का समुचित सदुपयोग की सम्भावना न होने के कारण नलकूपों का निर्माण व्यवहार्य नहीं है। यह क्षेत्र निजी अल्प सिंचाई साधनों के लिए अधिक उपयुक्त है।

नोट:--तारांकित प्रश्न २० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

मड़ियाहूं क्षेत्र में नलकूप

*२५—श्री राजकिशोर (जिला जौनपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के मड़ियाहूं निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड रामनगर और विकास खण्ड मड़ियाहूं में १९६६–६७ में कितने नलकूप लगाए गए हैं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जौनपुर जिले के रामनगर विकास खण्ड में गत वर्ष १९६६–६७ में दो राजकीय नलकूप लगाए गए। मड़ियाहूं विकास खण्ड नहरी क्षेत्र है अतः वहां उक्त वर्ष में कोई नया राजकीय नलकूप नहीं लगाया गया।

*२६—श्री कल्पनाथसिंह—

[८वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

फतेहपुर सीकरी तहसील के लिये नलकूप

*२७—श्री रघुनाथ सिंह (जिला आगरा)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि आगरा जिला की तहसील किरावली के फतेहपुर सीकरी तथा अछनेरा ब्लाकों के खाली क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा ट्यूबवेलों की स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो कितने और उनको कब तक लगाने का विचार है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

प्रथम भाग—जी नहीं।

दूसरा भाग—प्रश्न नहीं उठता।

फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के लिये नहर

*२८—श्री रघुनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया यह बताएगी कि राजस्थान की उटगन नदी जो तहसील किरावली के क्षेत्र से गुजरती है, को रोक कर फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के लिए नहर निकालने के लिए कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक कार्यान्वित की जायगी और उससे कितने एकड़ क्षेत्र को लाभ होगा ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

प्रदेश में उटगन नदी को रोक कर नहर निकालने की कोई योजना नहीं है।

उन्नाव जिले के लिये बिजली

*२९—श्री लाखन (जिला उन्नाव)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के नवाबगंज, पुरवा, हसनगंज न्योतिनी तथा मोहान कस्बे में बिजली कब तक पहुंच जायगी तथा क्या सिंचाई के लिए नलकूप लगाने के लिए इन कस्बों को निकटवर्ती ग्रामों को बिजली दी जायगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

उन्नाव जिले के नवाबगंज, पुरवा, हसनगंज, न्योतिनी तथा मोहान कस्बों का विद्युतीकरण अभी सम्भव नहीं है।

नवाबगंज, पुरवा और मोहान कस्बों के आस पास बिजली की लाइन पहुंच गई है और उक्त लाइनों के समीप सिंचाई के लिए विभागीय नियमों के पूर्ण होने के पश्चात् उपभोक्ताओं को बिजली दी जा सकती है।

कटेहर परगने में सिंचाई

*३०--श्री हिम्मत बहादुर (जिला वाराणसी)--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं से एक माइनर वाराणसी जिले के कटेहर परगने के कुछ ग्रामों की सिंचाई की व्यवस्था के लिए बनाई गई थी ? उससे सिंचाई की जाती है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो किसानों को उपजाऊ भूमि व सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है उसे रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है तथा इस क्षेत्र की सिंचाई के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

जी हां। वाराणसी जिले के परगना कटेहर में पड़ने वाले ग्रामों की सिंचाई के लिए तीन माइनरें मड़ियाहूं ब्रांच की केराकत राजबहा से बनाई गई हैं जिनसे सिंचाई होती है। किन्तु पिछले दो वर्षों में प्रदेश भर में घोर सूखा पड़ जाने के कारण तथा शारदा नदी में पानी की बहुत कमी हो जाने के कारण यह नहरें अपने प्रस्तावित क्षेत्र से बहुत कम सिंचाई कर पाईं। अतएव ऐसी परिस्थिति में इन नहरों पर व्यय किए गए धन के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

निघासन तहसील में बिजली

*३१--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील निघासन जिला खीरी में निघासन की ओर से बिजली, परगना फीरोजाबाद तथा धौरहरा में लाने की कोई योजना है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

इस वर्ष तहसील निघासन से परगना फीरोजाबाद तथा धौरहरा तक बिजली ले जाने की कोई योजना नहीं है।

*३२--श्री जगन्नाथ प्रसाद--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि किसानों को ट्यूबवेल लगाने के लिए कब तक बिजली उपलब्ध हो सकेगी ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

इस ओर लाइनें बन जाने पर ही ट्यूबवेलों के लिए बिजली देना सम्भव होगा।

जौनपुर जिले में नलकूप

*३३--श्री राम समझावन (जिला जौनपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिलान्तर्गत डोमी ब्लाक में बरडीहा अमरौना, कोइलारी कछवन्द, बलरामपुर तथा केराकत ब्लाक के अन्दर सरौनी, अमहित और मुफ्तीगंज ब्लाक के अन्दर विजइपुर पेसारा में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल कब तक लग जायगा ? क्या उपरोक्त स्थानों का इस हेतु सर्वे भी किया जा चुका है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

जौनपुर जिलान्तर्गत प्रश्न गत ग्रामों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा चुका है जिसके आधार पर डोमी ब्लाक के ग्राम कोइलारी, केराकत ब्लाक के ग्राम सरोनी और मुफ्तीगंज ब्लाक

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद]

के ग्राम विजयीपुर में नलकूप लगाना सम्भव प्रतीत होता है। अभी इन स्थानों पर नलकूप लगाने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। सीमित कार्यक्रम और बड़ी मांग के कारण पूर्वता क्रम के अनुसार प्रदेश में नलकूप लगेंगे।

प्रश्न गत शेष ग्रामों में नलकूप लगाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

*३४—श्री रामसमझावन—

[७वें सोमवार के लिए प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सगड़ी तहसील में सिंचाई

*३५—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले में सगड़ी तहसील के वे भाग जो टांडा पम्पनहर के कप्तानगंज, डी० वाई० कपसा डी० वाई० व कुम्हवट डी० वाई० के टेल पर पड़ते हैं सुचारु रूप से पानी देने के लिए नहर के किनारे नलकूपों का निर्माण कराकर नहर को पानी के अभाव में भी चालू रखने की कोई योजना है?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

कुम्हवट नामक डी० वाई०, टांडा पम्प नहर की कोई उपशाखा नहीं है।

नलकूप लगाने की योजना नहीं है परन्तु टांडा पम्प नहर के हेड पर पम्प बढ़ाए जा रहे हैं जिससे टेल पर पानी की कमी न रहे।

निगोही ब्रांच नहर काटने वालों के खिलाफ कार्यवाही

*३६—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार मुहम्मद रफी खां, सदस्य, विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६७ के पहले मंगलवार के प्रश्न ३२ के सम्बन्ध में इस बात की जांच कराने की कृपा करेगी कि उन गांवों में कोई आबपाशी नहीं की गई है बल्कि नहर वालों ने एक नाले में पानी भर दिया और उसकी वजह से उन गांवों के सैकड़ों काश्तकारों की फसलें तबाह हो गईं और हो रही हैं?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

यह सत्य नहीं है कि श्री मुहम्मद रफी खां द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या ३२ में उल्लिखित गांवों में निगोही ब्रांच की कटिंग के द्वारा आबपाशी नहीं की गई। तावान की जांच के समय काश्तकारों के बयानों से सिंचाई होना सिद्ध होता है। यह भी सत्य नहीं है कि नहर वालों ने स्वयं नहर काट कर नाले में पानी भर दिया। काश्तकारों की फसलें तबाह नहीं हुई हैं और न हो रही हैं।

*३७—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार यह आबपाशी माफ करके उन काश्तकारों के नुकसान का मुआवजा देने की कृपा करेगी?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

आबपाशी माफ करने या काश्तकारों को मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

*३८-३९—श्री सरदारसिंह, श्री ऊदल तथा श्री रघुवीर—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिए गए।]

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, १९६७

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मुझे सदन को यह सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, १९६७, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा १३ जुलाई, १९६७ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २४ जुलाई, १९६७ को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री भीमा प्रसाद द्वारा संयुक्त विधायक दल में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को एक सूचना देना है। माननीय भीमा प्रसाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा मुझे एक पत्र २४ जुलाई, को मिला है। यह बहुत लम्बा पत्र है, उसके आखीर में इस प्रकार है—"मैं आपके द्वारा आदरणीय सदन को अन्तिम रूप से सूचना देता हूं कि पूर्ववत् मैं संसोपा का विधायक तथा संविद का सदस्य रहूंगा।"

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने इससे पहले भी आपको कोई पत्र दिया था क्या? अगर वह दिया था तो वह किस प्रकार का था? यह पत्र आखिरी है, पहला अथवा बीच का है?

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप यह बताने की कृपा करें कि श्री भीमा प्रसाद जी ने अपने पत्र में क्या यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस वालों ने उनके ऊपर दबाव डाला संसोपा छोड़ने के लिए?

श्री अध्यक्ष—

मुझे थोड़ा खेद होता है इन सारी बातों को बताते हुए। मैं कई बार यह कह चुका हूं कि यह सदन की गरिमा और महिमा के प्रतिकूल है। इस लिए मैंने जानबूझकर इस बारे में केवल इतनी ही सूचना सदन को दी थी किन्तु एक माननीय सदस्य ने पूछा कि पहला पत्र क्या है और दूसरे ने पूछा कि उसमें क्या लिखा है। तीनों पत्र मेरे पास आए हैं, मैं उनको पढ़े देता हूं। इसमें सुख अनुभव नहीं होता कि किसी माननीय सदस्य का कभी एक फैसला आता है तो कभी दूसरा। अब मैंने यह निश्चय किया है कि भविष्य में मेरे पास जो पार्टी बदलने की सूचनाएं आयेंगी उनको मैं उस दिन नहीं सुनाया करूंगा, कम से कम उनको सोचने के लिए २४ घंटे का समय दूंगा और उसको थोड़े समय के बाद सुनाया करूंगा।

खाद्य मन्त्री (श्री झारखंडे राय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस सदन का कोई विशेष आग्रह नहीं है इस लिए कृपा करके आप उस पत्र को न पढ़े क्योंकि उसके पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं मालूम होती।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास २१ जुलाई, १९६७ को श्री भीमा प्रसाद जी का एक पत्र आया जिसमें उन्होंने लिखा कि निर्दलीय सदस्यता को त्याग कर पुनः संविद में सम्मिलित हो रहा हूं। सूचनार्थ

[अध्यक्ष—]

निवेदन है। सदन में घोषित करने की कृपा करें। यानी २१ जुलाई, को ही सुबह या शाम को यह आया था और उसमें उन्होंने बहुत सी बातें लिखी थीं जिन को मैं नहीं पढ़ रहा हूं माननीय झारखंडे राय जी के परामर्श को स्वीकार कर के। उस में आखिर में है कि मेरा पहला निश्चय अटल है अतः आज के मेरे पत्र को रद्द समझा जाय और सदन में मेरे पुनः संसोपा में जाने की घोषणा न की जाय और अब मैं कांग्रेस दल में सम्मिलित हो गया हूं। उसके बाद अब यह २४ जुलाई को आया है। इस में लिखा है "अतः मैं आप के द्वारा अन्तिम रूप से सदन को सूचित करता हूं कि मैं पूर्ववत् संयुक्त विधायक दल का ही सदस्य रहूंगा। यह उनका कहना है।

मंत्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा हेतु तिथि निर्धारण

श्री अध्यक्ष—

अब मुझे एक दूसरी सूचना माननीय सदस्यों को अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में देनी है। कल मैंने सदन में कहा था कि मैं नेता सदन व नेता विरोधी दल से बात कर के बताऊंगा कि अविश्वास का प्रस्ताव कब लिया जाय और कितने समय के लिए लिया जाय। मैं उस के लिए २६ व २७ तारीख को २ दिन का समय निश्चित करना चाहता हूं।

न्याय मन्त्री (श्री श्यामलाल यादव)—

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपकी जो अन्तिम आज्ञा होगी वह शिरोधार्य होगी, लेकिन मेरा निवेदन है कि १६ जून से जब से यह बजट सदन में प्रस्तुत है उसके बाद से जनरल डिस्कशन के बाद प्रति दिन ही बराबर मांगों पर विचार हो रहा है और आज भी अनुदानों पर वोटिंग होगी और एप्रोप्रिएशन बिल पर भी वोटिंग होगी। काफी चर्चा सरकार के कामों पर एक मास से हो रही है, ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि इस बीच में कोई विशेष बात ऐसी हो गई है कि अविश्वास के प्रस्ताव पर अब भी दो दिन तक बहस चले। अगर आप को और नेता विरोधी दल को स्वीकार हो तो कल केवल एक दिन के लिए यह चर्चा रखी जाय और उसी दिन शाम को मतदान करा लिया जाय क्योंकि काफी चर्चा हो ही चुकी है और शायद ही कोई नई बात कहने को रह गई हो। हम तो मतदान का स्वागत करेंगे शीघ्रातिशीघ्र मतदान हो जाय और सदन की राय प्रकट हो जाय इसलिए मेरा आप से अनुरोध है कि एक दिन ही इस के लिए रखा जाय और जहां तक मेरा खयाल है पिछले साल भी अविश्वास के प्रस्ताव पर एक ही दिन का समय रखा गया था।

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल, क्या आप एक दिन का समय काफी समझते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)—

अध्यक्ष महोदय, लोगों का तो इधर आग्रह यह था कि यह जो अविश्वास का प्रस्ताव है इस की चर्चा के लिए कम से कम ३ दिन का समय रखा जाय। पुरानी परम्परा को देखते हुए भी कोई नई बात विरोधी दल नहींकर रहा है। जब-जब विरोधी दल यहां बैठा है समय पर उन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव को लाकर उस परम्परा का अनुसरण किया है जो विरोधी दल को करना चाहिए इसलिए मैं नहीं समझता कि यदि २ दिन भी बहस हो जाय तो उस में किसी को आपत्ति होनी चाहिए।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, यह अविश्वास का प्रस्ताव बजट पास होने से पूर्व ही आया है। मैं समझता हूं कि यह सदन की और सरकार की मर्यादा के अनुकूल होगा कि पहले अविश्वास के प्रस्ताव

पर बहस हो जाय, यह मर्यादा के अनुकूल न होगा कि बजट पास करने के फौरन बाद अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार हो जाय और उसके बाद बजट पर विचार किया जाय, इस विषय में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष---

अच्छा होता इस तरह का प्रश्न उठाने से पहले आपने नेता सदन से बात की होती क्योंकि कार्यक्रम के सम्बन्ध में मैं नेता सदन का परामर्श मांगता हूं। मैंने उन्हीं के परामर्श के अनुसार यह कार्यक्रम निश्चित किया है और इसी कारण से मैं अब उसमें हेरफेर नहीं कर सकता। अगर नेता सदन बजट पर वाद-विवाद के लिए किसी दूसरी तारीख को और अविश्वास के प्रस्ताव पर आज चर्चा की बात कहते तो मैं सोच सकता था, लेकिन अब वह प्रश्न हमारे सामने नहीं है।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रतापसिंह)---

श्रीमन्, हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कल ही यह कहा था कि जल्दी से जल्दी इस प्रस्ताव पर बहस होनी चाहिए, लेकिन माननीय गुप्ता जी ने पिछली परम्पराओं को दुहराया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि न तो हाउस आफ कामन्स में और न इस सदन में कोई ऐसा उदाहरण है कि बजट सेशन के बीच में इस प्रकार का प्रस्ताव आया हो। इस लिए मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक दिन की बहस काफी है। २० वर्षों का इतिहास बताता है कि बजट सेशन में कभी वोट आफ नो कान्फीडेन्स का प्रस्ताव पेश नहीं हुआ है। ट्रेजरी बैंन्चेज को इस बात का सौभाग्य है और हम इस बात का स्वागत करते हैं परन्तु जहां तक परम्पराओं का सवाल है, ऐसी कोई परम्परा नहीं रही है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

श्रीमन्, त्योरस साल जब यहां पर बजट की मांग पेश की गयी तो अविश्वास का प्रस्ताव आया और वह स्वीकार हुआ। जहां तक मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का सम्बन्ध है उसके पेज ३०३ पर दिया हुआ है कि इसके लिए ६ दिन मिलने चाहिए, लेकिन माननीय नेता विरोधी दल ने तो २ दिन का समय मान लिया है।

श्री अध्यक्ष---

मेरे विचार में २६ और २७ जुलाई को इसे ले लिया जाय।.....

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, मेरे विचार में आप इसे २७ और २८ को ले लें क्योंकि ज्योतिषियों ने इस बात को कहा है कि ये दोनों दिन इन को भी शुभ हैं और उनको भी शुभ हैं। इसलिए ज्योतिषियों की भी परीक्षा कर ली जाय कि वे कहां तक सच कहते हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैंने सदन के पंडितों की बात को भी सुना है और ज्योतिषियों की भी बात को सुना है, जिसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैंने आरम्भ में २६ और २७ को रखना चाहा था परन्तु अन्तिम रूप से जानबूझकर घोषणा नहीं की थी क्योंकि मैं जानना चाहता था कि सदन के किसी और पक्ष को तो कोई बात नहीं कहनी है। अब एक ही प्रश्न रह जाता है, एक दिन, २ दिन या ३ दिन। इसके विषय में मैंने पिछले समय के, जब-जब नो-कन्फीडेन्स के प्रस्ताव आए, सब रिकार्ड्स् निकलवाए और उनको देखा है। सन् १९५७ से ८-७ मौकों पर इसके लिए केवल २ दिन का समय रखा गया, २ या ३ मौकों पर ३ दिन का और एक मौके पर एक दिन का अवसर दिया गया। केवल एक मौके पर ४ दिन का समय दिया गया। इन सारी परम्पराओं को

[श्री अध्यक्ष]

देख कर और इस बात को ध्यान में रख कर कि बजट सेशन में सारी बातचीत हो सकती है, मैं समझता हूं कि इतने समय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं माननीय नेता विरोधी दल की भावनाओं का आदर करते हुए कि वे एक दिन को कम समझते हैं, बजट के बाद २ दिन इसके लिए अन्तिम रूप से निश्चित करता हूं और वे २ दिन २६ और २७ जुलाई होंगे, जिन दिनों इस पर वाद-विवाद होगा।

खाद्यान्नों तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के विषय पर खाद्य मंत्री का वक्तव्य

खाद्य मंत्री (श्री झारखंडे राय)—

मैं माननीय सदस्य श्री भोखालाल और श्री ऊइल का आभारी हूं कि उन्होंने जन जीवन की नितान्त आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों के सम्बन्ध में मुझे वक्तव्य देने का अवसर प्रदान किया। खाद्यान्नों, दालों और चीनी के मूल्यों में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है। यह बात सभी जानते हैं। इसके क्या कारण हैं और निराकरण के क्या उपाय हैं? राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं इन बातों की संक्षिप्त चर्चा मैं आज करूंगा।

यह मैं पहले इस सदन में कह चुका हूं कि यह विषय अखिल भारतीय है। सारे देश में उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान पर चढ़ते जा रहे हैं। इस समय मैं उत्तर प्रदेश की खाद्य स्थिति का ही वर्णन करूंगा।

उत्तर प्रदेश में १९६४-६५ में १५० लाख टन अन्न पैदा हुआ। १९६५-६६ में १३० लाख टन पैदावार रह गई। १९६६-६७ में ११६ लाख टन ही पैदावार हुई पिछले दो वर्षों में सूखा के कारण खाद्यान्नों, दालों और गन्ने की पैदावार में कमी, एक मुख्य कारण है ऊंचे मूल्यों का। इसके साथ ही मुद्रा के विस्तार का भी भारी प्रभाव है। बढ़ती हुई जन-संख्या, कम पैदावार और मुद्रास्फीति के कारण भावों में इतनी वृद्धि हुई है। कुछ लोग कहेंगे कि गेहूं की फसल इस वर्ष अच्छी हुई तो भी गेहूं का मूल्य बढ़ता जा रहा है। यह क्या बात है यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश में ४१ लाख टन से कुछ अधिक गेहूं इस वर्ष पैदा हुआ। जो गत वर्षों की पैदावार से अधिक है। परन्तु पहाड़ी क्षेत्रों में, बुन्देलखंड में, पूर्वी क्षेत्रों में, नदियों के कछारों में गेहूं की पैदावार कम हुई, पच्छिमी क्षेत्रों में पैदावार अधिक हुई। कमी के क्षेत्रों में अनाजों की इतनी कमी है कि वहां के व्यापारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की मंडियों से काफी मात्रा में गेहूं ले जाकर कमी के क्षेत्रों में बेंच रहे हैं। बाजारों में बरसात में अनाज मंडियों में कम आता है और मांग सदा अधिक बनी रहती है इस कारण भाव में तेजी है। हर वर्ष कुछ अन्न के भाव में तेजी वर्षा ऋतु में हो जाती है। इस वर्ष तेजी कुछ अधिक है।

बड़े किसान की आवश्यकता कुछ फालतू अनाज बेंचने से पूरी हो गई है, बाकी फालतू अनाज वह अपने पास रखे हैं। किसानों से कुछ फालतू अनाज लेने का सरकार ने प्रयास किया। खातों पर लेवी लगाकर २ लाख टन अनाज खरीदा। उसी अनाज के भंडार से स्थिति कुछ संभली हुई है। यदि सरकार के पास इस समय अनाज न होता तो क्या स्थिति होती यह बात सोचने की है। उत्तर प्रदेश को भारत सरकार से जो विदेशी गेहूं और माइलो का कोटा मिलता है उसको भारत सरकार ने १ लाख २० हजार टन प्रति मास से घटा कर ९० हजार टन कर दिया है। जुलाई का कोटा तो ८० हजार टन ही कर दिया था। राज्य सरकार के आग्रह पर ९० हजार टन किया है। परन्तु जुलाई में केवल लगभग ३० हजार टन की ही प्राप्ति हुई है। इस कमी की पूर्ति हम को अपने प्रदेश में खरीदे हुए गल्ले से करनी पड़ रही है। तभी इन सस्ते गल्ले की दुकानों को चलाते रहने में हम सफल हुए हैं।

राज्य सरकार ने जनता की कठिनाई को देखते हुए राशन की मात्रा एक किलो प्रति यूनिट पहली जुलाई से बढ़ा दी है। इसका भी प्रभाव मूल्यों में तेजी रोकने पर पड़ा है। यदि सस्ते गल्ले की दुकानों से अनाज जनता को उपलब्ध न होता तो न जाने कितना अधिक मूल्य अनाजों का हो जाता।

भारत सरकार को हम दोष नहीं दे सकते। स्वेज नहर का रास्ता बन्द हुआ। विदेशी अन्न के आने में देरी हुई जो जहाज जुलाई में आने वाले थे वह अब अगस्त में आयेंगे। आशा है पूरा कोटा मिलने पर स्थिति में कुछ सुधार होगा।

अनाज के व्यापारी अधिकतर बैंक से ऋण लेकर अनाजों का व्यापार करते हैं। अब बैंकों से कम ऋण मिलता है। महाजनों से २ रु० प्रतिशत प्रति मास सूद पर ऋण लेकर व्यापार चलाया जा रहा है। यह खर्च अनाजों के मूल्यों को प्रभावित करता है। पल्लेदारों की भी मजदूरी बढ़ी है, रेल का भाड़ा भी और ट्रकों द्वारा अनाज ले जाने का किराया भी। बोरों का भी मूल्य बढ़ा है। सेल्स टैक्स भी है। ऊंचे दामों पर व्यापारियों का कमीशन भी अधिक हो जाता है। यह भी कारण हैं भाव बढ़ने के। परन्तु इन कारणों से केवल दो-चार रुपये प्रति क्विंटल से अधिक मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता।

किसानों पर भी गेहूं की मात्रा रखने पर पाबन्दी लगायेंगे। परन्तु वर्षा ऋतु में यह पाबन्दी लगा कर इसको कार्यान्वित कराने में कुछ कठिनाइयां हैं। जब रबी की फसल बो दी जायेगी किसानों पर गेहूं रखने की मात्रा पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा और उसका कड़ाई के साथ पालन कराया जायेगा। अब पाबन्दी न लगाने का यह भी कारण है कि दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च में भी अन्न की आवश्यकता होगी। पूरे वर्ष का प्रबन्ध करना है न कि कुछ दिनों या महीनों का।

व्यापारियों के पास जो भी अनाज अनधिकृत रूप से कहीं इकट्ठा हो उसको निकालने के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी मैदानी क्षेत्रों में, मिर्जापुर जिले को छोड़ कर छापा मारने, तलाशी लेने, गल्ला जब्त करने मुकदमें चलाने का प्रबन्ध किया है। २१ जुलाई से यह कार्य आरम्भ हुआ। अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ३,२६८ जगहों पर तलाशी ली गई, ६२ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, ३२,३९७ क्विंटल अनाज बरामद किया गया। यह कार्यक्रम अभी चल रहा है।

अनाजों के मूल्य निर्धारण के सुझाव पर भी विचार किया गया। राज्य सरकार को मूल्य निर्धारण में कोई सैद्धान्तिक आपत्ति नहीं है। परन्तु व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने मूल्य निर्धारण के आदेश अभी नहीं दिये हैं। जब मांग के मुकाबले उत्पादन की कमी होती तो उपलब्धता बनाये रखना मूल्य से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उपलब्धता बनाये रखने के लिये ही सरकार ने मूल्य नियन्त्रण की नीति अभी नहीं अपनाई है। यदि नियन्त्रित मूल्य पर बाजार में गल्ला न आया तो क्या होगा? चोर बाजारी होगी, मूल्य और ऊंचे होंगे। मूल्य नियंत्रण से पहले सरकार के पास गोदामों में काफी गल्ला होना चाहिये ताकि न भी गल्ला बाजार में आये तो भी सरकार गल्ले की उपलब्धता बनाये रहे। मूल्य नियंत्रण के साथ ही व्यापारियों और किसानों से अनाज नियंत्रित मूल्य पर ले लेना भी मूल्य नियन्त्रण की नीति को सफल बनाने के लिये आवश्यक है। बरसात में किसानों के घर से अनाज नियन्त्रित मूल्य पर लेने में कठिनाई है। रास्ते ही बहुत से बन्द हैं। गल्ले के भीगने का डर है। यदि किसान गल्ला न दें तो बल का प्रयोग करना आवश्यक होगा। यह व्यवस्था वर्षा ऋतु में नहीं की जा सकती। अन्य भी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। परन्तु सबसे बड़ा कारण यही है कि अनाजों की उपलब्धता बनाये रखना सरकार आवश्यक समझती है और इस समय मूल्य नियंत्रण से यह शंका है कि बाजार में अनाज उपलब्ध न हो पायेगा।

[श्री झारखण्डे राय]

अनाज की उपलब्धता बढ़ाने के लिये राज्य सरकार ने पंजाब सरकार और भारत सरकार से बात की है। कुछ गेहूं उत्तर प्रदेश को पंजाब से जल्द ही मिलेगा। भविष्य में भी और अधिक गेहूं पंजाब से मिलने की आशा है।

अरहर उत्तर प्रदेश से बाहर जाने पर रोक लगाने के लिये भारत सरकार से सहमति प्राप्त नहीं हुई। भारत सरकार का कहना है कि इससे मदरास व अन्य प्रदेशों में दाल की उपलब्धता कम हो जायगी। सब बातों को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार की बात हमने मान ली है।

चीनी जो बड़े मिलों में बनती है उस पर प्रतिबन्ध है परन्तु जो क्रशरों में गन्ना पेर कर सलफीटेशन प्लान्ट से जो चीनी बनती है उस पर नियंत्रण नहीं है। वह चीनी भी दानेदार होती है। बड़े कारखानों से या चीनी का कोटा पाने वालों से चीनी की दुकानों से भी चीनी की चोरी की जाती है और बाजार में बिकती है। परन्तु यह पहचानना कठिन है कि कौन सी चीनी क्रशर की है और कौन सी चोरी की। चीनी की वितरण व्यवस्था पर नियंत्रण कड़ी निगरानी के आदेश सरकार ने जारी कर दिये हैं। भारत सरकार चीनी से नियन्त्रण हटाने की बात सोच रही है। इस कारण राज्य सरकार इस समय क्रशरों की चीनी पर नियंत्रण की बात नहीं सोच सकती। जैसे ही भारत सरकार की नीति स्पष्ट हो जायगी हम यह सोचेंगे कि चीनी के सम्बन्ध में क्या नीति रखी जाय।

जो कुछ मैंने कहा उससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार बढ़ते हुये मूल्यों के बारे में सजग है। जो कुछ भी उपाय हो सकते हैं वह अपनाये जा रहे हैं। कुछ विवशता है परिस्थितियों के कारण। ऊंचे मूल्यों की समस्या हल होगी उत्पादन बढ़ा कर, मुद्रा स्फीति घटा कर, सरकारी खरीद और वितरण व्यवस्था बढ़ा कर। मुद्रा स्फीति कम करने के लिये सम्भवतः भारत सरकार प्रयत्नशील है। यह विषय राज्य सरकार का नहीं है। उत्पादन बढ़ाने का प्रयास जारी है। वर्षा अच्छी होने से भी हमको सहायता मिली है। विदेशी गेहूं और माइलों की उपलब्धता और पंजाब गेहूं की कुछ उपलब्धता बढ़ने की आशा है। नई मक्का भी कहीं-कहीं बाजार में आने लगी है। यह समय धैर्य से संकट काल से गुजर जाने का है। हमें पूर्ण आशा है कि हमारी सरकार खाद्यानों की स्थिति में पर्याप्त सुधार कर पायेगी और जनता को सुखी व सम्पन्न बनाने में सफल होगी। कुछ समय दीजिये।

(श्री भीखालाल तथा अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय भीखालाल, मैं एक बात बता दूं तथा आपको स्मरण दिला दूं कि किस स्थित म यह वक्तव्य हो रहा है। कल जब यह विषय आया था तो मैंने भी मंत्री जी को बाध्य नहीं किया था और कहा भी नहीं था, माननीय सदस्य ने इच्छा प्रकट की और माननीय खाद्य मंत्री ने उसको स्वीकार कर लिया। एक तो शायद आपको आभारी होना चाहिये इस बात का और दूसरे इस बात का भी कि बहुत विस्तृत वक्तव्य आ गया। तो स्पष्टीकरण की सीमा तक एक-दो प्रश्न की अनुमति मैं दे दूंगा। माननीय भीखालाल जी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम ५१ में माननीय भीखालाल जी का जो प्रश्न था उसको आपने अस्वीकृत कर दिया था, लेकिन माननीय भीखालाल जी और माननीय झारखंडे राय जी में कुछ आपसी समझौता था और उन्होंने कहा था कि आप मंत्री जी से पूछ लें कि मंत्री जी वक्तव्य देना चाहते हैं या नहीं और उनके कहने पर माननीय मंत्री जी ने एक लम्बा चौड़ा वक्तव्य दे दिया जो बड़ा गलत वक्तव्य है। वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और जनता भूखों मर रही है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कृष्णानन्द राय जी, मैं इसको बड़ा अनुचित समझता हूं। हमेशा हमारा तरीका यह होना चाहिये कि किसी की नीयत पर शक करना उचित नहीं है। मैं समझता हूं माननीय भोखालाल जी ने एक सदस्य के कार्य निर्वहन में एक प्रयास किया। उसमें माननीय खाद्य मंत्री ने उनकी और दूसरे सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुये एक वक्तव्य देना स्वीकार कर लिया। उस कोई आक्षेप उचित नहीं है। लेकिन एक बात मैं समझता हूं कि यह जो वक्तव्य देने की प्रथा मैं डाल रहा हूं माननीय सदस्यों की इच्छा के अनुरूप यह कुछ बहुत लाभप्रद नहीं होगा। कभी-कभी जब लम्बे स्टेटमेंट आयेंगे तो मैं समझता हूं कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। उनकी सफाई के लिये प्रश्नों की आवश्यकता होगी। इस वक्त मैं पांच मिनट का समय देता हूं। इसमें जो स्पष्टीकरण करना चाहें उसकी मैं अनुमति दे दूंगा।

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)—

माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसमें बहुत सी बातें साफ हो गयीं। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं कि जो कवाल टाउन्स में या बड़े-बड़े नगरों में जो गल्ले के भंडार हैं जिनका अभी तक, जहां तक मेरा अनुमान है, सरकार का सप्लाई विभाग पता लगाने में असमर्थ रहा है, तो क्या उसमें कुछ सी० आई० डी० की सहायता या और कोई इन्टेलिजेन्स की सहायता लेने की सरकार सोचती है ताकि उन छिपे हुये भंडारों का पता लगाया जा सके ?

श्री झारखंडे राय—

मान्यवर, कुछ जगहों से इस बात की सूचना मिली है कि जैसा मैंने पहले भी कई बार सदन में इस बात की घोषणा की कि आज कल व्यापारी किसानों के पास बड़े पैमाने पर गल्ला रख रहे हैं। वह इसलिये कर रहे हैं कि शहर में अगर अपने गोदाम में रखेंगे तो अधिक सम्भावना इस बात की है कि किसी न किसी दिन पकड़ जांय और किसान के पास गल्ला कितनी ही मात्रा में रखने में कोई कानूनी पकड़ नहीं है। यह जो नयी प्रक्रिया हमारे पूरे राज्य भर में चल रही उसके कारण कई बार छापों में उतनी कामयाबी नहीं हुई जितनी कामयाबी की हम आशा करते थे। जो सदस्य ने सुझाव दिया है उसका हम स्वागत करते हैं, उससे हम लाभ उठाने की कोशिश करेंगे कि इन्टेलिजेन्स का भी इस्तेमाल उस कार्य में किया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय मंत्री जी ने कभी यह भी सोचने का प्रयास किया है कि जो यह समय-समय पर विधान सभा में और जनता में आप यह घोषणा करते हैं कि बढ़ते हुये मूल्यों का कारण बहुत अधिक करेन्सी का बाजारों में आना है, बैंक हैं और केन्द्रीय सरकार की नीतियां हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो मूल्य ३० जून को थे और जो भाव अभी चार दिन पहले थे उनमें २० रुपये प्रति क्विन्टल का फर्क पड़ गया। तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बीच में कोई नयी नीतियां निर्धारित कीं या कोई नयी करेन्सी प्रचलित की या माननीय खाद्य मंत्री को कोई ग्रैस्प मूल्यों पर नहीं है और केवल उनका एक अनर्गल प्रचार चल रहा है जिसके कारण भाव तेजी से प्रति सप्ताह बढ़ते चले जा रहे हैं ?

श्री झारखंडे राय—

मान्यवर, अनर्गल या बेअनर्गल की बात तो मैं नहीं कहना चाहता हूं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना उनको ही मुबारक हो, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं जैसा कि मैंने पहले भी अपने बयानों में कहा है और फिर इस पर जोर देता हूं कि यह तो आल इंडिया फेनामेनन है जिसके कारण कांग्रेस सरकार और नान कांग्रेस सरकार सब के यहां चीजों के भाव बढ़ रहे हैं। खुद दिल्ली में ही जहां केन्द्रीय सरकार स्थापित है, उसकी नाक के नीचे हर चीज के दाम बढ़ते

[श्री झारखंडे राय]

चले जा रहे हैं। तो इस पर सूबे के पैमाने पर प्रयास करने से कुछ नहीं होने का चाहे वह केरल या बंगाल का ही सूबा क्यों न हो, जब तक कि केन्द्रीय सरकार और सूबाई सरकारें मिल कर समन्वय पूर्वक सफलता के साथ उसे लागू न करेंगी।

आचार्य दीपंकर--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि पिछले साल जुलाई के आखिर में गेहूं का भाव ३०-३१ रुपये मन से ज्यादा नहीं बढ़ा था, लेकिन इस सीजन के आखिर में दिसम्बर तक गेहूं का दाम बढ़ते बढ़ते ६५-७० रुपये मन तक हो गया था। तो माननीय मंत्री जी कारण बतलाने की कृपा करेंगे कि इस साल जुलाई में गेहूं का दाम ६०-६२ रुपये मन हो गया, तो क्या नयी परिस्थिति पैदा हुई जिसके कारण यह हुआ ?

श्री झारखंडेराय--

मान्यवर, नयी परिस्थिति तीन हैं। जैसा कि मैंने अपने पूरे बयान में भी कहा है कि हमारे प्रदेश में पैदावार पिछले साल से बहुत कम हुई। हमारे प्रदेश की औसत पैदावार १३३ लाख टन होती है और हमारी औसत जरूरत १४२ लाख टन की है। ९ लाख टन की कमी तो हमेशा रहती है। इस साल चूंकि ११६ लाख टन की पैदावार हुई तो इस साल हमारी कमी २६ लाख टन की हो गयी। दूसरा यह कि पंजाब और हमारा सूबा एक ही जोन में था। पंजाब से कम से कम ५ लाख टन गेहूं हमारे बाजारों में आया करता था तो इस साल बिलकुल ही नहीं आया। तीसरा कारण भारत सरकार से हमारे लिये जो कोटा निर्धारित होता रहा है, वह कोटा भी हम लोगों को गत अप्रैल से बहुत कम मिला। प्रमाण स्वरूप आप देख सकते हैं कि जून में करीब ६० हजार टन से भी कम हमें मिला। इस माह ८० हजार टन मिलने की बात थी फिर उसे बढ़ा कर १ लाख टन किया गया और फिर वह ९० हजार टन किया गया और आज २५ जुलाई है, लेकिन अभी तक केवल ३० हजार टन से कम ही मिल पाया है।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि पंजाब और यू० पी० का जोन बहुत थोड़े समय के लिये मिला हुआ था वरना प्रायः पंजाब का जोन अलग ही रहा है ? यह जो मारकेट का भाव है वह निर्भर है मारकेटेबिल सरप्लस पर और सरकार ने जो अनाज प्रोक्योरमेंट किया है वह भी मारकेटेबिल सरप्लस का एक बड़ा भारी अंश है। तो क्या माननीय मंत्री जी यह महसूस करते हैं कि प्रोक्योरमेंट भी एक कारण है भाव ऊंचा ले जाने का ? उदाहरण के तौर पर पहली सरकार ने महज गेहूं, चना और जौ के प्रोक्योरमेंट की बात की थी तथा केवल इन्हीं चीजों के भाव बढ़े थे, बाकी अनाज के भाव नहीं बढ़े थे, लेकिन जब से इस सरकार ने गोचना, गोवी और बेसड़ के प्रोक्योरमेंट की बात की तब से उनके दाम भी ऊंचे हो गये। तो क्या सरकार यह महसूस करती है कि इन भावों को ऊंचा ले जाने का एक बड़ा भारी कारण सरकार की प्रोक्योरमेंट पालिसी है जिसने मारकेट में जाने वाले सरप्लस अनाज को अपने कब्जे में कर लिया है ?

श्री झारखंडेराय--

यह हो सकता है कि हमारी प्रोक्योरमेंट पालिसी का कुछ दामों के बढ़ने पर शुरू में असर पड़ा हो लेकिन प्रोक्योरमेंट पालिसी का काम ऐसा था जो करने के लिये हम मजबूर थे। वह पुरानी सरकार भी इसके लिये मजबूर थी। अपनी पद्धति के नाम पर वह चाहे जो कुछ भी करती, लेकिन उन्होंने भी यही पद्धति अपनायी थी। मैं यहां आपके द्वारा सदन से कहना चाहता हूं कि इस समय भारत सरकार से आने वाला गल्ला हमारे पास बिलकुल नहीं के बराबर है। अगर दो लाख टन गल्ला न होता तो प्रदेश की राशनिंग की सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गई होती। इसलिये कुछ चीजें मजबूरी में करनी पड़ती हैं और नतीजे का सामना करना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—

यह वक्तव्य १२-१० से शुरू हुआ था। अब मैं केवल एक प्रश्न की अनुमति दे रहा हूं।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरब के उन जिलों की जिनकी खाद्य स्थिति बड़ी खराब है विशेष कर गाजीपुर के जमानिया इलाके में सरकार ने जुलाई का कोटा बहुत कम दिया है इसलिये क्या मंत्री जी अविलम्ब गल्ला भिजवाने की व्यवस्था करेंगे क्योंकि गल्ला वहां नहीं पहुंच रहा है और भूखे मरने की नौबत आ रही है। हमारे यहां के लिये फूड एडवायजरी कमेटी ने ९ हजार क्विन्टल रिकमेंड किया था लकिन हमने कहा कि ६ हजार क्विन्टल ही मिल जायेगा तो हम काम चला लेंगे। इसके बाद हमने कहा कि ३ हजार टन गल्ला जुलाई में अगर दे दिया जाय तो हम संकट पार कर जायंगे। लेकिन केवल २ हजार टन गल्ला भेजा गया है। तो क्या मंत्री जी वहां गल्ला भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय शास्त्री जी, आपने सूचना दे दी और मंत्री जी को पहुंच गई। अब मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल आपने आदेश दिया था जब मैं निवेदन किया था कि झारखंडे राय जी भीखालाल जी के प्रश्न के साथ इसका भी उत्तर देंगे कि पूर्वी जिलों में जो, चना और गेहूं गायब हो गया है और पूर्वी जिलों की मंडियों में कहीं अवेलेबिल नहीं है। इस पर मंत्री जी ने उनके प्रश्न के ऊपर तो स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष—

बहुत देर में आप कह रहे हैं। अब सिर्फ चौधरी साहब एक प्रश्न कर सकते हैं।

श्री जी० एस० चौधरी (जिला मेरठ)—

यह जो आपने फरमाया है कि चीनी और खंडसारी की चीनी में फर्क नहीं मालूम पड़ता है। तो मैं अर्ज कर दूं कि ९० परसेंट केसेज से ज्यादा में पता लग सकता है। यह खंडसारी की है या वैसी चीनी है और इसमें कितने परसेंटेज हैं इसका पता कानपुर के इंस्टीट्यूट से चल सकता है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय चौधरी साहब, बजाय इसके कि सदन में आप ऐसी सूचना सदन में देते मंत्री जी के कक्ष में जाकर देनी चाहिये थी। अगर आपकी सूचना में कुछ दम होगा तो वह स्वीकार कर लेंगे।

(श्री कल्पनाथसिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मुझे एक प्रश्न की अनुमति देने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन और माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

जब तक आप प्रश्न करने की अनुमति नहीं देंगे तब तक प्रश्न नहीं करूंगा। आप मेरी बात सुन लें। यह बड़ा अहम सवाल है। पूर्वी इलाकों से मोटा अनाज गायब होता चला जा

[श्री कल्पनाथ सिंह—]

रहा है और राशन की सप्लाई बहुत कम है। ऐसी दशा में वे कैबिनेट का फैसला लेकर सदन में रखें और ३ दिन बहस हो। आज हालत बहुत खराब है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि पूर्वी जिलों की हालत बहुत खराब हो रही है। माननीय मन्त्री जी को भी जानकारी है, इसलिए माननीय मन्त्री जी भी इस पर सहमत हों।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह बड़े महत्व का प्रश्न है। जनसाधारण से इसका सम्बन्ध है। माननीय सदस्यों की इच्छा को देखते हुए अवश्य, यदि आवश्यक होता, तो कई घण्टे क्या, एक दिन के भी विवाद के लिए सरकार को वाध्य करता, लेकिन आज इसका औचित्य नहीं है। अभी लगातार बजट पर बहस करते आये हैं। सामान्य विवाद हुआ, अनुदानों पर विवाद हुआ। एक दिन और विवाद हुआ, इसके बाद आज यह वक्तव्य आ गया। इसी लिए इस वक्तव्य को देने की अनुमति दी। वक्तव्य पर, नियमों में अपेक्षित नहीं था किन्तु सारे सदनकी इच्छा को देखते हुए प्रश्न करने का अवसर दिया। आगे देखेंगे। जब कभी आवश्यक होगा सरकार से वक्तव्य दिलवा कर इस पर बातचीत करेंगे जब अवसर होगा।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि आप इस तरह की कोई व्यवस्था कर दें कि सदन का सर्वसम्मति से प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के फूड मिनिस्टर को जाय कि यू० पी० और पूर्वी जिलों की विशेष स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार का जो कोटा यू० पी० के लिए बंधा हुआ है महीने के महीने सही रूप में आ जाय जिससे खाद्य स्थिति कंट्रोल की जा सके।

श्री अध्यक्ष—

आप जो बात कह रहे हैं अपनी जगह पर ठीक हो सकती है। अगर माननीय सदन चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। नान आफिशल रेजोल्यूशन आ सकता है। सरकार अगर आवश्यक समझती है, सरकार को सलाह दीजिये, तो सरकार प्रस्ताव ला सकती है। पूरा सदन अगर उचित समझेगा तो स्वागत कर सकता है। अगर वह आयेगा तो अवसर दूंगा। इस समय मौका नहीं है।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष—

खाद्य मंत्री को आगे सूचना के लिए नहीं बुला रहा हूं।

श्री मंजूर अहमद—

एक जरूरी बात है। एक मिनट।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। आपका एक मिनट बड़ा खतरनाक है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

शकर के सम्बन्ध में खाद्य मंत्री ने बताया है।

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—

तो मैं आपसे जानकारी कर लूं।

श्री अध्यक्ष—

आप पत्र भेज दीजियेगा मैं उनके पास भेज दूंगा।

१९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई निर्माण-कार्य, अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ४७—बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय तथा अनुदान संख्या ४८—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (क्रमागत†)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन से निवेदन करता हूं कि इस अनुदान के लिए आधा दिन वाद विवाद के लिए रखा है। अतः २ बजे तक इस पर वाद विवाद होगा। २ बजे के उपरान्त जो साधारण प्रक्रिया होती है प्रश्न उपस्थित होने की, वह होगी, और २ १/२ बजे तक यह समाप्त कर दूंगा।

*कुंवर सत्यवीर (जिला बिजनौर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल इस सम्मानित सदन में निवेदन कर रहा था, बीसवीं शताब्दी के बारे में, कि हमारा देश खाद्यान्न में निर्भर ही नहीं था गेहूं एक्सपोर्ट करने वाले देशों में अपना प्रमुख स्थान रखता था। यही नहीं अमेरिका जो आज हमको बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं दे रहा है वह भी हमसे कम्पेटीशन में घबड़ाता था। किन्तु आज इस खाद्यान्न के अभाव के कारण ५० लाख से १ करोड़ टन तक बाहर के देशों से मंगाना पड़ रहा है और विदेशी मुद्रा जो विकास के कामों में लगती है इस पर लग रही है। इसलिए कृषि की प्रगति हमारे लिए जीवनमरण का प्रश्न बन गया है। श्रीमन्, कृषि की प्रगति सिंचाई पर आधारित है और सिंचाई-से विद्युत् का सम्बन्ध है। मैं स्वयं कृषक हूं और सिंचाई की जटिल समस्याओं तथा विद्युत् शक्ति की कठिनाइयों से भलीभांति अवगत हूं। माननीय विद्युत् मंत्री ने जो परि-योजनायें बन गयी हैं, जैसे रिहंद और जो बन रही हैं जैसे रामगंगा और माताटीला और हरदुआगंज इत्यादि का विवरण दिया। साथ में उन तीन महत्वपूर्ण योजनाओं का भी विवरण दिया जिनका सुझाव माननीय डाक्टर के० एल० राव ने केन्द्रीय सिंचाई कांफ्रेंस में सुझाव दिया था और आश्वासन दिया था और वह हैं घाघरा-गंगा का दोआब, लोअर गंगा डिवीजन और गंडक प्रोजेक्ट। इनसे लगभग ५२ लाख एकड़ जमीन पूर्वी प्रान्त में सिंचित होगी। श्रीमन्, मुझे अत्याधिक दुख हुआ कि बुन्देलखंड और पूर्वी जिलों के लिये तो उन्होंने बात कह दी, लेकिन बिजनौर जो पश्चिमी जिलों में आता है की ओर ध्यान दिया। लोग समझते हैं कि पश्चिमी जिले बहुत समृद्ध हैं किन्तु बिजनौर जिले की तीन तहसीलें ऐसी हैं अफजलगढ़, बड़ापुर और नजीबाबाद जहां प्राइवेट वेल्स और नलकूपों का वह काम नहीं हो सका है और उसके कारण यह भू भाग बहुत पिछड़ गया है। श्रीमन्, ७ वर्ष हुये एक प्रोजेक्ट था जिसके द्वारा उस भू-भागका सिंचन हो सकता था। किन्तु धनाभाव के कारण उस को पोस्टपोन कर दिया गया था। मैंने पिछले चार पांच वर्षों में कई आवेदनपत्र माननीय सिंचाई मंत्री को दिया और उन्होंने आश्वासन भी दिये थे कि यह योजना चौथी पंचवर्षीय

---

†२४ जुलाई, १९६७ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर सत्यवीर]

योजना में सम्मिलित कर ली जायगी। इसी प्रकार से ट्यूबवेल्स भी तहसील नजीबाबाद, परगना बड़ापुर अफजलगढ़ में कायम हो सकते थे। उसके लिये मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि उनको कार्यान्वित किया जाय तभी वह हिस्सा सिंचित हो सकेगा। इसके लिये श्री महावीर त्यागी जी जो कि मेम्बर पार्लियामेंट थे और डाक्टर राव जो केन्द्र के शिक्षा उपमंत्री थे उन्होंने कई पत्र लिखे और उन्हें भी आश्वासन दिया गया था लेकिन सिंचाई मन्त्री ने उसे सम्मिलित नहीं किया। मैं सिंचाई मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इसको भी सम्मिलित किया जाय। श्रीमन्, वहां परियोजनाओं की आवश्यकता है, वहां छोटी-छोटी नदी योजनाओं की भी कम आवश्यकता नहीं है। बड़ी योजनाओं से उस प्रकार की विद्युत् के उत्पादन में सहायता नहीं मिलती है जो कि कृषि और उद्योग के लिये बड़ा महत्व रखती है किन्तु यह छोटी-छोटी योजनाओं से नदियों को बाढ़ से बचाया जा सकता है।

अब दूसरा पहलू लघु सिंचाई का है। यह किसानों को अधिक सहायता करते हैं। पहले दो पंचवर्षीय योजनाओं में हमने उसकी अवहेलना की है किन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने इस सम्बन्ध में अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम उठाये और उसके अन्तिम वर्षों में हमने उस पर बड़ा व्यय किया। मैं सन् १९६६-६७ के आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं जिसमें स्टीमेंटेड कुयें थे ६५ हजार लेकिन ऐक्चुअली बने ८४,३४०, बोरिंग का ७५,६४० का स्टीमेंट था लेकिन हुआ वह ६८,४६९, रहट का स्टीमेंट था ४५ हजार और हुआ ५१,१९५ और नलकूप का स्टीमेंट था १६,१५० और हुआ वह २४,९९६। यह बड़ी सफलता का द्योतक है। सिंचाई का ही विकास नहीं हुआ इससे काश्तकारों में कुयें बनाने के लिये उनका उत्साह बढ़ा। चाहिये यह था कि माननीय सिंचाई मन्त्री इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान देते लेकिन उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। पिछले वर्ष जहां उसमें २२ करोड़ रुपया खर्च हुआ उसमें इस वर्ष के लिये उन्होंने केवल २० करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। मैं सिंचाई मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसको हाथ से न जाने दें। माननीय वीरेन्द्र वर्मा ने मद्रास की तुलना की कि मद्रास इसमें बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं ऐसा टैम्पो किसानों में पैदा कीजिये लघु सिंचाई के लिये, ऐसा उत्साह उनमें पैदा कीजिये कि वह जी जान से इसमें लग जायं। अगर माननीय मंत्री जी इसको जारी रखें तो मेरा विश्वास है कि ४ वर्ष के अन्दर हरएक किसान के पास एक कुंआ बन सकता है। ऐसा सुनहरा अवसर छूट न जाय। किसानों ने जो सुनहरा स्वप्न देखा है, उनका वह स्वप्न धूमिल न हो जाय।

राजकीय नलकूप के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि मन्त्री जी ने ११० राजकीय नलकूपों का इसमें प्राविधान हमारे प्रदेश के लिये किया है। मैं समझता हूं यह संख्या बहुत कम है। कम से कम राज्य के अन्दर एक वर्ष में ३००, ४०० नलकूपों का प्राविधान होना चाहिये। अपने अविकसित क्षेत्र के लिए मैंने ३१ नलकूपों की मांग की थी। उसमें १५ के लिये सर्वे हो चुका है। मुझे आश्वासन दिया गया था, लेकिन वह नहीं बन पाये। मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने कम राजकीय नलकूप रखे गये हैं।

एक बात मुझे रेट के सम्बन्ध में भी निवेदन करना है। माननीय झारखंडेराय जी ने इसी सदन में कुछ दिन पहले कहा था कि सिंचाई कर और विद्युत् कर को अगर समाप्त कर दिया जाय या कम कर दिया जाय तो बहुत बेहतर होगा। वह अंग्रेजी जमाने से भी अधिक हो गये हैं। मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर ठोस कदम उठायें। मैं यह समझता हूं कि जो लगान कम किये गये हैं उससे महत्वपूर्ण यह प्रश्न था कि उन रेट को कम किया जाता। फरटिलाइजर के दाम रूस और जापान से भी यहां पर दुगुना और तिगुना है। इसके दाम को अगर कम कर दिया जाय तो इससे किसानों को अधिक सहायता होगी।

करप्शन के विषय में मेरा यह खयाल है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग में तो विशेषरूप से व्यापक है। पतरौल और आपरेटर तो इसके मुख्य कन्द्र बन गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप का समय समाप्त हो गया।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह इस सदन की नहीं पूरे देश की राय है कि बिजली और पानी का जिस देश में व्यवस्थित ढंग से नियोजन नहीं किया जायगा वह देश खुशहाल नहीं हो सकता। इस बुनियाद को ध्यान में रख कर और जो देश में होता रहा है उसमें, सिंचाई के मामले में और बिजली के मामले के काम सब से महत्वपूर्ण माने जायंगे। मान्यवर, यह जो अनुदान है इस अनुदान पर बहस करते समय चाहे इस दल के लोग हों और चाहे उस दल के लोग हों उनके ध्यान में देश की तरक्की का खयाल सब से ज्यादा रहना चाहिये। अगर हम देश को ध्यान में रखें तो हम को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि जो काम हम पिछले लगातार २० साल से कर रहे हैं उससे क्या हम अपने देश को पानी की व्यवस्था—खेती के लिये और बिजली की व्यवस्था उद्योगों के लिये और देश की तरक्की के लिये जिस रफ्तार से चल रहे हैं, उससे कर सकते हैं? अगर हम इस बात पर विचार करें तो मैं उधर बैठे माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब भू-राजस्व की मद पर विचार हो रहा था उस समय मैंने कहा था कि लगान की माफी आवश्यक है और ऐसा करने से देश की तरक्की का रास्ता खुल सकता है, खाद्यान्न के उत्पादन के बढ़ने का रास्ता खुल सकता है और उधर के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि सिंचाई की व्यवस्था का प्रश्न पहले से होना चाहिये था, लगान की माफी का नहीं। मैं बतलाना चाहता हूं कि अपने देश में ३५ करोड़ एकड़ भूमि में से केवल सवा ६ करोड़ एकड़ भूमि को हम पानी दे पाये हैं। इस रफ्तार से अगर हम चलें तो ऐसा लगता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में अपनी कुल जमीन को पानी दे पाने में हम को १६० वर्ष लगेंगे। अभी हम कुल १ करोड़ २९ लाख एकड़ जमीन को पानी दे पाये हैं, साढ़े चार करोड़ एकड़ जमीन में से ३.५० करोड़ अभी बाकी है। १९५१ से १९६७ तक हमने जो कुछ किया है, जो हमारी रफ्तार रही है उस रफ्तार से हम को अपने सारे खेतों को पानी दे पाने में १६० वर्ष लगेंगे। इस प्रकार हम प्रदेश के भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सिंचाई मन्त्री जी ने और इस सरकार ने इस रास्ते पर बढ़ने के लिये जो कदम उठाया है वह पूरा तो नहीं माना जा सकता, लेकिन यह कहा जा सकता है कि कुछ बदलाव हुआ है और इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, अभी जो हालत है उसमें हमको दो, तीन बातें ध्यान में रखनी चाहिये। जो बड़ी योजनायें हैं, नदी घाटी योजनायें, बिजली की योजनायें, उनके संबंध में हमको ध्यान रखना चाहिये कि हमारे देश में भूमि की कमी है, जनबल अधिक है, मशीनें कम हैं और हम अभी उस जगह नहीं पहुंच पाये हैं जहां पर खड़े होकर हम दूसरे देशों का मुकाबला कर सकें। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रगति की बात सापेक्ष होती है। मैं मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि तरक्की की डींग हम को नहीं हांकना चाहिये। दुनिया की प्रगति की रफ्तार के साथ हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इस दृष्टि से जब हम योजनाओं को देखेंगे तो पता चलेगा कि जो काम हम करने जा रहे हैं वह महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही दुष्कर भी है। जब तक हमारे देश में सिंचाई और बिजली का पूरा इंतजाम नहीं किया जाता तब तक देश में खाद्यान्न की समस्या हल होना सम्भव नहीं है।

आज की व्यवस्था में दो प्रकार की बातें हम को ध्यान में रखनी हैं। एक तो योजना की दिशा बदलने का काम, जिस ओर इस सरकार ने ध्यान दिलाया है और दूसरे जो व्यवस्था है उस में सुधार करने का काम। मैं माननीय टम्बरेश्वर जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार इस बात की शिकायत की है और मैं इस बात को मानता हूं कि इस विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, ऊपर से लेकर नीचे तक। एक आपरेटर जो ट्यूब वेल पर बैठा है, अगर चाहे तो किसी

[श्री मधुकर दिघे]

भी खेत को सुखा सकता है, किसान को परेशान करता है। मैंने स्वयं कई मसलों को जिलाधीश और कार्यवाही एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को दिखाया, लेकिन महीनों तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। इससे देश का भी नुक्सान होता है। इस लिये इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु मंत्री जी को कोई बड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।

दूसरी चीज में यह कहना चाहता हूं कि जहां पर सिंचाई की व्यवस्था आपने कर दी है, ट्यूबवेल खोले गये हैं, मैं अपने यहां के एक ब्लाक भटहट के विषय में बतलाना चाहता हूं कि वह ऐक्सटेंशन ब्लाक था। वहां क्रेश प्रोग्राम चलाया गया, कई पंपिंग सेट्स दिये गये, नलकूप योजनाएं चलायी गयीं और वहीं अब गंडक की नहर निकाल कर के यह हो रहा है कि सारे के सारे ट्यूबवेल और पंपिंग सेट्स उस नहर की चपेट में आये जा रहे हैं और पहले की पूरी योजना जो सिंचाई की थी उसको अब समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो एक ओर, यदि आप आंकड़ों की दृष्टि से बताते चले जायं कि सिंचाई का एकरेज बढ़ता चला जा रहा है और दूसरी ओर जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां फिर दूसरे तरीके से कार्य किया जाय तो इस पर अवश्य ध्यान दिया जाय। मैं प्रार्थना करूंगा कि गंडक की जो नहरें देवरिया और गोरखपुर में निकाली जा रही हैं उनमें इस बात का खयाल रखा जाय।

दूसरी बात यह है कि सरकारी ट्यूबवेल जहां लगे हुए हैं उसके नजदीक दूसरा ट्यूबवेल लगाने के लिये तो कानून बने हुए हैं लेकिन अगर किसी प्राइवेट आदमी का ट्यूबवेल बना हुआ है तो उसके पास सरकारी ट्यूबवेल बनाने के लिए कोई कानून नहीं है। मैंने ऐसे ट्यूबवेलों की सूचना मंत्री जी को दी है। एक ट्यूबवेल बना हुआ है, पंपिंग सेट लगा हुआ है और उसके १० हाथ पर सरकारी ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था कर दी गयी। नतीजा यह हुआ कि उसका पैसा भी बेकार हो गया और उसके पानी का जो डिस्चार्ज था वह कम हो गया। तो इस तरीके से जो सरकारी काम चलता है उस की ओर भी ध्यान दिया जाय।

आखिरी बात यह है कि कटाव के मामले में अब हमें दूसरे ढंग से सोचना चाहिए। बांध टूटते आये हैं, क्या यह चीज बन्द नहीं की जा सकती? मैं इसके दो इलाज बताता हूं। अगर बांध टूटे तो इंजीनियर भी टूटें, अगर खेत को पानी न मिले, वह सूख जाय तो आपरेटर से लेकर उस इलाके का जो इंचार्ज है, एग्जिक्यूटिव इंजीनियर है उसका घर भी सूखना चाहिये। खेत सूखे तो तनख्वाह सूखे, बांध टूटे तो इंजीनियर टूटे, यह व्यवस्था जब तक नहीं की जायगी तब तक सिंचाई का इंतजाम बढ़िया नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ मैं मांग के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

(इस समय १२ बज कर ५६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खूबसिंह पीठासीन हुए।)

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने नौजवान साथी दिघे जी के भाषण को सुनने के बाद मेरे मन में आया कि इस नौजवान साथी को जो दिशा-भ्रम हो गया है उसे मैं सुधार दूं। उनका कहना है कि सरकार की दिशा ठीक हुई है सिंचाई के कार्यों में, ऐसा दिशा भ्रम माननीय दिघे को हो गया है, इसलिये वह ऐसा कह रहे हैं। श्रीमन्, जो स्थिति पहले सिंचाई की थी उसमें आप देखें। मैं देवरिया का रहने वाला हूं, माननीय दिघे किसी दूसरी जगह के रहने वाले हैं लेकिन अब हमारे साथी हैं और हमारे गोरखपुर के निवासी हैं। श्री दिघ को मालूम नहीं है कि इस सरकार के कुर्सी पर बैठने के पहले सिंचाई व्यवस्था क्या थी। लेकिन एक बात मैं रखना चाहता हूं कि बिजली की जो व्यवस्था हुई है, उसमें अकेले गोरखपुर का जरा सर्वे कर लेंगे कि पिछले दो तीन सालों के अन्दर जितनी बिजली पानी के लिए मिली है, अगले १० वर्ष के भीतर भी उतनी बिजली नहीं मिल पायेगी यह दिशा भ्रम का सबूत है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्यों नहीं मिलेगी उस पर काफी चर्चा हो चुकी है कि उसके लिये जितने धन की व्यवस्था करनी चाहिये वह धन भी नहीं रख रहे हैं। १५ करोड़ पिछले साल था और अब सात करोड़ की व्यवस्था इस साल के लिये हो रही है। एक तो वह कठिनाई समूचे प्रदेश क लिये, और समूचे प्रदेश में जो सब से पिछड़ा हुआ इलाका है उनके लिये ऐसी सुविधा दी गई कि अग्रिम पैसा इकट्ठा कर के दो, तो बिजली लो। मैं भाई दिघे से पूछना चाहता हूं कि गोरखपुर में कितने फीसदी ऐसे किसान हैं जो अग्रिम पैसा दे सकेंगे? तो उस में कोई पक्षपात का काम नहीं हुआ, इन्साफ का काम कर दिया है आपने, लेकिन श्रीमन्, जब दो वर्ष के बाद मूल्यांकन किया जायगा तो यह खयाल आयेगा कि कौन आदमी था वह जिसने पिछड़े इलाके को ध्यान में नहीं रक्खा और एक ही लाठी से सब को हांक दिया। तो हम समझते हैं कि माइनर इर्रीगेशन का सब से बड़ा काम है और इस से ही हम पानी पहुंचा सकते हैं। मैं तो यह कहता हूं कि जितना धन पिछले दो वर्षों में खर्च हुआ है उस हिसाब से तो ज्यादा खर्च होना चाहिये था। मैं सभी पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र वालों से कहना चाहता हूं कि मेहरबानी कर के इस प्लान को देख लीजिये और यह बतलाइये कि माईनर इर्रीगेशन के लिये बिजली नहीं मिलती और छोटे ट्यूबवेल्स का प्रबन्ध नहीं होता तो पानी कैसे पहुंचेगा? मैं श्रीमन्, आपसे कह ा चाहता हूं और नौजवान साथियों से भी मुझे कुछ उम्मीद है कि शायद उन्होंन जयप्रकाश जी के भाषण को नहीं सुना। १७ जिलों का एक छोटा-सा सूबा है बिहार का और वही १७ जिलों का सूबा बिहार एक अरब रुपया खर्च कर रहा है सिंचाई की व्यवस्था में। मैं तो न्योता देता हूं और चाहता हूं कि जो लोग मेरे कहने को नहीं मानते और जो यह चाहते हैं कि इस सरकार और जनता का सम्बन्ध अच्छा बना रहे तो वे आरा, पटना और गया को देखें कि उस गरीब इलाके में, इस विपत्ति के वक्त भी, एक तरफ तो लोगों को मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह कि आगे भी कोई सूखा न पड़ सके, ठीक से फसल हो सके, उसके लिये व्यवस्था कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वहां ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा रहा है जिसमें बिजली लेने में दिक्कत पड़ती हो।

मैं माननीय चन्द्रशेखर जी से कहना चाहता हूं कि उनके इलाके से दस मील पर है बिहार की सरहद। अगर बिहार में इस तरह का कोई प्रतिबन्ध लगा हुआ हो तो मैं मान जाऊं। इसलिये मैं चाहता हूं कि माईनर इर्रीगेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिये और किसानों को ज्यादा से ज्यादा पानी दीजिये। जैसा कि कहा जाता है कि बीस साल में क्या किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि ठाकुर फूलसिंह की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया था और उस कमीशन ने बताया था कि पानी वहां कैसे आसानी से पहुंचाया जा सकता है। श्रीमन्, मैं महाराष्ट्र की बात कहता हूं। महाराष्ट्र की सरकार के सामने उद्योगों के मुकाबले में खेती का महत्व ज्यादा नहीं है। लेकिन उसने एक इर्रीगेशन कमीशन बैठाया। जिसने देखा कि उनके पास कितनी नदियां हैं, उनमें कितना पानी है और किस तरह से वह जमीन को पानी दे सकते हैं और इस प्रकार से करोड़ों रुपया खर्च कर के वे अपनी जमीन को पानी देना चाहते हैं। मैं माननीय चन्द्रशेखर जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक सवाल किया कि उन के यहां की कर्मनासा और दूसरी नदियों में कितना पानी है। अगर वह सचमुच उपयोग में आ जाय तो उस क्षेत्र का कितना भला हो सकता है। उत्तर प्रदेश पानी का धनी है। जो जमीन के ऊपर पानी है और जमीन के नीचे पानी, उन दोनों को काम में अगर ले आया जाय तो उत्तर प्रदेश लहलहा सकता है, अगर ३-४ वर्ष कोशिश की जाय तो। भूख से लोग मरते हैं तो सरकारें हिलती हैं। बंगाल में ३०-४० लाख आदमी मरे तो अंग्रेज फिर टिक न सके। आज के युग में इसको कोई सरकार बरदाश्त नहीं कर सकती, कोई मुल्क बरदाश्त नहीं कर सकता, कोई जनता बरदाश्त नहीं कर सकती कि भूख से मौत हो। मुझे लूज टाक करने की आदत नहीं है, मैं मेरठ के मित्रों को दावत देता हूं कि वे मेरे साथ चलें, मैं

[श्री गेंदासिंह]

उनको बतलाऊंगा कि भूख से मृत्यु हुई है और वे स्वयं उसको स्वीकार कर लेंगे कि लोग भूख से मरे हैं और आज भी हो रही है और मेरे इलाके में हो रही है और उसका कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि खेत में अन्न पैदा हो और वह पैदा हो सकता है उस पानी से जो कुदरत ने जमीन के ऊपर अथवा नीचे दिया है उस को उपयोग में लाने पर। उस पानी को हम उस समय इस्तेमाल में ला सकते हैं जब ईश्वर नाराज हो कर समय पर पानी न दे। माननीय दीघे साहब मेरी ओर मुखातिब हों। वे कृपा कर हमारे उत्तर प्रदेश का मुकाबला संसार के और मुल्कों से न करें, वह हिन्दुस्तान के ही दूसरे सूबों से करें। मैं उनसे अपनी बगल ही में बिहार को देखने की बात कहता हूं। वह पिछली गवर्नमेंट की बात को भी छोड़ दें, पिछली गवर्नमेंट तो सोचती नहीं थी, उसको सूझबूझ न थी, लेकिन अब मैं नयी सरकार से कहना चाहता हूं कि वे बिहार को देखें कि वहां एस० वी० डी० की सरकार क्या कर रही है। माननीय दिघे साहब और जिनको गरीबों से हमदर्दी है वे इस ओर जरा देखें और उत्तर प्रदेश में वह कराने का प्रयत्न करें जो बिहार में हो रहा है।

माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद बड़े मीठे आदमी हैं, वे सब की बात सुनने की कोशिश करते हैं और उनसे कोई नाराज नहीं हो सकता और देशमुख जी भी ऐसे ही हैं, उनसे भी कोई नाराज नहीं हो सकता। लेकिन जमीन को वे नाराज कर रहे हैं। पूर्व में खास तौर से उनकी वजह से असुविधा पैदा हुई है। चाहे वह पानी देने की बात हो, चाहे बिजली देने की बात हो, चाहे बाहर से लोन मिलने की बात हो, उसमें भी उन्होंने असुविधा पैदा की है। मुझे यहां एक एक बात को कहने का समय नहीं है। वे मुझको समय दें तो उनको मैं सारी बातें डिटेल में बताऊंगा कि उनकी वजह से कैसे असुविधा पैदा हुई है। मैं उसके लिये उनसे भत्ता भी नहीं मांगूंगा मैं उनसे कहूंगा कि कम से कम जो सुविधा पहले मिली हुई थीं, उनको तो न छीनिये।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता जी, इस आदरणीय सदन में पानी और विद्युत शक्ति के महत्वपूर्ण विषय पर बहस चल रही है। यह इतना बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिससे इस प्रदेश की और देश की जिन्दगी जुड़ी हुई है। हमारे गांवों में आम तौर से चर्चा है कि पानी जिन्दगी है और जिन्दगी पानी है। सन्त कबीर ने भी कहा है कि:

"माया महा ठगिन मैं जानी,
केशव की कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी।
पंडा की मूरत बन बैठी, तीरथ में भई पानी।"

यह तीर्थ क्या हैं, यह सब पानी हैं और भारत की संस्कृति और सभ्यता को अगर आप देखेंगे और उसके कारण पर अगर आप जायेंगे तो ज्ञात होगा कि जितने भी संस्कृति और सभ्यता के केन्द्र रहे हैं वे सभी पानी और नदियों के किनारे ही रहे हैं, चाहे वे ऋषियों, मुनियों के तीर्थ स्थान रहे हों, चाहे शासन सत्ता में बैठने वाले शासकों के महत्वपूर्ण स्थान रहे हों वे सब नदियों के किनारे ही रहे हैं। इसका कारण यह है कि यहां का जीवन कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। कृषि जीवन है और जीवन पानी है, दोनों का साथ है। इसीलिये पानी के महत्व को समझते हुये यहां की सभ्यता और संस्कृति ने पानी को विशेष महत्व दिया है। लेकिन जैसा कि अभी दिघे जी ने कहा कि तरक्की दो प्रकार की होती है एक सापेक्ष और दूसरी निरपेक्ष। एक तरक्की यह है कि बीते हुये दिनों के मुकाबले में हम तरक्की कर रहे हैं और दूसरे यह कि अपने पड़ोसियों के मुकाबले में हम तरक्की कर रहे हैं। अगर पानी के लिये दूसरे देशों की तरक्की के रफ्तार से चले जब सारी दुनिया तरक्की कर रही है, चूहे व खरगोश की चाल से तब अपना देश तरक्की कर रहा हो। माननीय गेंदा सिंह जी हमारे सामने बैठे हैं इसलिये

मुझे चूहे की याद आ गई। पानी का कृषि के लिये एक अहम सवाल है। इतनी योजनायें चलीं लेकिन कृषि के लिये पानी का बन्दोबस्त क्यों नहीं हुआ और धरती क्यों नहीं लहलहा पाई इसका कारण क्या है ?

यहां से एक अमरीकन इंजीनियर के पास एक प्रश्न बनाकर भेजा गया कि देश की भूमि पर पानी का प्रबन्ध कैसे किया जाय, तो उस इंजीनियर ने बताया और भारत सरकार को सलाह दिया कि अगर इस देश में पानी देना है तो बड़े बन्धों और जलाशयों के माध्यम से देश की पूरी जमीन को पानी नहीं पहुंचाया जा सकता और जरूरत इस बात की है जैसा श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि बिना माइनर इरिगेशन या लघु सिंचाई योजनाओं की व्यवस्था के इस देश में पानी का खेतों में प्रबन्ध नहीं किया जा सकता। उस अमरीकन इंजीनियर ने बताया कि बिना इसके यहां पानी की व्यवस्था सब जगह नहीं हो सकती है। जो यहां के बड़े-बड़े सिंचाई विभाग और बिजली विभाग के नौकरशाह रहे या जो बड़े-बड़े हमारे नेता रहे वह देशहीन और दिशाहीन रहे और एक मूर्ख विद्वान् भी रहे। ऐसा लगता है कि वह देशहीन इसलिये रहे कि उनकी निगाह अमरीका के बड़े बंधों पर रही और दिशाहीन इसलिये रहे क्योंकि उन की निगाह यहां की जलवायु पर नहीं रही और यहां की भौगोलिक स्थिति पर नहीं रही और इसके कारण से यहां की सारी योजनायें असफल रहीं। बहुत से दूसरे कारण भी थे, एक कारण यह भी था कि कुछ भ्रष्ट लोग समझते थे कि छोटी योजनाओं में भ्रष्टाचार की अधिक गुंजायश नहीं हो सकती और बड़ी योजनाओं में ही ज्यादा सफलता के रास्ते हैं। अगस्त सन् ५९ का मास इस देश की दृष्टि से और दुनिया की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण मास है और उस समय जो हमारे पानी के पवित्र ऐतिहासिक मन्दिर बन रहे थे उसी समय भाखरा बह गया और पानी इस देश का चला गया। उसी समय चीन ने भी अगस्त में हमला किया और वह भूमि ले ली जिस को कहा गया कि कंकरीली, पथरीली बंजर भूमि थी, तो हमारा पानी का रिश्ता हमारी संस्कृति और सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है।

मान्यवर, हमारी जो गंगा नदी ऋषिकेश में है, उसके सबन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं। इस देश और प्रदेश का जन-जीवन नदियों के सहारे चलता है। हमारी जो गंगा नदी है उसे जीवन दायनी बर-दायिन और मनलुभावनी भी कहते हैं। इस नदी का ऋषिकेश में अधिकतम बहाव जो है वह ७ लाख क्यूसेक्स प्रति सेकिंड है। यदि इस पानी को ३६५ दिन में बांटा जाय तो २० हजार क्यूसेक्स प्रति दिन वहां पर पानी मिलता है। उसमें से जो गंगा पर अपर नहर निकाली है उसमें १० हजार क्यूसेक्स पानी चला जाता है। अगर सब जोड़ दिया जाय तो यह ३० हजार क्यूसेक्स हो जाता है। वहां पर यदि आप एक बांध बनाकर विद्युत शक्ति पैदा करें तो उससे ४ १/२ करोड़ किलोवाट विद्युत् पैदा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अगर मान लो कि ५० हजार क्युसेक्स पानी छोजन में चला जाता है उसके बाद भी ४ करोड़ किलोवाट विद्युत् शक्ति पैदा हो सकती है और इससे सारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को हम पानी दे सकेंगे और यहां पर जो धरती सूख गयी है, उसको लहलहा सकेंगे। यह योजना एक ऐसी योजना है जिससे हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ सकता है।

मान्यवर, एक ओर तो ४ करोड़ किलोवाट विद्युत् शक्ति का उत्पादन होगा और दूसरी ओर उसी पानी से और नहरें भी निकल सकेंगी और प्रदेश की करीब-करीब १ १/२ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी, १०,००० फुट ऊपर जहां से गंगा नदी निकलती है यदि वहां पर एक बांध का निर्माण कर दिया जाय, तो इस प्रदेश की प्रगति बहुत जल्दी हो सकती है। यह बात मैं केवल अपने मन से ही नहीं कह रहा हूं बल्कि यह बात मैं एक बहुत बड़े इन्जीनियर से बात करके कह रहा हूं।

[श्री चन्द्रशेखर]

बिजली के मामले में हमारा जो पूर्वांचल है वह बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां पर बड़ी दुर्दशा है। जब मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहां पर नहरों का जाल बिछा दिया गया है। श्रीमन्, हमारे इलाके, चंदौली में, नहर की क्षमता ५०० मील की है जिसमें पानी पहुंच सकता है, लेकिन वहां पर १४५६ मील नहरों का निर्माण कर दिया गया है। जिसके कारण पानी न होने की वजह से हमारे इलाके के खेत सूख गये हैं। नहर के मुकदमें चलाये गये हैं। श्रीमन्, मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख है कि वे मुकदमें स्टे तो जरूर हो गये हैं लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनकी जो ४०० ट्यूबवेल की योजना है वह इस प्रकार से कार्यान्वित की जाय कि जिससे पूरे चन्दौली में वे लग जायं ताकि वहां की पानी की समस्या हल हो जाय और बिजली की लाइन चारों तरफ जा सके। यदि वहां पर चारों ओर बिजली की लाइन चली जायगी तो वहां के किसान छोटे छोटे पंपिंग सेट्स लगा कर अपने खेतों में पानी दे सकेंगे और उन्हें लहलहा सकेंगे।

हमारे यहां पर जो विश्व बैंक की योजना है उसमें वाराणसी और एटा जिलों को लिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जब वे अपना उत्तर देंगे तो इस बात को स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे कि क्या उसमें वाराणसी के कुछ हिस्सों को ही लिया गया है? उसमें ४ हिस्सों को छोड़ दिया गया है। श्रीमन्, वह इलाका है जो कर्मनासा नदी के पास में है। उससे केवल १० फुट की दूरी पर बिहार प्रदेश पड़ता है। वहां पर हम देखते हैं कि एक-एक इंच पर पानी की सुविधा उपलब्ध है और घर-घर में बिजली चमक रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी चंदौली के इलाके में इस तरह से ट्यूबवैल लगवायें जिससे ट्यूबवैल भी लग जाय और जगह-जगह पर बिजली की लाइन पहुंच जाय ताकि वहां के किसान छोटे-छोटे पंपिंग सेट्स लगाकर अपने खेतों को सींच सकें। और अन्त में मैं पूरे पूर्वांचल के लिये मंत्री जी से कहूंगा कि वह उसकी तरफ ध्यान दें।

श्री जी० एस० चौधरी (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, "जिस खेत से मुयस्सर न हो दहकान को रोटी, उस खोश-ए गंदम को आग लगा दो"। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है, लेकिन जब हम यह सुनते हैं कि हम भूखों मर रहे हैं तो हमें शर्म आती है। आपने २३ तारीख के पायनियर में श्रीमन्, एक कारटून देखा होगा जिसका टाइटिल था "अवर इमेज एब्रोड"। भारत को एक भिखारी के रूप में एक प्याला हाथ में दे कर दिखाया है। मेरी राय में भूख से मर जाना बेहतर है बनिस्बत इसके कि किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। यह क्यों हुआ? इसलिये कि हमारी प्रापर प्लानिंग नहीं है। हमारा प्रदेश और देश शांतिप्रिय है, लेकिन जब तक प्रापर प्लानिंग नहीं होती तब तक प्रौसपेरिटी नहीं आ सकती। एक फारमूला है पीस प्लस प्रौपर प्लानिंग बराबर है प्रौसपैरिटी के। जो जवाहर लाल जी ने नारा दिया था आराम हराम है जब हम उस पर काम करें तब शायद हम अमरीका को गल्ला देने लगें। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में दो ब्लाक हैं, लोनी और राजापुर ब्लाक वहां पर दो, दो ट्यूबवैल्स साल भर से बेकार पड़े हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। मैंने कहा कि अगर मैं ही इन ट्यूबवैल्स को ठीक करा दूं तो आपको क्या एतराज है? तो विभाग ने कहा कि हम आपको इजाजत नहीं दे सकते। १९४७ से आज हम किस जगह पर पहुंच गये हैं इसको देखकर लज्जा आती है। भाव चढ़ते जा रहे हैं और आंकड़ेबाजी में हम फंसे हैं। पता नहीं अनाज कहां चला जाता है, पानी कहां चला जाता है? मर्ज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की। पता नहीं क्या भेद है? इस पर सरकार को उचित ध्यान देना चाहिये। मैंने उस दिन भी अर्ज किया था कि न पिछली सरकार ने अपने फर्ज का अंजाम दिया और न यही सरकार दे रही है। दोनों ऐजीटेटर रहे हैं और एक ऐजीटेटर कभी भी गुड ऐडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता, जिसका निगेटिव ऐप्रोच हो जाता है वह पोजिटिव ऐप्रोच में नहीं आ सकता। 'तूफान से गुजर कर कुछ गुतमइन थे हम, साहिल पर डूब जायगी किश्ती यह हमें खबर न थी।' अरहर की

दाल रुपये की दो सेर बिकती थी वह भी ढाई रुपये सेर होती जाती है । ये भाव क्यों बढ़ते हैं ? इसलिये बढ़ते हैं क्योंकि होर्डर्स पैदा हो जाते हैं। वे क्यों पैदा होते हैं ? इसलिय कि सरकार कमजोर है और ढील दे रखी है और अपना काम तेजी से करने की ओर ध्यान नहीं देती है । नतीजा यह होता है कि ? भाव बढ़ते जाते हैं और सरकार मुंह देखती रहती है। पब्लिक भूखों मरती है । सदन में चर्चा होती है कि फलां इलाके में भूख से इतने लोग मर गये लेकिन उस इलाके में जा कर हम यह नहीं कहते कि मेहनत करो । दरिया सूख जाती है । बारिश होने पर दरियाओं को टेम करना चाहिये। ये दरियायें तबाही तो लाती हैं, लेकिन यह नहीं किया जाता कि उनको टेम किया जाय । अगर ऐसा करते तो उनसे पानी भी मिल, बजली भी मिले, देश क समृद्धशाली भी आप बना सकेंगे और इस प्रकार खाद्यान्न भी पैदा करके रोटी भी आप जनता को दे सकेंगे।

पोजीशन एक तो यह है कि इसमें वार लेबिल की बात होनी चाहिये। इसमें कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है । इसमें दोनों पक्षों के लोगों को संयुक्त विधायक दल और कांग्रस पार्टी को मिल कर पालिटिक्स से ऊपर हो कर इस बात पर विचार करना चाहिये कि खाद्य तथा अनाज की स्थिति को हम किस तरह से सुधारें । हमको भारत सरकार से अन्न नहीं मांगना चाहिये और अन्न की पूर्ति हमको अपने प्रदेश में ही करनी चाहिये। लकिन हो क्या रहा है ! सब लोग सियासत के बीच में पड़ गये हैं। मैं अर्ज कर दूं—

किश्ती को संभालो मौजों से,
तूफां की नियत ठीक नहीं।

*श्री सरजू प्रसाद (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। पानी के सिलसिले में एक शब्द में यह कहा जा सकता है कि उद्योगों तथा जीवन की जड़ पानी है । पानी के बगैर न कोई उद्योग चल सकता है और न किसी जिन्दगी को बरकरार रखा जा सकता है । उद्योगों के लिये कच्चा माल पानी से तैयार होता है । अगर पानी की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो रुई पैदा नहीं होगी, अनाज, तिलहन मूंगफली जूट आदि पैदा नहीं होगा, ठप्प हो जायगा और उद्योगों को चलाने वाले मजदूरों को भी रोटी नहीं मिलेगी । परन्तु पिछले २० साल में यह देखा गया है यहां का उत्पादन जानबूझ कर घटाया गया है और यह आरोप मैं पिछली सरकार पर लगाता हूं कि उसने उत्पादन बढ़ाने के बजाय घटाया है । पिछली सरकार की नीति यह रही है कि अनाज कम हो, विदेश से अनाज मंगाया जाय । विदेश से तो अनाज उधार मंगाया जाय और नकद बेंच कर सरकार का तथा अपनी पार्टी का काम चलाया जाय ।

जिस इलाके से मैं आता हूं उस इलाके में कुदरती पानी को सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है । जितना प्राकृतिक पानी यू० पी० में है उतना कहीं नहीं है, लेकिन यू० पी० के प्राकृतिक पानी को हम होर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर हम तमाम पानी को जमा कर लें और हम यह लक्ष्य बना लें कि हम तमाम जमीन की आबपाशी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ६५ परसेंट जमीन की हम आबपाशी कर सकते हैं । पानी से खाद भी हो सकती है क्योंकि पानी की सिंचाई से हम सनई बो सकते हैं, गोवार बो सकते हैं और और चीजें बो सकते हैं।

पानी के लिये जो नहरों का इन्तजाम है उसके विषय में मैं जरूर कहूंगा कि पहले जमाने में नहरों की सफाई होती थी, आखिरी जगह तक पानी पहुंचता था,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सरजूप्रसाद]

परन्तु इस साल, मैं खास तौर से इस साल कहूंगा, नहरों की सफाई नहीं हो पायी, बम्बों की सफाई नहीं हो पायी जिसकी वजह से आखिर में पानी नहीं मिल पाता । ट्यूबवेल्स के लिये मैं कहूंगा कि इतना पैसा लगा कर जो ट्यूबवेल बनते हैं वह बिजली के अभाव में बन्द रह जाते हैं । कभी लाइन की वजह से बिजली का कुआं बन्द रहता है, कभी मिस्त्री की वजह से खराब रहता है । निजी नलकूपों के लिये जो तीन फर्लांग की दूरी की कैद है यह खत्म हो जानी चाहिये । मैं तो कहता हूं कि जो जहां बिजली मांगे उसको बिजली उदार हृदय से देनी चाहिये क्योंकि अगर यह छूट मिल जायगी तो पानी की व्यवस्था हो जायेगी ।

मैं एक बात और अपने मंत्री जी से खासतौर से कहना चाहता हूं कि अगर हम कुदरती पानी को जमा करके उसको इस्तेमाल करने की नीति बरतेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं । दक्षिण भारत हम से कभी पीछे था, परन्तु उन्होंने पानी को कंट्रोल किया जिसके कारण वह हमसे आगे बढ़ गये ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय खत्म हो गया ।

*श्री लालन शर्मा (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कल से पानी और सिंचाई के विषय में तमाम तकरीरें यहां पर हो चुकी हैं । उसके विषय में मैं ज्यादा क्या कहूं, परन्तु थोड़ी सी बात मुझे यह निवेदन कर देनी है कि यह पानी की दिक्कत तभी दूर हो सकती है जब हम आपस में थोड़ा सा द्वेष भाव जो हम में है उसको दूर करें । मैं यह समझता हूं कि सरकार ने जितना धन सिंचाई के लिये दिया अगर उतना धन ठीक तरह से लग गया होता तो बहुत कुछ दिक्कत खाद्य समस्या की हल हो जाती । परन्तु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बीच में कोई भी ऐसी बात पदा नहीं हुई । जिससे उसमें प्रगति होती और सरकारी कर्मचारी जो यहां पर बैठे हैं वे इस बात पर ध्यान देते कि सरकार ने ज किसानों का खून सिंचाई और लगान के रूप में वसूल कर के धन दिया है उसका सदुपयोग हो । लोग पूर्वी जिलों और पश्चिमी जिलों की बात करते हैं, परन्तु हमारा जिला बीच में फंसा हुआ है और उसमें कोई भी साधन सिंचाई के नहीं हैं । हमारी जो ड्रेनें हैं वह नहीं बनायी जा रही हैं, नलकूप नहीं बनाये जा रहे हैं । थोड़ा सा पानी बरस जाता है तो सैलाब आ जाता है और अगर नहीं बरसता है तो सूखा पड़ जाता है । हमारे जो गरीब किसान हैं वह और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर किसान दिन पर दिन अमीर होता चला गया । होता क्या ? गरीब किसानों को लोन नहीं मिल पाता है क्योंकि उनकी जमानत करने के लिये कोई तैयार नहीं होता है । सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये ताकि गरीब किसानों को लोन दिलाने की व्यवस्था हो सके । हथौड़ा ड्रेन किसानों के लिये काल रूप है जिससे उन्नाव व हरदोई जिले की ५० हजार जनता प्रभावित है । सहिजना ड्रेन इसी तरह से योजना के अन्तर्गत होते हुए भी नहीं बनायी जाती जिसके लिये पुराने विधायक भी पिछले ५ वर्ष से सदन में कहते रहे हैं । सरकारी अधिकारियों के दिमाग में भी यह बात बहुत दिनों से है कि अगर यह ड्रेन बन जाती तो करीब ५० हजार जनता उससे लाभान्वित होती और खाद्य समस्या की हालत में सुधार हो जाता । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर अवश्य ध्यान देगी ।

अब मुझे बिजली के संबंध में कुछ निवेदन करना है । बिजली दी तो गयी है, लेकिन किन क्षेत्रों को दी गयी है ? जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको बिजली दी जानी चाहिये ताकि पिछड़े वर्ग के लोग उन्नत हो सकें, वहां उद्योग धंधे चल सकें और वहां ट्यूबवेल्स बन सकें । हमारे हरदोई जिले की बिलग्राम तहसील में हरपालपुर, सांड़ी, माधोगंज, मल्लावां ब्लाक व परगना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भवान्दऊ में बिजली जानी चाहिये तथा नेकपुर-नेवादा सदामऊ धनसरी आदि में २०–२५ ट्यूबवेल्स बनाये जाने चाहिये। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह वहां बिजली पहुंचाने की कृपा करें। ट्यूबवेल बनाने के लिये सरकार से काश्तकार को जो रुपया मिलता है उसमें बहुत भ्रष्टाचार है। ट्यूबवेल की नालियां व पुलियां टूटी पड़ी हैं और उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। पानी जाया होता रहता है। सरकार को चाहिये कि वह उनको ठीक करने की तरफ ध्यान दे।

मुरादाबाद से गंज जलालाबाद को लाइन खींच कर डाल दी गयी है। दुर्गागंज से नेकपुर नेवादा, मगरहा, सांड़ी सब स्टेशन से हरपुर तक, सदामऊ सब स्टेशन से गौरा, शाहपुर वसुदेव से यानी तपनौर, सदामऊ सब स्टेशन से तेरवा बासां कुरसठ, मल्लावां से राधोपुर, मल्लावां से पुरवावां। अगर इन तमाम जगहों पर बिजली पहुंचा दी जाय तो सारे इलाके के अन्दर भरपूर हो सकता है। परन्तु बड़े अफसोस की बात है कि अनुभवी आफिसरों के तबादले हरदोई से एकदम कर दिये गये। मैं चाहता हूं कि अधिकारी वर्ग और माननीय मंत्री जी इधर ध्यान दें तो उसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है।

मैं मिर्जापुर भी गया था। मैं आपको वहां की भी थोड़ी सी बात बतला दूं। मिर्जापुर जिले में सिंचाई के साधन न होने की वजह से बड़ी परेशानी है। सभी इस बात को जानते हैं कि वह सूखाग्रस्त इलाका है। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि अगर घाघर कैनाल में आप सोन नदी का पानी बहा दें तो मैं समझता हूं कि वहां सिंचाई का साधन बहुत अच्छा बन सकता है और वहां की जनता सिंचाई से पर्याप्त मात्रा में फायदा उठा सकती है। माननीय मंत्री जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वे मेरी मांगों पर ध्यान दें। हथौड़ा ड्रेन बनवा दें, जो उन्नाव व हरदोई जिले के लिये काल है। अगर तमाम ट्यूबवेल्स बन जायं तो वहां की जनता को किसी से खाना कपड़ा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिये मैं माननीय सदन तथा माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे सुझावों पर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

*श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान खास तरीके से यह जो कटौती का प्रस्ताव है उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं। छितौनी बांध १२ मील ६ फर्लांग बनाया गया जिसमें से सिर्फ ६ फर्लांग बह गया, फिर १२ मील के जो वाई बायर वगैरह कहां चलेंगे? बाढ़ से नुक्सान तो सिर्फ ६ फलांग का हुआ लेकिन नुकसान में दिखला दिया कि गया सबके सब सामान बह गये। मौके पर तो कोई गया नहीं, जांच तो होती नहीं। नतीजा यह है कि छितौनी बांध बन जाने की वजह से पूरे के पूरे पूर्वी जिले में कोई बांध बन्ध नहीं पा रहा है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी का गोरखपुर जिले के मलौनी बांध की ओर ले जाना चाहता हूं। राप्ती के बांयें किनारे से देवरिया जिले के मदनपुर और गायघाट तक ले जाने की स्कीम एक अरसे से बनी हुई है। कांग्रेस सरकार ने स्कीम बनाने का ऐलान किया कि पटेल कमीशन के जरिये बांध लगेगा। इससे ४७ हजार एकड़ जमीन बाढ़ के पानी से डूबने से बच जायेगी और एक लाख जनता बाढ़ से मुक्त रहेगी और उसमें मुश्किल से २५ लाख का खर्चा है। छितौनी बांध पर सिंचाई विभाग के सारे इंजीनियर लूटने पर लगे हुये हैं क्योंकि इस पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। नैपाल के बजाय मिर्जापुर से पत्थर जा रहा है। इसलिये कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सकेगा। एक दफा पत्थर का टांका देने के बाद ईंट लगाई जा रही है। नैपाल से पत्थर लाना नहीं है। मिर्जापुर से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रबली]

लाना है। अगर पत्थर न मिल सके तो ईंट ही काम में लाई जा रही है। जहां पत्थर १०० वर्ष टिकता वहां ईंट केवल ५ वर्ष तक ही टिक सकगी। लेकिन पत्थर और ईंट दोनों की लागत बराबर पड़ रही है और बांध की मजबूती केवल ५ साल की ही होगी। इस तरह से पहले तो बांध बन रहा है और सारे इंजीनियर लोग लगातार उसमें लगे हुये हैं। दूसरा जो काम बाढ़ का है उसमें लगे हुये हैं।

मैं मंत्री जी से आपके द्वारा कहूंगा क्योंकि वे जनता प्रिय हैं। पूरी मिनिस्ट्री के लिये तो नहीं कहता हूं लेकिन टम्बेश्वर प्रसाद जी के लिये मेरी निजी राय है कि वे चाहते हैं कि उनके हाथ से जनता का भला हो। इस नाते से उनका विशेष तौर से ध्यान दिलाऊंगा देवरिया जिले के राप्ती बाढ़ के इलाके की ओर। वहां एक बूंद सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं हुई है और न बाढ़ को रोकने की कोशिश ही हो रही है। लेकिन बाढ़ के रोके बगैर यह प्रदेश खाने के मामले में आत्म निर्भर कभी नहीं हो सकता। (लाल बत्ती होने पर) अधिष्ठाता महोदय, मुझ दो मिनट का समय और दे दें तो मैं अपनी बात खत्म कर पाऊंगा।

श्री अधिष्ठाता--

अभी दो मिनट बाकी है।

श्री चन्द्रबली--

इसके अलावा चाहता हूं। प्रदेश की धरती के दो रोग हैं। एक तो जलोदर दूसरा सूखा। जयह सालों से चल रहे हैं। इसके लिये राप्ती के इलाके में ट्यूबवेल और छोटी सिंचाई की योजना के लिये पैसा मांगा हुआ है, लेकिन हर चौथे वर्ष जब जलोदर रोग होता है तो बाढ़ का असर पड़ता है और ५० लाख एकड़ जमीन में पानी का लगाव होता है। इसके लिये न तो वर्तमान सरकार की और न भूतपूर्व सरकार की कोई स्कीम रही है। अकाल से जब जनता परेशान हो रही है तो सूखे का बहाना बनाया जा रहा है और बारिश हो जाय तो बाढ़ का बहाना बना दिया जाता है। सारा दोष प्रकृति के मत्थे मढ़ दिया जाता है। जब पानी निकासी का काम, यानी बाढ़ का काम और सूखे से बचने के लिये सिंचाई की व्यवस्था होगी तभी प्रदेश खाने के मामले में आत्म निर्भर हो पायेगा। तब उत्तर प्रदेश खानेके मामले में आत्मनिर्भर हो पायेगा। सिर्फ सूखा रोग का उपचार करने से उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं होगा।

रुद्रपुर इलाके में सिंचाई के साधन देने के लिये जोगिया खुर्द के पास गुर्रा नदी पर रेगुलेटर लगाकर कठने नाले को भर दिया जाय तो आठ मील भर जायगा।

इस आठ मील के दोनों तरफ सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जायेंगे। इसी तरह गोरखपुर में मनोली बांध को राप्ती के बांये किनारे पर गाय घाट और मदनपुर तक ले जाया जाये। इसमें गोरखपुर और देवरिया की ४७ हजार एकड़ भूमि बाढ से बच जायगी और वहां की जनता अन्न पैदा कर सकेगी। यही वह इलाका है जहां अनाज पैदा होता है जिससे मालूम होता है कि देवरिया भर में अनाज पैदा हो गया। तभी गोरखपुर का बाजार चौरी-चौरा अनाज से भर जाता है जब बाढ आती है तब सिर्फ बांगर के एरिया का अनाज दिखाई पड़ता है कछार ही अनाज की खान है। वहां न सिंचाई का साधन है और न बाढ से बचने का उपाय है। पिछले पांच साल से इलाका उपेक्षित है। वर्तमान सरकार से निवेदन करूंगा कि इधर वह ध्यान दें जो इलाके पिछड़े हैं उनकी तरफ। पश्चिमी जिले के लोग खास तरीके से कहते हैं कि हमारे जिलों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। मैं साफ कहता हूं कि न पूर्वी पिछड़े हैं न पश्चिमी पिछड़े हैं। दोनों तरफ के इलाके पिछड़े हुए हैं देवरिया का इलाका पिछड़ा है समचा देवरिया पिछड़ा नहीं है, समूचा बनारस पिछड़ा नहीं है, उसके कुछ इलाके पिछड़े हैं समूचा मेरठ और समचा

अलीगढ़ पिछड़ा नहीं है, उनके कुछ इलाके पिछड़े हैं। इस लिये जो इलाके पिछड़े हैं उनकी दृष्टि से अगर काम नहीं होगा और पूर्वी पश्चिमी जिलों की लड़ाई लड़ते रहेंगे तो पिछड़े इलाकों का विकास नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के शहर आगे बढ रहे हैं। बम्बई, दिल्ली, कलकता, बढ़ रहे हैं, लखनऊ और बनारस बढ़ रहे है।

(इस समय १ बजकर ४९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अध्यक्ष—

आपका समय नहीं बढ रहा है।

श्री चन्द्रबली—

इसलिये पिछड़े इलाकों की तरक्की के लिये योजना बनाई जाये और सरकार के साधनों को उसी दृष्टि से लगाया जाय।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं सारे माननीय सदस्यों से क्षमा याचना करूंगा। उनकी इच्छा रहते हुये भी नहीं बुला रहा हुं। कृपा करके आसन ग्रहण करें। अब कटौती के प्रस्तावकर्ता को बुलाऊंगा।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सिंचाई विभाग के अपने कुछ महत्व है और अपनी कुछ विशेषतायें हैं। इसको सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों ने स्वीकार किया और सिंचाई मंत्री ने भी स्वीकार किया। इसकी विशेषता में दो शब्दों में कहना चाहता हूं। विशेषात यह है कि किसान जब पानी चाहे तब मिले। और जितना पानी चाहें उतना मिले। अब देखना यह है कि इस समस्या की ओर हमारी सरकार किस तरह से अग्रसर हो रही है। समय थोड़ा है इसलिये इतना ही कह कर इस सबंध में खामोश हो जाऊंगा कि जिस प्रकार से इस अनुदान को हमारे सामने लाया गया उससे भविष्य का नक्शा हमारे सामने आ गया है। उसका अच्छा पोस्टमार्टम हमारे उधर के माननीय सदस्यों ने भी किया। यद्यपि आखिर में उन्होंने यह कह दिया कि वे अनुदान का समर्थन करते है लेकिन जो उन्होंने पोस्टमार्टम किया है उससे उत्तर प्रदेश में चाहे आबपाशी हो या न हो मेरे कलेजे की आबापाशी जरूर हो गयी। मेरा इस सरकार पर चार्ज है कि प्रदेश के किसानों की आवश्यकताओं की ओर इस सरकार का दृष्टिकोण शुद्ध नहीं है।

अब मैं केवल दो तीन बातों की ओर संकेत करना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने वित्त भाषण में कहा था कि हमारी सरकार ११२ नये नलकूप बनायेगी लेकिन हमारे सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि केवल ११० बनेंगे। यानी दो को घटा दिया गया। यह क्यों? यह समझ में नहीं आता। कौन सी बात सही है? वित्त मंत्री जी ने कहा कि १.३९ लाख एकड़ अतिरिक्त सिंचन क्षमता बढ़ायेंगे। सिंचाई मंत्री ने कल कहा कि उसको साढ़े चार लाख एकड़ अर्थात् २ लाख एकड़ खरीफ में और ढाई लाख एकड़ रबी में किया जायेगा। मैं नहीं समझा कि कौन सी चीज विश्वसनीय है।

अब मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। प्लान में १४५ करोड़ रुपये की व्यवस्था इस संबंध में की गयी थी। प्लानिंग कमीशन ने इस मद में १० करोड़ रुपये और बढ़ाए जिसमें ६ करोड़ लघु सिंचाई के लिये और ४ करोड़ पावर पर थे, लेकिन इसका कोई संकेत मुझे बजट में नहीं मिला कि इस रुपये का कहां प्राविजन किया गया है। इसको मैं इसी रूप में मानता हूं कि गम्भीर दृष्टिकोण की कमी है, सिंसियारिटी आफ परपज नहीं है।

[श्री रघुनाथसिंह]

हमारे सिंचाई मंत्री जी और सौभाग्य से मुख्य मंत्री जी भी मौजूद हैं वह इस प्रदेश की इस महत्वपूर्ण समस्या पर ईमानदारी से सोचें और कुछ ऐसा करें जिससे प्रदेश की वास्तविक तरक्की हो सके। एक सुझाव मेरा यह है उनसे कि आप एक ऐसा सर्वेक्षण करायें कि हमारे पास कहां कुल कितना पानी है? जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे। जैसा गेंदासिंह जी ने अभी संकेत किया है कि उत्तर प्रदेश पानी का बड़ा धनी है पर उस धन का हम उपयोग कैसे करें इसके लिये हमारे अन्दर अक्ल हो तो उस अक्ल का इस्तेमाल करें। इसका सर्वेक्षण बड़ा जरूरी है कि कितनी मात्रा में पानी हमारे पास उपलब्ध है और कौन कौन से साधन कहां से उपलब्ध हो सकते हैं जिनसे उनका प्रयोग करके हम अपने प्रदेश को हरा भरा कर सकें। दूसरी बात यह है कि जो कमान्ड एरिया है नहरों का उस पर भी विचार करें। उसको इस प्रकार से बदलने की कोशिश की जाय जिससे विनाशकारी प्रभाव जो किसानों को भुगतना पड़ता है वह उससे बच जायं और आगे उनको भुगतना न पड़े।

तीसरी चीज में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके डिवीजन हैं वह जिस तरह से बने हैं उनको रिआर्गनाइज करने की जरूरत है। मेरे कानपुर जिले का एक बड़ा हिस्सा इटावा डिवीजन में मिला दिया गया है। नतीजा यह होता है कि किसी किसान को अगर कोई शिकायत होती है और कानपुर में उसको कहता है तो उससे कहा जाता है कि तुम इटावा जाओ। इटावा दरख्वास्त लिखता है तो उसका जवाब नहीं आता। इस तरह की कठिनाई लोगों को व्यवहारिक रूप में पैदा हो जाती है। इस पर मंत्री जी किसानों के हित की दृष्टि से दोबारा विचार करें और जो हिस्सा कानपुर का इटावा में रखा गया है उसको वहां से हटाकर कानपुर डिवीजन में मिलाने की कृपा करें।

हमारे उधर के माननीय सदस्यों ने इस विभाग में फैले हुये भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया और बड़ी शिकायत की, लेकिन उसके बारे में मैं तो बड़ा निराश हूं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि इस सरकार का जन्म ही भ्रष्टाचार से हुआ है तो फिर उसमें भ्रष्टाचार को दूर करने की शक्ति कहां? बड़ी निराशा है, लेकिन फिर भी सरकार है और मेरा कर्त्तव्य है कि मैं अपनी उनसे प्राथना करूं कि जो कुछ भी प्रयास हो सकता है वह किया जाय। इसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। नहरों में बालू की सफाई होती है। आम के आम और गुठलियों के दाम वसूल किये जाते हैं। अन्दर से बालू निकाल कर पटरी पर डाल देते हैं उससे मरम्मत का पैसा बनता है और नहर से निकालने का भी पैसा बनता है नहर की बालू से ही सारा काम बन जाता है। यह खुलेआम भ्रष्टाचार नहर विभाग में होता है। पतरोल और अमीन की ओर क्या संकेत करूं। मेरा सुझाव यह है कि इस विभाग में भी प्रजातंत्र इन्टरोड्यूस करें जिससे वह समझे कि हमारी प्रजातंत्र की सरकार है और सरकार और पब्लिक के नुमाइन्दे चुनकर सरकार बनाते हैं। जहां पर गांव पंचायत की बैठक होती है वहां पर पतरोल और अमीन को उन गांव पंचायतों में भाग लेने का आदेश होना चाहिये। वहां पर जो किसानों की शिकायतें होंगी कि उनका इन्दराज गलत हुआ है या सिंचाई नहीं हुई है उसका कर उनसे चार्ज किया जा रहा है या उनका नाम गलत लिख लिया गया है, इस प्रकार की शिकायतों का उनको सुनने का अवसर होगा और उनके उत्तर देने का भी उनको अवसर होगा। मुझे आशा है इस प्रकार की व्यवस्था यदि हो जाय तो इससे शायद कुछ सुधार हो सकेगा। जो किसानों की कठिनाई होती है उसमें भी सुधार होगा।

एक बात यह निवेदन करना है कि जो आपका रेवन्यू विभाग सिंचाई कर लिखता है इसको आप रेवेन्यू डिपार्टमेंन्ट के अन्दर कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। यह लोग इंजीनियर के मातहत होते हैं अगर उनका रुख बदल गया तो फिर आपस में कमीशन वगैरह की बात हो जाती है। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंन्ट के अन्दर ये रहेंगे तो फिर दोनों में प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। एक विभाग हिसाब रखेगा और दूसरा सूवल करेगा। यदि ऐसा कर दिया जाय तो इससे अच्छा नतीजा निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप इस पर भी विचार करें।

पावर के बारे में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक समस्या यह है कि हम अपने फाइनेंस को कैसे बढ़ायें। आपके पास रिजर्व फंड का रुपया है जिसमें जमींदारी अबालीशन फंड का २०–२५ करोड़ रुपया शामिल है वह इकट्ठा है। उसे आप गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया की सिक्योरिटीज में लगाते हैं जहां से मैं समझता हूं उतना सूद नहीं मिलता। अगर उसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दे दें तो सूद भी अधिक मिलेगा और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इतना सक्षम हो जायगा कि इस प्रदेश की आवश्यकताओं को आसानी से हल कर सकेगा। और प्रदेशों में मैंने देखा कि मद्रास और महाराष्ट्र में इलेस्ट्रिसिटी बोर्ड को गवर्नमेंन्ट अपनी ओर से सब्सिडाइज करती है। हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस ओर भी खाद्य समस्या को हल करनेके लिये अवश्य देखना होगा।

एक दिक्कत यह भी है कि आपने बिजली पैदा करके बी० ए० सी० को दे दी क्योंकि ट्रांस्मिशन लाइंस नहीं थीं। तो पहले तो आप ट्रांसमिशन लाइन्स डालें इसके साथ ही बिजली पैदा करें, दोनों चीजें एक साथ हो जांय तो आपको इधर–उधर भटकना न पड़े। पावर के संबंध में एक सर्वे अवश्य होना चाहिये। मंत्री जी ने संकेत किया कि पावर दरख्वास्त पर न मिले ऐसा अवसर नहीं आने पायेगा। मैं समझता हूं यह गलत है। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने पावर मांगी है और नहीं मिली। उधर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी पैसा मांग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

*सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं अपने लायक दोस्त का जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश करके कुछ ऐसी बातों की ओर ध्यान दिलाया जिससे इस विभाग में सुधार हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने जो तत्काल बातें कहीं जिनकी ओर मेरा विशेष ध्यान गया वह यह कि बजट के अभिभाषण के समय जो आंकड़े थे और अब के आंकड़ों में उनको भिन्नता लगी जो कि भीषणा हुई। मैं बता दूं कि वह वही आंकड़े सही मानें जो उनको ज्यादा बड़े लगते हैं ज्यादा वाले अपने लिये मानें, कम वाले हमारे लिए छोड़ दें। यह सरकार प्रयत्नशील है कि हम तत्काल अधिक उन्नति करते जायं इसलिये इस बात की संभावना रहती है कि कदाचित् हमारी जानकरी में कोई चीज कम रही हो तो हम तत्काल उसे निकाल दें। इस विभाग की कमियों की ओर हमारे मित्रों ने ध्यान दिलाया। सही है, कमियां हो सकती हैं, आगे भी होंगी, लेकिन मैं रास्ता चाहूंगा अपने मित्रों से जैसा कि उन्होंने कहा अभी भी कि सरकार के भ्रष्टाचार के मिटाने के प्रयास में क्या सहायता देने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो पहली सरकार नहीं कर पायी अगर उसको यह नयी सरकार करने के लिये तत्पर हो तो आगे आइये इसकी सहायता के लिये। आज सबसे बड़ा दोष जो समाज में चारों ओर फैला हुआ है वह निश्चित रूप से भ्रष्टाचार है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। तीन वर्ष पहले गवर्नर साहब के अभिभाषण में इसका जिक्र हुआ था, फिर उसके बाद सरकार ने कुछ आयोग बनाये, पर यह भी बताया कि कोई मुकदमा हुआ ही नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं कि उस समय भी इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले यह समझते थे कि जो विभाग चौधरी चरणसिंह साहब के पास चला जाता है उसमें भ्रष्टाचार प्रायः समाप्त हो जाता है या कम होने लगता है। मैं नहीं कहता कि इन तीन महीनों में भ्रष्टाचार हमने सब खत्म कर दिया, लकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं और वह यह कि उसमें कमी हुई है। मुझे २–३ विभागों से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद]

सूचना मिली है कि जिस किसी भ्रष्टाचारी को दंडित करनेका प्रयास हुआ है तो उसको बचाने के लिये सबसे उच्च आदमी का हाथ रहता था, नीचे का नहीं। अगर किसी भ्रष्टाचारी का तबादला किया जाता था तो उसको रुकवाने में मंत्रिपरिषद् के लोगों का हाथ रहता था, नीचे के कर्मचारियों का नहीं। मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, जहां तक जो मेरी जानकारी में आया वह मैंने बताया। मैं केवल यही कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये हमने शुरुआत की है। यह कोई अच्छी बात नहीं होती थी कि पहले किसी को सस्पेंड कर दिया, बाद में उसका सस्पेन्शन रोक दिया। और उसकी कोई जांच वगैरह नहीं हुई। मान्यवर, यहां तक देखने में आया है कि फाइलें गायब हैं। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि बड़ी दिक्कत हो रही है बहुत सी फाइलों के मिलने में और यह पता लगाने में आखिर किसी कस की जड़ें कहां गड़ी हैं।

मान्यवर, हमने कई अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है। कई को निलम्बित किया है। दो अधिकारी अधिशाशी अभियन्ता के खिलाफ कार्यवाही की है, ११ सहायक अभियन्ता क खिलाफ कार्यवाही की है, उनको निलम्बित किया है। १६ अधिारियों के खिलाफ सतर्कता आयोग में जांच हो रही है। माननीय चन्द्रबलीसिंह जी ने छितौनी बांध का बड़ा जिक्र किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि बहुत दिनों तक किसी भी जांच को या प्रभावकारी कदम को रोका नहीं जा सकता। छितौनी बांध के संबंध में जो भी भ्रष्ट अधिकारी रहे हैं वे एक दिन जरूर सजा पायेंगे, यह मेरा निश्चित विश्वास है।

जो यह शिकायत की जाती है कि नहरों में जल नहीं है, नलकूप बने पर चलते नहीं हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि पहली बात जो मुझे पता चली इस संबंध में वह यह कि पहले यह ध्यान नहीं दिया जाता था कि नलकूप चला या नहीं, ध्यान इसपर दिया जाता रहा कि वह बना या नहीं। उसके बनने पर ही ज्यादा ध्यान दिया गया। कई कई वर्षों तक नलकूप बने पड़े रहे पर चले नहीं। प्रतापगढ़ में करीब-करीब ३८४ ऐसे नलकूप हैं जो बने हैं मगर उनका यह पता नहीं कि वे चले या नहीं और वे किस आधार पर बने। सैकड़ों नलकूप ऐसे हैं जो पर्याप्त मात्रा में तो क्या कुछ घंटों में भी नहीं चले। माननीय कमलापति त्रिपाठी ने एक दिन कहा था कि माननीय चरणसिंह जी ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि सारी सिंचाई की व्यवस्था पश्चिमी जिलों में चली जाय। वे शायद उसको समझे नहीं थे, मैंने इन्टेन्सिव कल्टीवेशन का जिक्र किया था। वह सही है कि जहां नलकूप कम घंटे चलेंगे वहां हम पानी अधिक दे सकते हैं। वहां इन्टेन्सिव खेती की क्या गुंजाईश है बनिस्बत इसके सात-आठ हजार घंटों की देर हो। पूर्वी जिलों के लिये पानी है पर पानी लेने वाला नहीं है। स्वभावतः इसमें कोई अन्तर नहीं होता कि एक हजार घंटे किसी नलकूप पर बढ़ाया और यह प्रयास किया कि कुछ नलकूपों पर हम एग्रीकल्चर के जानकार रक्खें जो नई फसलों को या फसलों के हेरफेर से फसलों को बढ़ायें। इसको भी हम बहुत स्थानों पर नहीं कर सकते हैं। हमने जो कुछ भी किया है उस में अच्छी सम्भावना है दुफसली एरिया की और अन्न उत्पादन की आशा भी बढ़ी है। यह मैंने इसलिये कहा कि जो नलकूप बने पड़े हैं, इस सरकार के आने के पहिले बहुत से उखाड़ देने की सिफारिश पिछली सरकार ने की थी। ऐसे नलकूपों की जिनकी तादाद पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत है, कीमत करोड़ों रुपयों में होगी।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे १५ मिनट का समय और दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

उस वक्त घोषणा की गई थी कि इसको कोई ढ़ाई बजे तक समाप्त कर देंगे .....

श्री टम्बरेश्वर साद—

श्रीमन्, दो बजे तक तो वाद विवाद समाप्त होने की घोषणा की गई थी, वही २-१० पर हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, एक जिक्र आया कि पतरौल तथा और जो नलकूप कर्मचारी हैं वे भ्रष्टाचार करते हैं। हो सकता है। लेकिन हर उस केस में जिसकी जानकारी हमारे विभाग को होगी, सजा दी जायेगी, वह बचने नहीं पायेगा। छः सौ से अधिक नलकूप चालकों को सजा दी जा चुकी है इसलिये कि उन्होंने किसी प्रकार की गलती अपने काम में की है। यहां इस बात का जिक्र भी किया गया कि छोटे-छोटे कर्मचारियों को घर से दूर न जाने दिया जाय इसके संबंध में मैं निर्देश दे रहा हूं कि छोटे छोटे वेतन के कर्मचारियों को घर से दूर न जाने दिया जाय ताकि वे सीमित साधनों में अपना गुजर कर सकें। यहां पर माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि १४-१४ सालों से ओवर सीयर एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं। इसे मैंने देखने की कोशिश की और इसके लिये इस सरकार को स्वयं बधाई लेनी चाहिये कि जिस जगह मेहन-ताना बंधा हुआ है उन्हीं खंडों को तोड़ने की कोशिश की गई है। ऐसी जगहों पर जहां यह भ्रष्टाचार पनप रहा था उनको उखाड़ने की कोशिश की गई है। एकाउन्ट्स और स्टोर्स के जिम्मेदार कर्मचारी जो तीन-चार वर्षों से अधिक रुके हुए हैं, उनके लिये यह निर्देश दिये गये हैं कि उनको तत्काल हटा दिया जाय और इस तरह यह सम्भव है कि उनके स्थानों पर नये लोगों को नियुक्त किया जा सके ताकि पूरे अफैयर्स की जानकारी हो सके।

हमारे माननीय सदस्य माननीय बीरेन्द्र वर्मा ने कुछ बातें कहीं और उन्होंने सुझाव दिया कि कुलावों के कमान्ड से जो पानी का प्रयोग करते रहे हैं उनको पानी उसी तरह से दिया जाय। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इसका प्रबन्ध कर रहे हैं कि उनको पानी दिया जाय। हमने यह भी प्रयास किया है कि विदेशी मुद्रा को बचाने के लिये अपने प्रदेश का धन बाहर न जाय। इसके लिये हम अपनी कर्मशाला .....

श्री चेतराम पचपेड़ा (जिला बरेली)—

मैं जानना चहता था कि कमान्ड से अर्थ क्या है? इसे कृपया स्पष्ट कर दें।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

बरेली, मेरठ, रूड़की और झांसी में हमारी कर्मशालाओं ने अच्छा काम किया है और उनमें वे बहुत सी चीजें बनने लगी हैं जो कि हम बाहर से मगाते रहे हैं। इसलिये बाहर से चीजों का मंगाना कम हो गया है।

मेरे मित्र ने कहा था कि सरयू की योजना विस्तार से यहां रखी जाय। घाघरा नदी का बैरेज, लोअर शारदा का बैरेज, कैनाल सिस्टम, सब ऐसे कार्य हैं जिनका निर्माण होने से काफी लाभ होना चाहिये। इन ऐसी योजनाओं को हम पहले खन्ड में ले रहे हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी सरयू का जल सिंचाई के लिये प्राप्त कर सकें।

कुछ बिजली के संबंध में यहां प्रश्न किये गये। एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम केवल जेनरेशन की ओर ही ध्यान न दें, ट्रांसमिशन की ओर भी ध्यान दें। पिछले प्लान में ५० करोड़ से ऊपर रुपया खर्च करके पुरानी सरकार ने १४ मेगावाट बिजली बनाने की योजना बनाई, लेकिन १ मेगावाट का भी उत्पादन पिछले वर्ष नहीं हो सका। हमने प्रयास किया कि इस वर्ष हम १०० मेगावाट बिजली अधिक उत्पादन करलें। हमने ४०० वोल्ट की, २२२ कीलोवोल्ट की, १३२ कीलोवोल्ट की और ११ कीलोवोल्ट की हजारों मील लम्बी लाइनें बिछाई है और बहुत से सबस्टेशन २२२ के० वी० से ११ के० वी० तक के बनाये हैं। ये सब तीन महीने में हुआ है। ५४०९ ट्यूबवैलों को बिजली दी गई है। ५०,००० कीलोवाट की

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद]

क्षमता का ओबरा में प्रथम प्लान्ट चलाया है, एक मास के अन्दर। जिन परिस्थितयों में यह सब किया गया वह सदन के सामने हैं। हमने एक भी अर्जी ट्यूबवैल लगाने की, यानी बिजली देने की, खारिज नहीं की है जो बिजली के लिये आई हैं। बहुत दिन का एक ऐसा वातावरण बना हुआ था जिसमें कि बिना किसी सिफारिश के या सोर्स के कनेक्शन नहीं मिलते थे। मैं दावत देता हूं सदन को कि पुराने एग्रीमेंट्स को पूरा करते हुए नये कार्यों को पूरा करके हमारे विभाग ने उस क्षमता का परिचय दिया है जो उससे अपेक्षित है। हमारे इंजीनीयरों की क्षमता के लोग दूसरे प्रदेशों और देशों में भी काम कर रहे हैं। मद्रास में कोई विलायत से इंजीनियर नहीं आये हैं। लेकिन मैं एक बात बतला दूं कि घोड़ा अपने सवार को पहचानता है। अगर आपके अन्दर काम लेने की क्षमता नहीं थी तो यह हमारा दोष नहीं था। पहले सब काम पोलीटीकल मंशा से होते थे। जहां आपके लोगों के फार्म थे, वहां ट्यूबवैल लगे और जहां आप चलते थे वहां सड़कें बनीं। आप अपने ही क्षेत्र में नहरें बढ़ाते चले जावें तो मैं इसके लिये दोषी किसको कहूं? यह सोचना होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि अधिकारियों ने कर्मचारियों ने बड़ी मुस्तैदी से आपके उन हुक्मों का पालन किया है। जो कांग्रेस सरकार पिछले बीसों वर्षों से उन्हें देती चली आ रही है। समाज के हित में उन्हें चाहिये था कि स्वार्थ को एक बार छोड़ देते, रोक देते कदाचित् अधिकारीगण नियंत्रण में थे, डिस्पिलिन का सवाल था, जिसके कारण आपके उन हुकुमों को वे मानते चले आये और अपने प्रदेश को यहां पहुंचा दिया। जितनी व्यवस्था की गई हैं कदाचित् उससे कहीं ज्यादा हो सकती थीं। नहरें तथा ट्यूबवैल जनहित में लगाये गये होते तो सिंचाई की व्यवस्था आज से कहीं अधिक अच्छी होती। हमारे ४०० से ५०० तक ऐसे ट्यूबवेल हैं जो बेकार हो गये हैं और ५०० ऐसे हैं जो खुदे हुये पड़े हैं। १००० नलकूपों में १० करोड़ रुपया लागत आती है। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? यह कहना उचित नहीं होगा। लेकिन आप और हम उससे भाग नहीं सकते हैं। आपको हमारी व्यवस्था में सहयोग देकर जनता को लाभ पहुंचाना होगा। बहुत सी कमियां हमारे अन्दर हैं और रहेंगी भी, लेकिन वे कमियां नहीं रहेंगी जिनकी ओर हमारे माननीय सदस्य ध्यान दिलावेंगे। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि हमारा सारी कमियां की ओर ध्यान गया है। मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि आगे बढ़ने की प्रगति तेज होगी। हम तो कम रुपया इस अनुदान के लिये लाये हैं। इससे अधिक रुपया इस अनुदान के लिये होना चाहिये था। मैं आशा करता हूं कि इस अनुदान को पास करके सदन हमें बल देगा। इससे हमको प्रोत्साहन मिलेगा

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कालागढ़ के श्रमिकों के लिये कोई बात नहीं कही है यह भी नहीं बतलाया है कि इन श्रमिकों पर जो मुकदमें चल रहे हैं, उनका क्या होगा?

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय मंत्री जी को मजबूर नहीं कर सकता हूं कि वह क्या कहें।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१--राजस्व से किये जान वाले सिंचाई निर्माण-कार्य के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३१--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई निर्माण-कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि के पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४,६०,२७,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और आवाजों से मत होने पर)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

नहीं की संख्या अधिक है।

श्री अध्यक्ष--

मैं विभाजन की घंटी बजवाता हूं।

(विभाजन की घंटी बजाई गई।)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, मैं डिवीजन की मांग करता हूं लाबी में।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। पहले मैं घंटी बजवा रहा हूं।

(घंटी बजायी गयी)

श्री अध्यक्ष--

जब तक घंटी बज रही है मैं माननीय सदन के सदस्यों के अतिरिक्त जो हमारे कर्मचारिगण हैं, उनको और जो अन्य व्यक्ति हैं, उनको, यह सूचना देता हूं कि अगर लाबीज में कोई ऐसे सदस्य हों, जो इस सदन के सदस्य न हों, तो वे फौरन लबीज से बाहर चले जायं। जब डिवीजन मुझे इम्मीनेंट दिखायी दे रहा है तो मैं बाहर के किसी भी व्यक्ति का लाबीज में रहना उचित नहीं समझता हूं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

विधान परिषद् के मंत्रिपरिषद् में जो सदस्य हैं वे भी न रहें।

श्री अध्यक्ष--

जिन विधान परिषद् के माननीय सदस्यों को संविधान के अनुसार इस सदन में बैठने का अधिकार है वे हाउस में रह सकते हैं, यद्यपि वे वोट नहीं दे सकते। उन पर मेरी रूलिंग लागू न होगी। वे यहां बैठ सकते हैं।

श्री हेमवती नन्दनबहुगुणा--

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। लेकिन श्रीमन्, मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं कि लाबी में विभाजन के समय जो भी सदस्य जायं, वे इसी सदन के सदस्य हों, दूसरे सदन के सदस्य न जायं। यह व्यवस्था तो आप कर ही चुके हैं लेकिन इसके पहले कि माननीय सदस्यगण लाबी में जायं एक बार आप अपने सचिवालय के कार्यकर्ताओं को, जो मत विभाजन का कार्य देखेंगे, यह आज्ञा कर दें कि वे लाबी को देख लें कि उसमें कोई और सदस्य तो नहीं रहा। इस सदन के सदस्यों को भी सदन में भेज कर एक बार लाबी को खाली करा लें।

श्री अध्यक्ष—

जो बात आपने कही है उसके पहले ही मैं उसके बारे में आदेश दे चुका हूं। हमारे कर्मचारी स सब को देखेंगे और मेरे आदेश के बाद तो देख ही रहे होंगे। आप यह मान लीजिये कि वे देख रहे हैं और देखना उनका फर्ज है।

गृह उपमंत्री (श्री रुस्तम सैटिन)--

श्रीमन्, ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि इस पक्ष का कोई जिम्मेदार माननीय सदस्य उधर की लाबी में जाकर देख ले और उस पक्ष का जिम्मेदार माननीय सदस्य इधर की लाबी में देख लें।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप समझें कि कोई दिक्कत हो रही है तो इसको भी देख लूंगा।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)--

श्रीमन्, बहुत से सदस्य नये हैं इसलिये सदस्यों को आप बता दें कि उनको किस लाबी में जाना है। 'हां' की लाबी कौन सी है और 'ना' की लाबी कौन सी है।

श्री अध्यक्ष--

आप धैर्य रखें। सब हो जायगा।

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३१-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४, ६०, २७, ३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन कराने के प्रयत्न पर)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

हम लाबी में लिखित विभाजन चाहते हैं। (आवाजें)

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन के सदस्यों की ऐसी इच्छा देख रहा हूं कि विभाजन लाबी में ही हो। मैं उसको स्वीकार करता हूं। (तालियां)

श्री अध्यक्ष--

अब जो प्रश्न मैंने प्रस्तुत किया है उसके पक्ष में जो माननीय सदस्य हों वे 'हां' की लाबी में जायेंगे जो कि मेरे सीधे हाथ की तरफ है और जो विपक्ष में हों वे 'नहीं' की लाबी में जायेंगे जो बांई तरफ है। आप लोग शांति से इस कार्य को सम्पन्न करें।

(थोड़ी देर बाद श्री अध्यक्ष के सामने वाली सदन की घड़ी के नीचे गड़बड़ होने पर)

श्री अध्यक्ष--

सामने जो माननीय सदस्य इकट्ठा हो गये हैं वे कृपया इधर उधर हो जायं।

(फिर भीड़ में गड़बड़ी होने पर)

श्री अध्यक्ष--

वह सदन में जो उधर भीड़ हो गई है मैं उस तरफ जमा माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि इस अवसर पर कृपया शांति रखें।

(फिर व्यवधान और बढ़ने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं सारे माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि सब लोग शांति से अपने अपने कक्षों में जाकर वोट करें। इस सदन में भीड़ में न खड़े हों इधर उधर जायं। (व्यवधान)

(छीना झपटी का दृश्य उपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य खड़े हैं उन से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे या तो अपने स्थान पर बैठें या अपनी-अपनी लाबी में जायं। भीड़ न करें।

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके सामने भीड़ न कीजिये।

(अत्यन्त शोर)

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके वहां से हटिये।

(अत्यन्त शोर)

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य सामने खड़े हैं वे कृपया वहां से हट जायं।

(अत्यन्त शोर)

श्री अध्यक्ष—

मेरे सामने जो लोग खड़े हैं उनसे बिला वजह व्यवधान हो रहा है। कृपया वे वहां से हट जायं।

(अत्यन्त शोर)

श्री अध्यक्ष—

यह जो यहां पर हो रहा है बड़ा ही अशोभनीय है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे कृपया सामने से हट जायं।

(अत्यन्त शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग अपनी-अपनी लौबीज में जायं।

(अत्यन्त शोर)

श्री अध्यक्ष—

देखिए, मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। आप कृपा वहां से हट जाइये। मैं सदन को एडजर्न कर रहा हूं।

(अत्यन्त शोर)

श्री अध्यक्ष—

अब कोई कार्यवाही नहीं होगी। मैं सदन को आधे घंटे के लिये एडजर्न कर रहा हूं। यह विभाजन निरस्त माना जायगा। अब कोई लौबीइंग से लाभ नहीं है।

(इसके पश्चात् २ बजकर ४५ मिनट पर सदन आधे घंटे के लिये स्थगित हुआ और ३ बजकर १५ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि सदन में जो इस समय घटना घटी उसकी सारी जिम्मेवारी इस बात पर पैदा हुई कि जब हमारे माननीय भगवती प्रसाद, जो हरिजन सदस्य हैं, उनको खींच कर प्रतिपक्ष के लोग ले जा रहे थे।

(व्यवधान)

अब इसी से देख लीजिये कि किसकी जिम्मेवारी है।

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन से अनुमति चाहूंगा कि पहिले मुझे २ मिनट कहने दें। जो माननीय सदस्य उधर खड़े हैं वे बैठ जायं।

श्री उग्रसेन—

शान्ति स्थापित कीजिये और प्रक्रिया चलायें।

श्री अध्यक्ष—

उसमें सहायता कीजिये। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कुछ मिनट पहले जो कुछ इस सदन में वोटिंग की प्रक्रिया चलते हुये हुआ वह अत्यन्त अशोभनीय था और उससे मैं समझता हूं कि हर एक व्यक्ति को दु:ख होना चाहिये। अब अगर कोई माननीय सदस्य इस वक्त खड़े हो जायं और उसके कारणों पर प्रकाश डालने लगें और यह बतायें कि किसकी गलती थी और कैसे शुरू हुई तो उससे समस्या का समाधान नहीं होगा, विघटन हो सकता है और अशान्ति हो सकती है। तो एक तो मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि यदि वे उचित समझें तो कृपा करके इस बात को छोड़ दें कि कैसे दिक्कत शुरू हुई। बहरहाल, जो हुआ कैसे भी हुआ हो मैं यहां बैठा था मेरे लिये देखना असम्भव था जबकि मेरा आसन माननीय सदस्यों से ऊंचा था, लेकिन कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किसने शुरू किया मैं नहीं देख सका तो शायद कोई और माननीय सदस्य पूरी तरह से निर्णय नहीं कर सकते। इसलिये उचित है कि उसको छोड़ दें। लेकिन यह निश्चित है कि जो कुछ हुआ वह अशोभनीय है। वोटिंग का प्रोसेस है उसमें वोटिंग होनी चाहिये। हर एक माननीय सदस्य का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वोटिंग शान्तिपूर्वक पूर्ण हो जाय और जो जिसक इच्छा है उसको अनुसार वह आदमी अपना वोट दे। वह जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें यहां पर अपनी राय देने, का पूर्ण स्वातंत्र्य होना चाहिये। ऐसा नहीं हो पाया यह दु:ख की बात है, लज्जा की बात है मुझे खेद है।

अब मैं चाहता हूं, मैंने उस समय जो प्रोसीडिंग हुई हाउस में उस स्थिति को देख कर मैंने ऐडजर्न कर दिया। डिवीजन का जो प्रोसेस शुरू हो गया था वह निरस्त हो गया। अब दोबारा डिवीजन कराना पड़ेगा, वह मैं कराऊंगा। मैं उसके लिये चाहता हूं कि अगर कोई माननीय सदस्य अपने सुझाव दें कि कैसे शान्ति से हो सकता है तो मैं इसका स्वागत करूंगा।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

मैं और तो कुछ निवेदन करना नहीं चाहता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर कोई साहब गलती से खड़े हों तो कृपा कर दूसरे लोग न टोकें। और अगर यह नहीं हुआ तो फिर मैं जो मुनासिब समझूंगा वह करूंगा।

श्री फूलसिंह—

क्या अब तक हुआ और आगे क्या होने वाला है यह इस बात से स्पष्ट है कि काफी मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर यहां आ बैठे हैं हमा रेबीच में। तो यह पुलिस का इन्तजाम है या क्या है ?

गृह उपमंत्री (श्री रुस्तम सैटिन)---

मेरा यह सुझाव है कि अब तो वोटिंग हो पहले आप चाहें तो 'हां' वालों को बुला लें और वे लाबी में चले जायं। उसके बाद न वालों को बुला लें और वे लाबी में चले जायं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

मैंने इसी सदन में कुछ दिन पूर्व कहा था कि इतना टेंशन है कि वोटिंग हो तो सीक्रेट बैलेट से हो। (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष---

इस प्रकार शोर करने से मेरे कार्य में सहायता नहीं हो रही है। माननीय सदस्य को कहने का अधिकार है। उन्हें कहने दें। मैं आपके तर्क को स्वीकार करूंगा, आवाज को स्वीकार नहीं करूंगा।

श्री नेकराम शर्मा---

नियमों में व्यवस्था है कि अगर डिवीजन हो और लाबी में मांगा जाय तो लाबी में दिया जाय और उसके लिये आपने लाबी में डिवीजन दिया। फिर जो चक्कर हुआ वह सभी को मालूम है। यह सदन स्थगित हो और यह ग्रान्ट आज स्वीकार न हो। मेरा निवेदन है कि माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और आप मिल कर इसकी व्यवस्था करें कि किस तरह से वोटिंग हो अगर कोई व्यवस्था नहीं की गयी तो बड़ी अशान्ति होगी और बड़ा झगड़ा फिर होगा।

*मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने फरमाया हम सब लोगों के लिये यह एक लज्जा की बात है। जो आज यहां हुआ, उसकी जिम्मेदारी किस पर है किसने गलती की और किसने कम की और किसने ज्यादा की यह बात कहना इस वक्त इरेलेंट है और वह हमारे सब के लिये शर्मनाक बात है। वैसे तो हमारे देश में ज असेम्बलियों में होता रहता है उससे संसार भर में हमारा सर नीचे ही हुआ है, लेकिन अबकी बार जब से यह असेम्बली शुरू हुई और आप हमारे अध्यक्ष हुये तब से धीरे-धीरे हम यह अभिमान करने चले थे कि हमारा सदन दूसरों के लिये एक उदाहरण हो जायगा कि किस तरह से हमारे यहां कार्य का संचालन होता है और किस तरह से अध्यक्ष की बात सदस्यगण सदन में मानते हैं। आज हमारा वह गर्व और हमारा वह खयाल मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है खत्म हो गया। लेकिन सदन को चलाना है अगर डेमोक्रेसी को कायम रखना है तो। इसलिये अगर किसी पक्ष से गल्ती हो गयी है तो हमें उसे भूल जाना चाहिये और आपस में जो कड़ुवाहट और बिटरनेस पैदा हो गयी है उसको अतीत की बात समझ कर छोड़ देना चाहिये क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं। पार्लियामेंट बात करने की जगह है। अगर वह फाइटिंग प्लेस हो गयी तो डेमोक्रेसी खत्म हो जायेगी। इसलिये सदन के दोनों ओर बैठे हुये जो मित्र हैं उनसे दरख्वास्त है कि आगे जो भी वोटिंग हो और जो भी तरीका अख्तियार किया जाय वे शन्ति के साथ अपना वोट दें और आपके साथ सहयोग करें।

माननीय नेकराम शर्मा जी ने यह कहा कि इस वक्त यह मामला मुल्तवी कर दिया जाय और कल को वोट हो। अध्यक्ष महोदय मैं यह समझता हूं कि यह ठीक नहीं होगा। जब एक बार वोटिंग का प्रोसेस शुरू हो गया तो आज ही उसे खत्म होना चाहिये और यह हो सकता है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

कि एप्रोप्रियेशन बिल कल हो जाय। वैसे आज भी वह हो सकता है और एप्रोप्रियेशन बिल के ऊपर वोटिंग इस डिमांड के बाद हो जाय लेकिन अगर आप चाहें तो कल के लिये उसे मुल्तवी कर दिया जाय। लेकिन इर्रीगेशन की जो डिमांड है उस पर वोटिंग शुरू हो गयी है तो उसे आज ही खत्म करना चाहिये। वह किस प्रकार से हो यह एक सवाल है। मैं समझता हूं कि जो बीच का रास्ता है यहां कुछ गर्मी होती है, वही समझाने की बात और परस्वेशन की कोशिश और वह धीरे-धीरे आग्रह की बात आग्रह से आगे बढ़ जाती है। अगर दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं जैसा कि हक है, तीसरे साहब आ गये, उनको लगा कि ज्यादती हो रही है, वह इसमें इंटरवीन करने लगे। फिर, तीसरे आ गये, चौथे आ गये, पांचवे आ गये। यह इस वजह से होता है कि सबको एक साथ जाने का अधिकार है। तो मेरा सुझाव यह है कि ८ रजिस्टर इधर हैं और ८ रजिस्टर उधर हैं, आप १६ मेम्बरों के नाम पढ़ दें। जब वह १६ मेम्बर चले जायं और वापस आ जायं, या एक दो रह भी जायं, या पांच मिनट के बाद आप फिर दूसरे १६ सदस्यों के नाम पढ़ दें, चाहे दो इधर जाते हैं या चार इधर जाते हैं, कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मैं समझता हूं कि घंटे भर में वोटिंग पूरी हो जायगी। लेकिन वोटिंग की ज विधि हमारी है मैं समझता हूं कि उसमें कोई अन्तर नहीं आना चाहिये। सिर्फ यहां से जाने में कोई गड़बड़ी न हो केवल आपको यह इन्श्योर करना है और इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि आप चन्द दोस्तों के नाम एक बार पढ़ दें और पांच मिनट के बाद उतने ही सदस्यों के नाम पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक मिनट कुछ कह लूं उसके बाद जो भी सदस्य बताना चाहेंगे उनकी बात सुनूंगा। एक बात मैं बताना चाहता हूं जो गैलरीज में दर्शक लोग बैठे हैं, उन से मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं जो कि नियमों के अनुसार गैलरीज में बैठने व ले सज्जन न कोई शोर कर सकते हैं, न करतल ध्वनि कर सकते हैं, न किसी प्रकार जो नीचे कार्यवाही हो रही है उसमें कोई ऐसे संकेत दे सकते हैं कि इधर या उधर पसन्द कर रहे हैं। अभी जो पहले हुआ उसमें कुछ इस तरह का देखा मैंने और मालूम हुआ कि इस तरह की बात हुई। तो मैं एक अन्तिम सूचना दे रहा हूं कि अगर गैलरीज में से मुझे फिर दोबारा ऐसी बात मिली या वहां से कोई ऐसी बात हुई तो फिर सब से पहला काम मैं यह करूंगा, जिसका कानून में मुझे अधिकार है, कि गैलरीज को मैं बिल्कुल खाली करवा दूंगा। जितने दर्शक लोग बैठे हैं उनको कष्ट अवश्य होगा, लेकिन हमारे यहां के कार्य के चलने के लिये मुझे वह करना पड़ेगा।

इसके बाद माननीय नेता विरोधी दल या विरोधी दल के कोई भी माननीय सदस्य जो कहना चाहें मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि प्रोसेस वोटिंग का शुरू हो चुका था तो मैं यह चाहता हूं कि आप कोई ऐसा सुझाव दें जिससे इस ग्रांट पर मैंने जो विभाजन का आदेश दिया था, जो एक विशेष परिस्थिति में नहीं हो सका उसको मैं पूरा कर सकूं तो मैं अनुग्रहीत होऊंगा। वैसे जो आपकी राय होगी वह मैं सुनूंगा।

*श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

श्रीमन्, आज एक अभूतपूर्व घटना हुई और मैं केवल इस समस्त सदन की ओर से अपने को प्रतिनिधि रूप में मान कर यह कह सकता हूं कि मैं स्वयं उससे अत्यन्त लज्जित हूं। लेकिन माननीय नेता दन ने जो मार्ग बताया मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं नियम २६५, २६६ और २६७ की ओर, और उनमें जो वोटिंग की प्रक्रिया निहित है....

श्री अध्यक्ष—

जरा फिर बताइये नम्बर।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य––

मैंने गलत बतला दिया, श्रीमन्। हमारी प्रक्रिया नियमावली में जो वोटिंग लेने के सम्बन्ध में नियम हैं वह हैं २९५, २९६, २९७ और २९८।

माननीय नेता सदन ने जिस बात की ओर इंगित किया श्रीमन्, देखेंगे कि उसका कहीं जिक्र इसमें नहीं है। मैं इस नियम के साथ-साथ श्रीम का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं नियम ३१३ की ओर जिसमें अवशिष्ट शक्तियों के सम्बन्ध में चर्चा है। मैं इसलिये इस सम्बन्ध में चर्चा करना चाहता था कि माननीय नेता सदन ने जिस प्रक्रिया की ओर इशारा किया वह भूतपूर्व परिस्थितियों को देख कर किया। मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि आज सदन में बहुत टेंशन है।

श्री अध्यक्ष––

अगर आप इसी नियम के पेज २ को खोल लें जहां उपधारा (त) में विभाजन की प्रक्रिया दी हुई है, तो उससे हमारे काम में आसानी हो जायगी। क्योंकि विभाजन की मांग की गयी और उसे मैंने स्वीकार किया। अब विभाजन कैसे हो, यह उसमें दिया हुआ है। (त) "विभाजन का तात्पर्य सदस्यों को सभाकक्षों में भेज कर या अन्य किसी रीति का अनुसरण करके अभिलिखित मतदान से है।"

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य––

श्रीमन्, आपका मैं अत्यन्त अनुग्रहीत हूं। मैं यही श्रीमन् के सामने रखना चाहता था और मेरा कहना यह था कि माननीय नेता सदन ने स्वयं अन्य रीति से मतदान करने की यहां मांग की। मेरा ख्याल है कि मेरी मांग को कदाचित आप स्वीकार करें और माननीय नेता सदन भी इसको स्वीकार करेंगे कि आज टेंशन ज्यादा है। मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आज बड़ी ही लज्जाजनक घटना हुई है और चूंकि इस समय सदन में टेंशन है, इस बात को देखते हुए मैं श्रीमन् से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल आप इस पर वोटिंग करा लेंगे। आज बहुत अधिक टेंशन है और यह सम्भव नहीं है कि ऐसी स्थिति में वोटिंग हो सके। जैसा कि एक बार गुप्त मतदान के लिये कहा भी था, आप अपने यहां सदस्यों को बुला लें और उन से मतदान के लिये आग्रह किया जाय तो वह उचित होगा। क्योंकि जैसा कि माननीय नेता सदन ने भी कहा था कि आज सदन में टेंशन बहुत अधिक है, ऐसी परिस्थिति में दूसरा कोई मार्ग नहीं है, आज की परिस्थिति में केवल यही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा इस तरह के बढ़े हुए टेंशन में सदन में वोटिंग कराई जा सकती है और जिससे कि हम सफलतापूर्वक अपना वोट डाल सकें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

अध्यक्ष जी, आज की दुखद घटना के प्रसंग में आप आज इस माननीय सदन की व्यवस्था करने के प्रश्न को लेकर एक कठिन स्थिति में उलझे हुए हैं। मान्यवर, प्रजातंत्र में जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा एक पक्ष दूसरे पक्ष से बहस करे तब तो पार्लियामेंट चलती है लेकिन कोई और प्रक्रिया अपनायी जाय तो फिर वह तो कुछ और ही हो जाता है, पार्लियामेंट के नाश करने का एक रास्ता, प्रजातंत्र के नाश का एक रास्ता शुरू हो जाता है। मुझे इसका दुःख है। पिछले १५ साल से मुझे भी इस माननीय सदन में रहने का सौभाग्य प्राप्त है लेकिन जैसी दुखद घटना आज हुई है उसकी कल्पना भी हमने नहीं की थी। मान्यवर, इस वक्त आपके सामने सवाल है

श्री अध्यक्ष--

कभी-कभी सदन में उधर से अशान्ति की ध्वनि आ रही है। कृपया आप लोग सदन में शान्ति रखें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, इस वक्त आप स्वयं देख रहे हैं कि कितना टेंशन है। कुछ लोगों के मन में दुख है, कुछ हमारे नौजवान साथी जो इधर और उधर के हैं वे गुस्से में हैं। इन दोनों स्थितियों में विवेक से ठीक-ठीक काम हो सकेगा यह सम्भव नहीं दिखलायी देता है। मैं मान्यवर, आपसे कहना चाहता हूं कि इस नियम के अन्दर वोटिंग की पद्धति लिखी हुई है। उसमें लिखित मतदान स्पष्ट रूप में दिया हुआ है। लिखित मत का रूप कैसा होगा, कहां निर्णीत होगा यह बात छिपी हुई है। इसलिये आपका अधिकार है कि सदन की स्थिति को देखते हुए प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सदन में कार्यवाही आसानी से सम्पन्न हो जाय। मेरा सुझाव है कि आप दो बक्से ऊपर लगवा दें और जैसा कि स्वयं माननीय अध्यक्ष के चुनाव के सिलसिले में माननीय सदस्य जाया करते हैं, जायं और अपना मत लगाकर 'हां' और 'न' में डालते चले जायं। इससे कोई डर की बात नहीं है। सीक्रेट बैलेट से मैं नहीं चाहता हूं यद्यपि यह प्रजातंत्र की जान है और यह सरकार गांव सभाओं का चुनाव कराने के लिये जो हाथ उठाने की पद्धति थी उसका विरोध कर अब स्वयं बैलेट पद्धति से चुनाव कराने जा रही है और उसने इसके लिये एक विधेयक लाने का आश्वासन दिया है। यदि सदन में भीड़ भड़क्के में काम हो तो फिर कैसा होगा हमारा प्रजातंत्र।

जिस तरह से इधर के बैठे हुए सदस्य और उधर के बैठे हुए सदस्य इंक्वारी की मांग करें और माननीय नेता सदन चाहें तो मुझे स्वीकार होगा और आप जांचकर्ता मनोनीत कर दें और इस कांड की जांच हो जाय। लेकिन मान्यवर, जिस तरह से यहां सदस्यों को उठाया बिठाया जा रहा है उसे कौन कर रहा है, मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन जहां माननीय सदस्य कभी नहीं बैठते थे उधर उनको बिठाया जा रहा है और देखने की बात है कि लाबी में क्या हो रहा है। जो सदन का वातावरण है वह ऐसा हो गया है, मुझे डर लगता है कि अच्छे और भले आदमियों की इज्जत भी सुरक्षित रहनी सम्भव नहीं रह गयी है। सदन की गरिमा के लिये हम सब आज सदन को स्थगित करके अपने आपको दंडित करें। हम अपने काम पर लज्जित हों। जो दो रोज का कार्यक्रम अविश्वास के प्रस्ताव का है उसमें से एक दिन का समय आज के अधूरे काम को पूरा करने के लिए ले लें। कितनी बेचैनी है, थोड़ी सी बात के लिये कितनी हलचल मचती है इसलिये आज आप सदन क स्थगित करें और कल इसी कार्यक्रम को पूरा करें और जो समय लगे उसे अविश्वास के प्रस्ताव के समय में से अलग कर लें और शेष समय में उस प्रस्ताव पर चर्चा हो। इस तरह से आसानी से काम हो सकेगा। वोट देने का तरीका वही रहेगा जैसा कि अध्यक्ष जी के चुनाव के समय अपनाते हैं, ठीक इसी तरह से वोट करा दें। यही परम्परा स्वस्थ होगी और हमेशा भी इसी तरह से काम होना चाहिये। मुझे दुख है कि मेरे प्रस्ताव से साथियों को बेचैनी हो रही है। मैं मानता हूं जैसा कि चौधरी साहब ने कहा है कि १६/१६ मेम्बरों के नाम पुकार लिये जायं और ४/६ बक्से यहां पर रखवा दिये जायं और माननीय सदस्य अपने-अपने वोट दे कर चले जायं और सदन की कार्यवाही होती रहे। इस समय सदन स्थगित किया जाय आज हमने काफी नुकसान उठाया है और सदन की मान मर्यादा को काफी ठेस लगाई है। और अधिक यहां न बैठ कर जाकर प्रायश्चित करें यही ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं कोई अन्तिम फैसला नहीं दे रहा हूं। सदन के विचारार्थ कह रहा हूं। मेरी दो कठिनाइयां हैं। एक तो यह है कि मैं नियमों के अनुसार कार्य करूंगा। यह जो विभाजन होगा जिसको मैं स्वीकार कर चुका हूं उसकी परिभाषा में यह है--"विभाजन" का तात्पर्य सदस्यों को सभा कक्षों में भेज कर या अन्य किसी रीति का अनुसरण करके अभिलिखित मतदान से है।

अन्य किसी रीति का अनुसरण चाहे सभाकक्ष में मेजूं या किसी अन्य रीति का अनुसरण करूं, जैसा कि बहुगुणा जी ने सुझाव दिया है। वह भी एक रीति हो सकती है और माननीय नेता सदन ने जो कहा है वह भी एक रीति हो सकती है। उस रीति का अनुसरण करके अभिलिखित मतदान हो। अभिलिखित मतदान ओपेन वोटिंग का सूचक है। जहां अभिलिखित मतदान होगा वहां जो वोट देते हैं, वहां निशान भी बना दें तो उससे संकेत हो जायगा। जहां सीक्रेट वोटिंग होती है वह अवैध हो जाता है। लेकिन हमारे यहां प्राविधान अभिलिखित मतदान का है। इसके मानी यह हैं कि प्रत्यक्ष प्राविधान है कि जो वोटिंग होगी वह सीक्रेट नहीं होगी, ओपेन वोटिंग होगी। और मैं माननीय सदस्यों को यह भी बता दूं कि इसका आधार यह है कि माननीय सदस्य जिन कांस्टीटुएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं उन कांस्टीटुएंसीज को जानने का अधिकार है कि जो प्रश्न विधान सभा में उनके सामने आये उस पर उनके प्रतिनिधि ने क्या मतदान दिया और यह जानने के लिए ओपेन वोटिंग का प्राविधान रखा है। तो रीति में परिवर्तन कर सकता हूं लेकिन मूल रूप में अभिलिखित मतदान अवश्य होगा। उसमें आइडेंटिटी छिपाने का यत्न नहीं करूंगा कि कौन वोट दे रहे है। दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि यह कार्य आज पूरा हो जाय। माननीय बहुगुणा जी ने कहा कि इस समय वातावरण विक्षिप्त है। मुझे दुख है वातावरण विक्षिप्त है। कल वैसा वातावरण नहीं रहेगा इसका कोई कारण समझ में नहीं आता। जो कारण था, वह कारण इस समय भी है, शायद कल भी रहेगा। हो सकता है कि रात कुछ ठंडक डाल दे। तो आध घंटे के समय को भी ठंडक डालना चाहिए और डाला भी है। उस समय जो वातावरण था मैं इससे ज्यादा तेज आवाज में बोल रहा था कोई सुन नहीं रहा था। उससे अच्छा वातावरण है ही। हो सकता है कि अन्तर हो जाय। लेकिन नियमों के अनुसार जब कोई प्रक्रिया में शुरू कर दूं तो उसे समाप्त करना चाहिए जहां तक सम्भव हो और अभी असम्भव स्थिति सामने है नहीं। अगर सारा सदन सहमत हो, माननीय नेता सदन भी सहमत हो सके तो कल ११ बजे के बजाय दस बजे बैठ जायं और अविश्वास के प्रस्ताव का समय कम कर दिया जाय। मुझे एतराज नहीं है। अगर वह तैयार नहीं है, जैसा कि उनके खड़े होने से पता चल रहा है तब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक ही अनुमान लगाया। मैंने पहले भी अर्ज किया जब प्रोसेज आफ वोटिंग शुरू हो चुका है तो आज ही खत्म होना चाहिए। मेरा आग्रह यही है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने समय दिया। आपके सामने प्रश्न यह है कि शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न हो जाय और आपको मेम्बर साहबान की जो राय है उसका सही अन्दाजा हो जाय। अध्यक्ष महोदय, आपने माना कि आज का वातावरण दोषपूर्ण है। माननीय मुख्य मंत्री ने एक ही बात कही, चूंकि चुनाव शुरू हो जायगा है इसलिए आज ही कम्प्लीट होना चाहिए। मैं अदब से कहूंगा कि मैं उनके तर्क से सहमत नहीं हूं। जब एबनार्मल कंडीशंज होती है तो कुछ ड्रैस्टिक स्टेप्स लेने पड़ते है। मैं जानता हूं कि बड़े बड़े मतदान होते हैं। अगर गड़बड़ी हो जाती है तो मतदान पोस्टपोन किया जाता है। उसके लिए दूसरी तारीख निश्चित की जाती है। नैचुरल कोर्स में आपसे मांग नहीं करता कि आप पोस्टपोन करें। आज ऐसी घटना घटी जो १५ साल में क्या, जिनको पन्द्रह साल से ज्यादा हो गये, चौधरी साहब को २६ साल या २०–२२ साल हो गये, जो यहां २६–२६, ३०–३० साल के सदस्य हैं शायद कभी हुआ हो, कि जिसमें ऐसी घटना नहीं घटी हो, तो ऐसे दूषित वातावरण में यह दरख्वास्त मैं करूंगा कि जो आरगुमेंट मुख्य मंत्री जी ने दिया है कि चूंकि प्रोसेस शुरू हो गया है वह प्रोसेस तो अव्यवस्था के कारण

[श्री नवल किशोर]

डिसरप्ट हो गया और आब्सट्रक्शन पैदा हो गया और जब वह हो गया तो आपको आ.वस्त होना पड़ेगा कि हाउस का टेम्पर ऐसा है कि उसमें मतदान हो सकता हो। आपने यह कहा कि सभाकक्ष के अलावा कोई अन्य प्रणाली हो सकती है और जो भी मतदान हो वह अभिलिखित होना चाहिये ताकि वह ओपेन हो सके ताकि हर व्यक्ति को मालूम हो जाय कि उसके प्रतिनिधि ने किधर वोट किया है। तो इसके लिये मान्यवर आप एक-एक करके बुलावें और वह जाकर आपके पीछे मतदान करें। वह अपना नाम लिख दें और "न" या "हां" जैसा वह चाहें लिख दें और बाक्स में डाल दें। अगर इस तरह से व्यवस्था करा दें तो सरलता पूर्वक कार्य हो सकता है और दूसरी रिक्वेस्ट यह है कि जो प्रोसेस की बात है वह लागू नहीं होती क्योंकि उस प्रोसेस को तो डिसरप्ट किया जा चुका है इसलिये उसके मतदान का समय कल १० बजे के लिये रख दिया जाय और मतदान करा दिया जाय।

वन मंत्री (श्री रामचन्द्र विकल)---

अध्यक्ष महोदय, इस दुखद घटना के लिये मैं तो यह नहीं कहना चाहता कि दोष किधर का है और उसका समय भी नहीं है। माननीय बहुगुणा जी ने कहा कि सीक्रेट बैलट जनतंत्र की जान है मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि वह माननीय सदस्यों के लिये कमजोरी का वायस है। माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय जो लग रहा हो लगने दीजिये एक-एक माननीय सदस्य का नाम आप पुकारें वे जिधर की लाबी में जाना चाहें चले जावें मगर वोटिंग आज ही समाप्त हो कल के लिये टालना जरा उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---

तो अब अन्तिम पोजीशन यह रही कि मैं तो यह चाहता था कि सर्वसम्मति से कोई राय तय हो जाय लेकिन वह नहीं हुआ तो जब नहीं हुआ तो नियमानुसार मुझे कार्य करना है। नियमानुसार तो प्रक्रिया वोटिंग की शुरू हो गयी, (श्री जगन प्रसाद रावत के खड़े होने पर) वैसे तो मेरे बोलने पर खड़े नहीं होना चाहिये लेकिन मुझे कोई रास्ता मिल सके इसलिये मैं इसके लिये अवसर दे रहा हूं।

श्री जगन प्रसाद रावत (जिला आगरा)---

मान्यवर, यह तो आपका कहना सही है कि इसमें जो मतदान होगा उसको जानने का हक हमारी कांस्टीटुयेंसी के लोगों को है कि किस मामले में उसके प्रतिनिधि ने वोट दिया है वहां-तक तो सही है, लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं है कि हाउस में कोई आदमी इस तरह से एक्सपोज हो विशेषकर जब कि इतनी खींचातानी है। मेरा छोटा सा सुझाव यह है कि आप हाउस में अपने पीछे एक स्क्रीन लगा दें जो 'हां' या 'नहीं' कहे वह आये और या हां या नहीं पर दस्तखत करके चला जाय। इस तरह से सीक्रेट भी नहीं होगा, कांस्टीटुयेंसी को भी मालूम हो जायगा और यहां का खतरा उठाने से आदमी अपने को बचा ही सकेगा।

श्री अध्यक्ष---

माननीय विरोधी पक्ष के लोगों ने और माननीय नेता सदन ने जो बात कही है उसमें मुझे यह मालूम होता है कि इस वक्त तनाव इस बात पर है कि जो एक लाबी में जाता है तो दूसरे पक्ष के लोग और दूसरी लाबी में जाते हैं तो पहले पक्ष के लोग रोका थामी करते हैं। तो कोई ऐसी व्यवस्था हो जाय कि एक ही लाबी में लोग वोट करें तो. . . (नहीं नहीं की बहुतसी आवाजें) नहीं-नहीं कहकर आप लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मेरी बात को आप पहले सुन लें फिर अपनी राय दें। आखिर कटुता को कम करने के लिये कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं दोबारा उस दृश्य को यहां पर घटने नहीं दे सकता कि आपस में मारपीट हो या मैं इन सब बातों को देखता रहूं। इस पर गौर कर लीजिये। इसमें यदि कठिनाई कोई मालूम हो तो वह बतलाई जाय। इसमें यह है कि लाबी में भेजकर या किसी अन्य रीति से अन्य रीति की बात सोचना है। इस समय झगड़े का कारण यह है कि एक लाबी में जाना ही टेन्शन का मूड पैदा करता है। उसमें

माननीय सदस्य कोशिश करते हैं कि इसमें जायं और उसमें न जायं। जैसा माननीय नेता सदन ने कहा कि मैं थोड़े आदमियों के नाम पढ़ दूं। ८, ८ रजिस्टर दोनों तरफ रख दूं यानी १६ रजिस्टर रख दूं और उसमें मैं नाम पढ़ दूं तो ८ हां वाली में चले जायं और ८ नहीं वाली में लेकिन रास्ता वही एक होगा। इससे जो सदन में एक हंगामा पैदा हो जाता है, लाबी में जाने में एतराज होता है किसी के विषय में तो वह बच जायगा।

दूसरा रास्ता यह है कि यह मेरा जो डायस है उसके पीछे में दोनों तरह के रजिस्टर हां और नहीं वाले रखवा दूं। यहां पर परदा लग जायगा वहां अपना मत माननीय सदस्य दे सकें। माननीय नेता सदन इसको देख लें। टेन्शन का कारण यह है कि जिस समय लाबी में सदस्य जाते हैं तो दूसरा सदस्य देखता है तो वह कहता है कि वहां न जाय, वहां जायं। इस तरह की घटना दोबारा नहीं घटनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यदि इससे रुक जाय तो मुझे एतराज नहीं होगा। माननीय नेता सदन इस विषय में अपनी राय बतला दें।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, आपने यह बतलाया कि हर कक्ष में हां और नहीं का रजिस्टर रहे और उसमें लोग जायं और अपने दस्तखत कर दें। लेकिन इसमें ज्यादा सम्भावना है बजाय इसके कि यहां पर हां के एक तरफ और नहीं के एक तरफ रहें। लेकिन यह जो ८, ८, रजिस्टर की बात मैंने कही कि ८ इधर से चले जायं और ८ उधर से चले जायं उसमें झगड़े की कोई सम्भावना नहीं है। झगड़े की सम्भावना यह है कि ५० या १०० आदमी एक रास्ते से जायं। जब सब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उसमें कोशिश होती है कि इधर वोट दे या उधर वोट दें। इसमें कोई ऐसी सम्भावना नहीं है। उसमें झगड़े की ज्यादा सम्भावना है। पहले यही हुआ कि सब एक जगह इकट्ठा हुये और खींचने की कोशिश की गई। यदि फिर वही तरीका बरता गया तो फिर एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई सम्भावना नहीं है झगड़े की। (व्यवधान)। अगर १६ आदमी अलग-अलग दोनों लाबी में जायं तो कोई झगड़े की सम्भावना नहीं है बल्कि एक लाबी में अगर मुख्तलिफ राय के लोग इकट्ठा होंगे तो झगड़ा होने की ज्यादा सम्भावना है।

श्री नेकराम शर्मा—

आपके पीछे श्रीमन्, एक-एक व्यक्ति जाय और अपना वोट दे और जब तक वोटिंग समाप्त न हो तब तक यह सदन चले। माननीय विकल जी का प्रस्ताव मैंने सुना है, उसको माननीय नेता सदन को भी मान लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अगर बहस में ही रात हो जायगी तो काम नहीं चलेगा।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

जो दलील अलग-अलग लाबीज में जाकर वोट देने की मुख्य मंत्री जी की तरफ से रखी गयी थीं वहीं एक आम तरीका था। (व्यवधान) जब मेरे जैसे कमजोर आदमी को बोलने की इजाजत नहीं दी जाती तो अगर मैं वोटिंग के वक्त नहीं जाऊं तो पता नहीं मुझ पर क्या गुजरेगा। मैं आप से अर्ज कर रहा था कि इस हाउस में जूते और चप्पल तक उतर आये तो मेरे लिये मुमकिन नहीं कि मैं आजादी से अपना मत दे सकूं। मैं समझता हूं कि वही तरीका मुनासिब है कि एक-एक आदमी को आप बुलायें और वह अपनी राय दे आये।

आबकारी मंत्री (श्री अख्तर अली)—

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि हाउस में बीच की बेंचेज खाली कर दी जायं जहां कि झगड़े की शुरूआत हुई थी। वह नो मैन्स लैंड की तरह से रखी जाय और इधर के लोग इस लाबी में और उधर के लोग उस लाबी में जाकर मतदान कर लें।

श्री अध्यक्ष—

प्रक्रिया पर ही बहस होने से काम नहीं चलेगा। कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं मालूम होती कि जो बिल्कुल दोषमुक्त हो।

श्री धर्म वीर (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष जी, अभी आपने सदन में सुझाव दिया और शायद नेता सदन भी उसे स्वीकार करेंगे कि हर सदस्य को इतनी सुविधा मिलनी चाहिये कि वह स्वतंत्रता से अपना मत दे सके। यह सुझाव बहुत उपयुक्त है कि आप अपने पीछे परदा लगवा दें और वहां सदस्य अपनी राय दे कर दूसरी तरफ से चले आयें। इससे बढ़ कर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

सहकारिता उप मंत्री (श्री जोरावर वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, हां पक्ष के लोग एक ओर बैठे है और ना पक्ष के दूसरी ओर, इतना तो निश्चित है। इस लिये इस बात को जानने में ज्यादा परेशानी नहीं है कि कौन किस को वोट देना चाहता है।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई बात नहीं है। कौन कहां बैठता है, इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)—

अध्यक्ष जी, मैं बहुत क्षुब्ध हूं इन घटनाओं को देख कर जो कि आज इस सदन में घटीं। तीस वर्ष से मैं भी इस सदन का सदस्य हूं। आज जो कुछ हुआ वह अशोभनीय तो था ही, परन्तु वह ऐसा था जिस की जितनी निन्दा की जाय उतनी कम है। क्योंकि इस घटना ने हमारा मस्तक नीचा किया है। जैसा कि नेता सदन ने कहा था कि यह सदन बात चीत, बहस, तर्क, के द्वारा मसलों को तय करता है, यह सदन डंडे और जूते के जोर पर चीजों को तय करने के लिये स्थापित नहीं हुआ, मैं आज किन्हीं व्यक्तियों को दोष नहीं देता क्योंकि मैंने जो कुछ थोड़ा दूर से देखा, मैं उन व्यक्तियों को जान नहीं सका। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बातें उन्होंने की उनसे सदन की गरिमा घटी। जो वातावरण इस सदन में पैदा हुआ उससे मुझे चिन्ता और परेशानी हुई। जब आपने मुझे अपने कक्ष में बुलाया था तो मैंने विनम्रता-पूर्वक निवेदन किया था कि आज की कार्यवाही जो कुछ बच गयी है उसे कल आप १० बजे से प्रारम्भ कर लीजिये और जो समय आपने अविश्वास के प्रोग्राम के लिये रखा है, उसमें उस समय को निकालें जो कि विभिन्न अनुदानों के पास करने और अप्रोप्रिएशन बिल के पास करने के लिये आवश्यक है। नेता सदन को यह स्वीकार नहीं था और आज भी अभी भी जैसा कि एक ओर से सुझाव आया है उन्हें स्वीकार नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के नाते जो इस सदन का ३० वर्ष से सदस्य रहा है, कुछ मैं भी अपना कर्त्तव्य मानता हूं कि यदि वे न माने भी, तो भी मैं अवश्य आपके समक्ष कोई ऐसी बात रखने की चेष्टा करूंगा जिससे कि समस्या का समाधान हो, भले ही इस समाधान करने के लिये मैं वह कहूं जो मेरे साथियों को अप्रिय लगे। मैं ऐसा समझता हूं कि जो वातावरण इतने वक्त पैदा हो गया है, आज कोई भी कार्यवाही करना उस वातावरण में और उसको अच्छा बनाने में आपको पूरी मात्रा में इन साथियों से जो कि नाराज हो गये है, क्षुब्ध हो गये है वह सहयोग प्राप्त नहीं होगा जो कि मिलना चाहिये। यों तो मैं उस बात का समर्थक हूं जो कि श्री बहुगुणा जी ने आपके समक्ष प्रस्तुत की। आप अपने पीछे एक एनक्लोजर लगाकर प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित करें और वह जाकर वोट करें। परन्तु यदि चौधरी साहब को बहुत जल्दी हो और वह चाहते हैं कि उनका अनुदान पास हो जाय

क्योंकि वह तो समझते हैं कि उनके पास बहुमत है तो हमने तो बहुत से अनुदान उनके पास कर दिये, कोई विभाजन की मांग नहीं की। तो मैं यह भी बात स्वीकार करने के लिये तैयार हूं कि यदि वह ऐसा चाहते हैं तो हमारा कोई दल विभाजन की मांग नहीं करेगा और उनका अनुदान पास हो जायगा और कल जो बचा हुआ अनुदान है और अप्रोप्रिएशन बिल है वह कल ले लिया जायेगा। क्योंकि अप्रोप्रिएशन बिल के सिलसिले में वह स्वतः ही कह रहे थे कि कल ले लिया जाय तो कदाचित ऐसा करने से कुछ यहां वातावरण में शान्ति पैदा हो सकती है और जो आज परिस्थिति पैदा हुई है वह शायद टल सकती है। तो मैं नेता सदन को दावत देता हूं कि यदि वह चाहते हैं कि यह अनुदान आज ही पास हो जाये, तो मैं, बिना अपने किसी साथी से पूछे हुये, इस अनुदान को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि जो कुछ माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है वह एक तरह से समस्या का समाधान इस समय के वातावरण के तनाव को देखते हुये किया है, इससे दोनों पक्षों के हितों का संरक्षण भी हो सकता है। माननीय नेता सदन ने भी अभी यह कहा था कि वह यह चाहते हैं कि इस पर तो मतदान आज समाप्त हो जाय क्योंकि प्रक्रिया उसकी आरम्भ हो चुकी है, लेकिन एप्रोप्रियेशन बिल और जो सेस टैक्स वाली ग्रान्ट है वह कल ले ली जाय। तो मतदान तो जब भी होगा, प्रक्रिया वही रहेगी जो नियमों में है या कोई दूसरा रास्ता निकल सकता है, इस पर विचार करना होगा इस समय जो यह मिला जुला तरीका रखा गया है इस पर माननीय नेता सदन का भी मत लेना होगा। जो कुछ माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने कहा उससे यही निष्कर्ष निकला, मैं कोई अपना अंतिम निर्णय नहीं दे रहा हूं, कि इस समय जो सिंचाई का अनुदान है उसे तो समाप्त कर लिया जाय, और सेल्स टैक्स वाली ग्रान्ट तथा एप्रोप्रिएशन बिल कल ले लिया जाय, क्वैश्चन ओवर के बाद या जैसी सदन की इच्छा हो। इस पर जितना समय लगेगा वह अविश्वास के समय में से काट लिया जायेगा। माननीय नेता सदन कुछ कहना चाहेंगे।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं नियमों का तकाजा यह है कि एक बार जब डिवीजन चैलेन्ज हो जाय तो वह प्रक्रिया पूरी होनी ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

वह जो डिवीजन की कार्यवाही थी, उसको तो मैं निरस्त कर चुका हूं। अब तो दोबारा ही प्रश्न उठाया जायेगा।

श्री चरणसिंह—

माननीय गुप्ता जी ने एक जरा सी बात कही, मैं भी उसका जरा सा जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर मैं यह आग्रह करूं कि जल्दी से ग्रान्ट पास हो जाय, मैंने ऐसा आशय उनका समझा, ठीक से सुन नहीं पाया, तो वे उसके लिये तैयार हैं, वे उसे पास कर देंगे। श्रीमन्, हमने तो चैलेन्ज नहीं किया डिवीजन को। डिवीजन तो उन्होंने ही चैलेन्ज किया है। मैं उनकी इस भावना की कद्र करता हूं कि जिस तरह से ग्रान्ट अब तक पास होती रही है, यद्यपि बीच बीच में यह आवाजें मेरे कानों में आती रहीं, कई मित्रों ने मेरे से कहा कि आपके नीचे से जमीन खिसक रही है, लेकिन फिर भी, बीच बीच में ऐसी बातों के होते हुये भी, मैं विरोधी पक्ष के माननीय मंत्रों को और विशेष कर माननीय सी० बी० गुप्ता साहब को इसके लिये धन्यवाद देता हूं

[श्री चरणसिंह]

जिस तरह से उन्होंने अब तक काम होने दिया। उनका सुझाव स्वीकार करने में मुझको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके जरिये मैं माननीय गुप्ता जी से एक बात निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि एप्रोप्रिएशन बिल आज मंजूर हो जाय तो अच्छा है। जिस तरह से वे उदारता दिखाते रहे हैं, इसे भी आज ही पास कर दें। कल और परसों अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

इस असाधारण परिस्थिति में मैं अपना एक सुझाव रखता हूं, मैं अपना अंतिम निर्णय नहीं दे रहा हूं, जैसा शुरू में माननीय नेता सदन ने कहा और आज हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, उनमें यह अनिवार्य भी मालूम पड़ता है कि एप्रोप्रिएशन बिल और जो बाकी ग्रान्टस हैं के लिये काफी समय निर्धारित था। अगर उसको व्हाइस वोट से पास करना चाहते तो हो सकता था लेकिन उसके लिये आग्रह करना उचित न हो। उसके बाद अच्छा सलूशन सामने आ चुका। माननीय नेता विरोधी दल का भी सुझाव था और माननीय नेता सदन ने भी उसको माना कि केवल एक ग्रान्ट ले लेते हैं। और यह तो हर वक्त अविश्वास के प्रस्ताव पर हो सकता है। हम सबका कर्त्तव्य है कि सदन में जो वातावरण पैदा हो गया है उसको सम्हालें। माननीय नेता सदन के हृदय में भी यह इच्छा है कि यह समाप्त हो।

वित्त मंत्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की धारा १९७ को देखें। इसमें लिखा है कि--

१९७--विनियोग विधेयक--(१) संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विनियोग विधेयक के बारे में प्रक्रिया, ऐसे रूप भेदों के साथ जैसे अध्यक्ष आवश्यक समझें, वही होगी जो सामान्यतया विधेयकों के लिये होती है :

परन्तु किसी विनियोग विधेयक पर कोई ऐसा संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जायेगा जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद २०३ के अन्तर्गत दिये गये अनुदान की धनराशि में या उसके लक्ष्य में परिवर्तन हो जाय।

(२) अध्यक्ष ऐसे विधेयकों को समय के भीतर पारित करने के लिये किसी नियम की प्रक्रिया का निलम्बन कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह विनियोग विधेयक तो बहुत ही अनिवार्य होता है। इसके लिये आप सब प्रक्रिया निलम्बित कर सकते हैं लेकिन विनियोग विधेयक अवश्य लिया जाना चाहिये जिस प्रकार भी यह विनियोग विधेयक पास हो.....

श्री अध्यक्ष--

आप बड़े विज्ञ आदमी हैं और आपका ऐसा सुझाव होता है जिससे सहायता मिले। यह जो प्रक्रिया आपने पढ़ी वह तब लागू होती है जब एप्रोप्रिएशन बिल पुरःस्थापित हो या प्रस्तुत हो। इस समय न पुरःस्थापित है और न ही प्रस्तुत है। अगर पुरःस्थापित होता तो मैं वित का प्रयोग कर सकता था। अभी सेल्स टैक्स की ग्रान्ट बाकी है। इर्रीगेशन की चार ग्रान्ट्स बाकी हैं। इस स्थिति को देखते हुये जो वातावरण है, वह समाप्त होता है। इससे किसी पक्ष की हार जीत नहीं होती। शक्ति परीक्षण का समय उपलब्ध रहता है। बिला वजह आप क्यों दूसरा रास्ता बता रहे हैं? माननीय नेता सदन, मैं यह मानकर चल रहा हूं कि प्रश्न रक्खूं सदन के सामने....

(व्यवधान)

मैं प्रार्थना करता हूं कि जब विशेष परिस्थिति हो तो उसके समाधान में माननीय सदस्य सहायता करें।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

श्रीमन्, आप प्रक्रिया नियमावली के नियम १९८ को देखें, इसमें यह है कि—

१९८—वित्तीय कार्य के निस्तारण के लिये समय सीमा—इन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष अपनी प्रयोज्य शक्तियों के अतिरिक्त उन समस्त अधिकारों या शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो समस्त वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के लिये आवश्यक हों और विशेष रूप से ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यों की पूर्ति के लिये समय नियत कर सकेंगे और जब समय इस प्रकार नियत कर दिया जाय तो वे नियत समय पर ऐसे प्रक्रम या प्रक्रमों के संबंध में जिनके लिये समय नियत किया गया हो, समस्त अवशिष्ट विषयों के निस्तारण के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न प्रस्तुत करेंगे।

श्रीमन, वित्तीय कार्य आज के लिये है जो बजट के अन्दर होना चाहिये। जो व्यवधान पड़ता है तो उसके बाद आप ऐसा समय निश्चित करें जिससे प्रक्रिया समाप्त हो जाय, लेकिन कार्य पूरा सम्पन्न हो जाय। इसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है।

लिस्ट पर ग्रान्ट्स और विनियोग विधेयक रखा हुआ है। इसलिये माना जायगा कि इसमें सीमा है। इसको हमें बहुत सोच समझ कर पारित करना है। फिर इसको दूसरे सदन में भी जाना है। इसलिये जो भी प्रक्रिया हो, यह जरूरी है कि आज ही इसको पास कराया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मेरी तो सीमायें हैं, लेकिन इस सदन की सीमायें नहीं हैं। यह सदन नियमों से पूरे है और असीमित शक्ति रखता है अपने कार्य को चलाने के लिये।

श्री चरणसिंह—

लेकिन इस सदन की भी एक सीमा है—इट कैननाट मेक दि मेन वोमन एन्ड वोमन मेन।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन की इस बात को मैं मानता हूं। यह बात तो सदन के बाहर कुछ विशेषज्ञ ही कर पायगे। यहां तो आदमी को और ज्यादा बहादुर बनाने का प्रयत्न किया जाता है।

न्याय मंत्री (श्री श्यामलाल यादव)—

श्रीमन्, आप नियम १८८ को देखने की कृपा करें। इसमें मांग पर विभाजन का पूरा विवरण दिया हुआ है। वह इस प्रकार है—

"अध्यक्ष, सदन नेता के परामर्श से, अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान के लिये २४ दिनों से अनधिक दिन नियत करेंगे।"

उसके आगे उपनियम (७) इस प्रकार है—उपनियम (१) के अन्तर्गत नियत दिनों के अंतिम दिन उपवेशन की साधारण समाप्ति के लगभग आधा घंटा पूर्व अध्यक्ष अनुदानों के लिये मांगों के संबंध में अवशिष्ट विषयों के निस्तारण के निमित्त प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेंगे, और इस कार्यवाही को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायगा, न किसी प्रकार की बाधा ही डाली जायगी और न उसके संबंध में कोई विलम्बकारी प्रस्ताव ही किया जायगा।

[श्री श्यामलाल यादव]

यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। जो मांगे अवशिष्ट है, उन पर एक के बाद एक पर प्रश्न उपस्थित करना है। इस प्रकार की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली जा सकती। ऐसी स्थिति में माननीय नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिया है, उसका प्रश्न ही नहीं उठता। अतः विनियोग विधेयक को आज ही पास होना चाहिये।

श्री मोहन लाल गौतम (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन, मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं इसमें कोई दिलचस्पी लूं। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर इसी प्रकार से बजट के पास होने की बात थी और उसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली थी तो उन्होंने एक महीने का वोट आन एकाउन्ट क्यों लिया था। उसकी क्या इमरजेंसी उनके दिमाग में थी। जब उसको जुलाई में पास हो जाना था तो अगस्त के लिये वोट आन एकाउन्ट की मांग क्यों की थी?

श्री अध्यक्ष—

माननीय गौतम जी ने एक नया प्रश्न ही छेड़ दिया। वह अपनी जगह पर एक महत्व पूर्ण प्रश्न हो सकता है, लेकिन इस प्रसंग में उससे कोई सहायता मुझे नहीं मिलती। इसलिये मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो इस समय सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि जो कठिनाई माननीय रामस्वरूप वर्मा और माननीय न्याय मंत्री जी ने बतायीं, उसमें कुछ बल है। लेकिन उसके बाद भी सदन के अधिकारों की कोई सीमा नहीं है। नियम ३११ इस प्रकार है—

"कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायगा। ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चत की जायगी।"

उसके बाद नियम ११० इस प्रकार है—

निम्नलिखित प्रस्ताव, यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बिना सूचना के किये जा सकेंगे।

इसलिये इसके लिये किसी नोटिस की आवश्यकता न होगी।

मेरा सदन के सामने यह सुझाव है कि सदन अपनी प्रक्रिया का कम्प्लीट मास्टर है। मैं इस समय अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। और न कर ही सकता हूं। अगर सदन एक मत से यह निश्चिय कर लेता है कि इस प्रकार से कार्य चले तो उस प्रकार से चलेगा। मैं समझता हूं कि माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधीदल दोनों मिल कर यह कह दें तो हम इसको खत्म कर दें और बाकी की कार्यवाही कल हो। उसके लिये १० या ११ बजे से समय एक या डेढ़ बजे तक का रखा जा सकता है। अन्य था जैसा सदन चाहेगा वैसा होगा।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा.....

श्री अध्यक्ष—

अभी आप नेता सदन मेरी बात सुन लें कि जब आप अपनी अन्तिम राय दें तो आप से आग्रह करूंगा कि आप इतना विचार कर लें कि अब ४ बज कर २० मिनट हो रहे हैं और अगर वह प्रक्रिया आरम्भ होती है तो उसमें कितना समय लगेगा और समझ लें कि दिन में क्या और रात्रि में क्या हो सकता है। इस सबको सामने रख कर ही आप अपना विचार व्यक्त करें।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथियों की राय यह है कि यह काम जो बाकी है वह आज ही समाप्त हो जाय। मैं आप के द्वारा गुप्ता जी से अपील करूंगा कि आज ही अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाय और अगर वह नहीं मानते हैं तो मैं आप की बात मान जाऊंगा कि कल ही हो जाय। बाकी मेरा विचार और मेरे मित्रों की राय यही है कि वह कार्य आज का आज ही समाप्त हो जाय चाहें हमें दस बीस मिनट और ज्यादा बैठना पड़े जैसे कि हम अक्सर दो एक घंटे अधिक और कार्यों के लिये बैठ जाया करते हैं। हमारी राय तो यही है बाकी जो आपका आदेश होगा उसको तो हम मानेंगे ही।

श्री अध्यक्ष—

मेरा आदेश कोई नहीं है, कृपया आप विचार कर लें, नियमों में जो है उससे मैं भी बंधा हुआ हूं और सर्वसम्मति से निश्चय न होने पर तो मुझे प्रक्रिया नियमावली के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। इसको ध्यान में रखकर नेता विरोधी दल भी अपना मत व्यक्त करने की कृपा करें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैंने अध्यक्ष महोदय, सारी परिस्थिति का अध्ययन कर के ही बिना अपने साथियों से मशविरा किये हुये ही एक बात सदन के सामने रखी थी, उससे कुछ मेरे साथी नाराज भी थे और मैंने तो बिना उनकी सलाह के ही ऐसी बात कह दी थी जिसे वह पसन्द नहीं करते। मेरी अपील नेता सदन से है कि स्वतः वह अपने दृष्टिकोण को अपनाये इस विषय में और हमारी दिक्कत को भी समझें और सब बात को समझकर वह मेरी बात को स्वीकार करें जो मैंने सदन के समक्ष उपस्थित की थी।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे याद पड़ता है गुप्ता जी ने शायद सदन में एक दिन फरमाया था कि हम एप्रोप्रिएशन बिल का विरोध नहीं करेंगे, अगर यह बात सही है तो मैं समझता हूं कि वह अब भी अपनी बात पर दृढ़ होंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह कौंसिल में कहा था।

श्री चरणसिंह—

यहीं पर कहा था एक दिन उन्होंने लेकिन अगर उसको गुप्ता जी इन्कार भी करें तो मैं मान लूंगा लेकिन मुझ पर इम्प्रेशन यह है कि अगर ऐसा उन का विचार अब भी है तो आज ही सारी कार्यवाही समाप्त हो जाय। लेकिन अगर वह मेरे आग्रह को मानने को तैयार नहीं है तो मैं आप को सालिस मानने को तैयार हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अब इस बहस मुबाहिसे में ज्यादा पड़ने से कोई लाभ नहीं है। अब आप ही मेरी ओर से सुझाव दे दीजिये क्योंकि मेरे सुझाव में ज्यादा बल है और उनके सुझाव में कमजोरी है।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो दोनों के सुझाव में ही बल मानता हूं, निर्बल तो मैं हूं चूंकि मैं नियमों से बंधा हुआ हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष जी, आज जो सुझाव मैंने रखा था वह माननीय नेता सदन ने स्वीकार नहीं किया। तो मैं अपनी बात को वापिस करता हूं। आप जो प्रक्रिया चलाना चाहते हैं, वह चलायें।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं यह प्रश्न सदन के सामने रखता हूं।

श्री नवल किशोर—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक व्यवस्था का प्रश्न रखता हूं। माननीय नेता विरोधी दल के खड़े होने से पहले इस प्वाइन्ट पर आप विचार करा रहे थे कि यह जो वोटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ था इसको किस प्रकार से समाप्त किया जाय। माननीय नेता विरोधी दल का यह सुझाव है कि अगर माननीय नेता सदन इस बात पर तैयार हो जायं कि वाइस वोट से पास हो जाय तो मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि यह आज की जो ग्रान्ट है वह पास हो जाय और बाकी को कल ले लिया जाय। श्रीमन्, आपको स्मरण होगा कि आपके कक्ष में माननीय नेता सदन ने भी इस बात से इत्तिफाक किया था कि आज का यह प्रोसेस कम्प्लीट हो जाय बाकी हम कल ले लेंगे। मुझे बड़ा खेद है मान्यवर, कि माननीय नेता सदन एक बात को कक्ष में और सदन में कहने के बावजूद उस बात से बैक आउट होने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री चरणसिंह—

मैंने जिस तरह से सुना, जो बात मैंने कही है, उससे वापिस नहीं जाना चाहता हूं। कोई गलतफहमी हो, तो दूसरी बात है।

(अत्यन्त शोर और कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके आप बैठें। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। बहुत से माननीय सदस्य खड़े हुये हैं, मैं उनकी बात नहीं सुन सकता हूं और न ही उनकी बात को माननीय सदन के सदस्य सुन सकते हैं। आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री धर्मवीर—

श्रीमन्, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उपमंत्री, श्री मही लाल यहां पर बैठ कर बातें कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी जगह पर जा कर बैठें?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जहां चाहे, वहां पर बैठ सकते हैं। आप इसमें क्यों एतराज कर रहे हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

आई एम सोरी, वीशुड हैव टेकिन दि डेसिजन एकार्डिंग टु ला। आपका क्या मतलब है आप हाउस में मार पीट क्यों कराते हैं?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। मैं आपकी बात का आदर करता हूं।

श्री चरणसिंह—

जो वातावरण इस समय सदन में है मैं किस तरह से अर्ज करूं इस से मुझ को कितनी तकलीफ है। अगर इसी तरह से यह सदन चला तो भले आदमियों की यह सभा नहीं रह जायगी। मुझे बहुत अफसोस है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सारे माननीय सदस्य एक साथ न बोलें।

श्री चरणसिंह—

इस सब को देख कर मुझे बहुत मानसिक कष्ट है। अब अगर किसी मेरी बात से, मेरे किसी आग्रह से.... (व्यवधान) तो मैं अपनी सारी बातों को वापस लिये लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

लाबीज के पास जो माननीय सदस्य खड़े हैं वे बैठ जायें और उधर जो रास्ते में खड़े हैं, उप मंत्री जी, आप उधर से हट जायं। इधर लाबीज के पास जो माननीय सदस्य खड़े हैं वे बैठ जायं और सामने जो लोग खड़े हैं वे इधर आ जायं।

माननीय नेता सदन कुछ कह रहे थे शायद उस से समाधान हो जाय।

(व्यवधान)

माननीय श्री राम जी, आप बैठ जायं। माननीय नेता सदन कोई बात कह रहे हैं देखें कोई समाधान होता हो।

श्री चरणसिंह—

मेरी समझ में नहीं आता कि मान लीजिये उधर कोई मंत्री चले गये या उप मंत्री चले गये या आप के सामने कोई इस पार्टी का सदस्य खड़ा है तो उस पर १०, २० आदमी खड़े हो कर शोर मचायें मेरी समझ में नहीं आता कि इस में आपत्ति की क्या बात है। यही बराबर हो रहा है।

एक सदस्य—

एक सदस्य अध्यक्ष महोदय, वहां बैठे हुये हैं जरा युवक हैं, वह कह रहे थे कि तुम बुड्ढे हो तुम्हें मारेंगे। मैंने कहा मुझ से कुश्ती लड़ लो, देखें जरा।

श्री फूलसिंह—

अध्यक्ष महोदय, जो स्थिति हाउस की हुई अब, मैंने शुरू में ही आप का ध्यान आकर्षित किया था कि मंत्रियों के लिये जगह निश्चित है, और भी जहां जाना चाहें या बैठना चाहें, बैठ जायं, लेकिन सारे मंत्री, उप मंत्री वहीं बैठें यह बात अशोभनीय है। मुझे मंत्रियों से कोई शिकायत नहीं है बल्कि चौधरी चरणसिंह से शिकायत है कि उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं है और वे जो कुछ हो रहा है उसे रोक नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो बात कही तो मैं यह कैसे कह सकता हूं कि कोई मंत्री यहां न बैठे और वहां न बैठे। सदन में सबको सब जगह बैठने का अधिकार है।

श्री फूलसिंह--

मेरा कहना यह था कि माननीय मुख्य मंत्री का कर्तव्य है कि वे यह सब रोके वर्ना जो उत्पात वे करवा रहें हैं, वह होता रहेगा ।

श्री चरणसिंह--

मैं अपनी बात पहले भी खत्म नहीं कर पाया था । अब अगर कोई माननीय उपमंत्री वहां जा कर बैठ गये और उस पर उधर से कोई आपत्ति हो तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती ।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्यों को यह नहीं भूलना चाहिये कि उनको सुनने व देखने वाले और भी हैं और वे इस सदन के कार्यों की विवेचना बाहर भी कर सकते हैं ।

श्री चरणसिंह--

मैं कह रहा था कि जनतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है । दूसरे लोग उससे भले ही सहमत न हो लेकिन उनका कर्तव्य है कि वे उसे सुनें । मैं जो बात कह रहा हूं हो सकता है कि वह मेरे दोस्तों को पसन्द न हो, लेकिन मुझे हक हासिल है कि मैं अपनी बात कहूं और मेरी बात मेरे दोस्त सुनें और जब अपनी बात कह चुकूं तो वे लोग खड़े हों और अपनी बात कहें ।

अब जो बातें यहां हो गयीं उनको देखते हुये मैंने सारा आग्रह छोड़ दिया है । माननीय चन्द्रभानु गुप्त को जो पसन्द हो वह मेरी तरफ से मंजूर है और एप्रोप्रियेशन बिल कल ही पास हो जाय ।

श्री अध्यक्ष--

मैं सारे सदन की सहमति से उसी जगह आ जाता हूं । नियमों का उल्लंघन करके जो इर्रीगेशन की ग्रान्ट है, उसे अभी लेंगे और बिक्री कर की ग्रान्ट तथा एप्रोप्रियेशन बिल जो है उसे कल ११ बजे से १ बजे तक समाप्त कर देंगे और उसके बाद अविश्वास का प्रस्ताव लिया जायगा । अब मैं जो इर्रीगेशन की ग्रान्ट है, उसे लेता हूं ।

श्री मोहनलाल गौतम---

आप कल ११ बजे से ही एप्रोप्रियेशन बिल ले रहें हैं तो क्या सवालों को सस्पेंड कर रहें हैं ।

श्री अध्यक्ष--

सवालों को सस्पेंड नहीं कर रहा हूं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

प्रश्नों को लेकर फिर १२ बजे से ढाई बजे तक आप एप्रोप्रियेशन बिल को रखिये ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है ।

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३१--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई निर्माण-कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४, ६०, २७, ३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

३१---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई निर्माण-कार्य---अनुदान संख्या
३२---सिंचाई अधिष्ठान---अनुदान संख्या ४७---बहु-प्रयोजनीय
नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय तथा अनुदान संख्या
४८---सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३२--सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,९९,२६,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४७--बहुप्रयोजनीय नयी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ११,६८,८३,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४८--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्क धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,०५,०१,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन की आज्ञा से जो और अनुदान हैं जिन पर विवाद नहीं होने का निश्चय हो चुका है पहले से उनको अभी १५ मिनट का समय बाकी है, ले रहा हूं ।

अनुदान संख्या ३---राज्य आबकारी

आबकारी मंत्री (श्री अख्तर अली)--

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष म अनुदान संख्या ३---राज्य आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३३,३५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३३,३५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री वरमेश्वर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३६—सार्वजनकि निर्माण कार्यों के लिये सहामक अनुदान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,१७,१४,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३६—सार्वजनकि निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,१७,१४,१०० रुपये स अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४३—प्रकीर्ण व्यय

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री वरमेश्वर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४३—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि क अतिरिक्त ३,४७,९९,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४३—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति क लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,४७,९९,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६—स्टाम्प

वित्त मंत्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वले वर्ष में अनुदान संख्या ६—स्टाम्प के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि क अतिरिक्त ९,४१,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६—स्टाम्प के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,४१,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७–निबन्धन

वित्त मंत्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)––

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७–निबन्धन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २२,६३,००० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७ ––निबन्धन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २२,६३,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

अब ऐसा है कि अभी मुझे एक माननीय सदस्य ने सूचना दी कि माननीय प्रेमदत्त तिवारी को इस झगड़े में काफी चोट लगी है और उनकी हालत बहुत खराब है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति वहां पहुंच सकते हैं वे उनके पास पहुंच जायं। माननीय सदस्य जो वहां खड़े है वहां से हट जायं और कोई दूसरा व्यक्ति लाबी में न रहे। जो हमारे कर्मचारी हैं वे फौरन उनके लिये मेडिकल असिस्टेंस का इन्तजाम करें और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वे सीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त––

मेरी प्रार्थना है कि अब शेष कार्यक्रम कल लिया जाय।

श्री अध्यक्ष––

मेरे खयाल से इसमें माननीय नेता सदन को कोई आपत्ति नहीं होगी जो दो तीन अनुदान बिना विवाद वाले बाकी रह गये हैं, उनको कल ले लिया जायगा।

आपत्ति न होने पर

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२५ जुलाई, १९६७।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ८१ एल० ए०––१९६७—८४६।